सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

22 जुलाई, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

अष्टादश विधान सभा | बुधवार, तिथि 22 जुलाई, 2026 ई०
तृतीय सत्र | 31 आषाढ़, 1948 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे।

(व्यवधान)

शून्यकाल में उठाइयेगा आप, समय देंगे।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये)

मौका हम आपको देंगे।

(व्यवधान)

पत्रकार लोग हमसे मिले थे। पत्रकार लोगों से मेरी बात हो गयी है। मैं समाधान कर रहा हूं। धन्यवाद। बैठिये।

(व्यवधान)

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह।

(व्यवधान)

शून्यकाल में उठायेगा।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, माननीय सदस्य रणविजय जी के द्वारा कार्यस्थगन का प्रस्ताव आया कि बारिश नहीं हो रही है। सम्पूर्ण बिहार सुखाड़ की चपेट में है।

अध्यक्ष : मौका हम आपको देंगे। अब छोड़ दीजिए। 12 बजे आपको मौका देंगे।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, यह कोई छोटी–मोटी बात नहीं है। यह किसान से जुड़ा हुआ मामला है।

अध्यक्ष : आपकी बात से हम सहमत हैं। 12 बजे हम आपको बोलने के लिए मौका देंगे।

श्री कुमार सर्वजीत : हम चाहते हैं कि सरकार इस पर वक्तव्य दे, नहीं तो हम लोग सदन का बहिष्कार करेंगे।

अध्यक्ष : श्री बैद्यनाथ बाबू।

(व्यवधान)

बैठ जाइये प्लीज। हमारा आग्रह है क्वेश्चन ऑवर चलने दीजिए और क्वेश्चन ऑवर के बाद आप शून्यकाल में अपनी बातों को रखेंगे।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सदन बिहार के विकास के लिए अनवरत काम कर रहा है।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

सत्र आहूत है। नेता प्रतिपक्ष अनवरत सदन से गायब हैं। नेता प्रतिपक्ष का यह रवैया बजट सत्र में भी था। इसलिए यह साफ लगता है कि नेता प्रतिपक्ष अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिहार की जनता यह जानना चाहती है कि नेता प्रतिपक्ष बिहार को विकसित करने के संकल्प में योगदान नहीं करके क्या अमेरिका, ईरान युद्ध में मध्यस्थता कर रहे हैं या कहीं जाकर आराम से चैन की बंसी बजा रहे हैं ? बिहार के लोगों को इसका उत्तर चाहिए महोदय।

(व्यवधान जारी)

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या–16, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या–16, कल्याणपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प ज्ञापांक मु०अ०–04 (मु०) विविध कार्य 06–101/2023– 4995 दिनांक 22.09.2023 के क्रम संख्या 9 पर यह निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (MMGSUY) अंतर्गत यथासंभव कार्य प्रमंडलवार कार्य अनुमंडलवार पथों का पैकेज तैयार कर निविदा के माध्यम से कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।

2. आंशिक स्वीकारात्मक।

(i) मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में 84 ग्रामीण पथों (लम्बाई 155.405 कि0मी0) की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी प्रशासनिक अनुमोदन की राशि रू0 61.925 करोड़ है। दिनांक 17.07.2026 तक 57.134 करोड़ रुपये का व्यय करते हुए 81 पथों (लम्बाई 148.696) का उन्नयन कार्य कराया गया है तथा शेष निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

3. (i) ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से निर्मित सभी ग्रामीण पथों के रूप में सृजित विशाल परिसम्पत्तियों को सुव्यवस्थित तरीके से रख–रखाव करने हेतु वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना का नए घटक के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP) लागू किया गया है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में कुल 18018 पथों (लम्बाई–30841 कि०मी०) एवं 51 पुल (लम्बाई–2560 मीटर) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इतने वृहत पैमाने पर पथों के कुशल वित्तीय प्रबंधन एवं क्रियान्वयन हेतु नियमानुसार

प्रखंडवार, घटकवार भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पैकेज तैयार कर निविदा आमंत्रित की गयी। दिनांक 17.07.2026 तक 3354.43 करोड़ रुपये का व्यय करते हुए 3254 पथों, लम्बाई 13422 कि०मी० ग्रामीण पथों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष पथ निर्माण कार्य के विभिन्न चरणों में है।

(ii) इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में दिनांक 31.03.2026 तक पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण/त्रुटि निवारण अवधि से बाहर हुए 5880 पथों (लम्बाई 11662 कि०मी०) जिसकी प्राक्कलित राशि 12139.74 करोड़ रूपये है, का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा चुका है एवं 1126 पथों (लम्बाई 2273 कि०मी०) का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

(iii) विभाग में पूर्व में ऐसी कोई योजना संचालित नहीं थी जिसमें पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर हुए सभी ग्रामीण पथों का मरम्मति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाय। जिसके कारण संचायात्मक रुप से प्रखंडवार पथों की संख्या अधिक हुई तदनुसार पैकेज की राशि भी अधिक हुई। योजना का कुशल वित्तीय प्रबंधन एवं क्रियान्वयन तथा संकल्प के कंडिका–9 के आलोक में प्रखण्डवार पैकेज तैयार किया जा रहा है।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए।

(व्यवधान जारी)

प्लीज, बैठ जाइये। कृपया, शांति बनायें। पोस्टर हटवाइये।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि मैंने जो सवाल किया है कि ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों को पैकेजवार बनाकर...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्लीज, बैठ जाइये। कृपया, बैठ जाइये।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : बड़ा–बड़ा टेंडर कर दिया।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : कृपया, बैठ जाइये। शून्यकाल में उठाइयेगा। आप शून्यकाल में उठायेंगे। मौका आपको देंगे। बैठ जाइये।

(व्यवधान जारी)

क्वेश्चन ऑवर बाधित मत कीजिए। शून्यकाल में समय देंगे। हम बोले हैं। समय आपको देंगे, लेकिन अभी नहीं। क्वेश्चन ऑवर चलने दीजिए।

(व्यवधान जारी)

सब लोग पहले बैठ जाइये। गौतम कृष्ण जी, बैठ जाइये। माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हुए हैं। प्लीज, बैठिये सब लोग। धैर्य बनाइये।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर चले गये)

श्री सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों की चिंता है कि कम बारिश हुई है और लोगों को दिक्कत हो रही है, आम लोग जो किसान भाई हैं। इसलिए इसमें दो तरह की व्यवस्था सरकार की है। एक तो 6.00 बजे सुबह से लेकर 6.00 बजे शाम तक पर्याप्त बिजली हम उपलब्ध करा रहे हैं जिससे कि सभी जगह किसानों को उनके खेत में पानी पहुंचाने का काम कर सकें और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है जिस जगह भी सुखाड़ की स्थिति होगी, वहां डीजल अनुदान देने का काम सरकार तुरंत करेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब बैठिये। अब इसमें कोई सवाल जवाब नहीं है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों के लिए बिजली की पर्याप्त आपूर्ति कराई जा रही है। इसमें कोई इफ–बट का सवाल नहीं है। बैठ जाइए। कार्यस्थगन जब आयेगा, तब बोलियेगा।

(व्यवधान)

माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने अपनी बातों को रखा है।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विभागीय संकल्प के आलोक में सभी शीर्ष के प्रखंडवार...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये। आपको मौका देंगे। इसके बाद आपको मौका देंगे। बैठ जाइये।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : पैकेज के संबंध में जानकारी मांगी गयी है। महोदय, जबकि उत्तर में प्रतिवेदित किया गया है सिर्फ एम0एम0जी0एस0वाई0 का जिक्र है बाकी एम0एम0जी0एस0वाई0 या आर0आर0एस0एम0पी0 योजना के बारे में माननीय मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया है। महोदय, दूसरा मैंने जो पूछा है कि पैकेज में बड़ा–बड़ा पैकेज बनाकर जो टेंडर कर दिया गया जिसमें काम नहीं हुए और विभाग भी रिपोर्ट में कह रहा है, जैसे मैं अपने यहां का उदाहरण ले लेता हूं कि चकिया आर.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमने एक पैकेज बनाया, 41 रोड एक पैकेज में मात्र 15 प्रतिशत अभी काम उसमें हुआ है, यह विभागीय रिपोर्ट बता रहा है, जबकि मेरी जानकारी में है कि 10 प्रतिशत से ज्यादा काम अभी उसमें नहीं हुआ है।

अध्यक्ष : अब पूरक पूछ लीजिए।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, पूरक ही पूछ रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति–शांति। कृपया, शांति बनाये रखिये। उनको बोलने दीजिए। वह बोल रहे हैं, आप ही की बात बोल रहे हैं।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि बड़े–बड़े पैकेज में काम को टेंडर कर दिया गया। 2 साल बीतने के बाद भी अभी तक उस पैकेज में 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत भी काम पूरा नहीं हुआ है। दूसरा, महोदय, हम कह रहे हैं कि...

अध्यक्ष : तीसरा है। तीसरा बोलिये।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : जी। इस संपूर्ण राज में उस संकल्प के अंतर्गत पैकेज व्यवस्था में बड़ा–बड़ा जो पैकेज बनाया गया है, छोटे–छोटे पैकेज में दो–तीन रोड का पैकेज बनाकर काम को पूरा किया जाएगा ? कब तक पूरा किया जाएगा माननीय मंत्री जी बताना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये। माननीय मंत्री जी।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपनी चिंता जाहिर की है बड़े पैकेजों के बारे में, उसके बारे में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर से निर्णय लिया जा चुका है कि 50 करोड़ से ऊपर के कोई भी ऐसे पैकेज नहीं होंगे ताकि बिहार के जो हमारे संवेदक हैं जिनकी जरूरतें हैं, रोजगार वगैरह की, उन्हें पूरा किया जा सके और माननीय मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद एक भी ऐसा पैकेज नहीं दिया गया है और अब छोटे–छोटे पैकेज पर या सिंगल रोड वगैरह टेंडर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसलिए मैं पूरे सदन को सूचित करना चाहूंगा कि कोई भी बड़े पैकेज..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : धैर्य रखिए, धैर्य रखिए।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : भविष्य में आर.डब्ल्यू.डी. के द्वारा कोई भी निविदा नहीं निकलेगी। दूसरी बात कि जो योजनाएं हैं आर.आर.एस.एम. की, जिनका जिक्र कर रहे थे माननीय सदस्य, उसके बारे में कहना चाहूंगा कि धीरे–धीरे हमें राशि उपलब्ध हो रही है और उसे हम पूरा करेंगे। साथ ही साथ यह भी बताना...

(व्यवधान)

पहले क्या हालत थी उसके बारे में भी बता देंगे। तीसरी बात ये भी हम सदन को सूचित करना चाहेंगे...

अध्यक्ष : सुनिए सब लोग शांति से।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : तीसरी बात सदन को सूचित करना चाहेंगे कि पूर्व में माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा या अन्य कोई भी माननीय विधायक, माननीय मंत्री के द्वारा जो भी शिलान्यास किए गए हैं और उसमें अगर कोई रद्द हुआ है इस वजह से कि बड़े पैकेज हैं, तो उसको हम लोग निश्चित रूप से निधि की उपलब्धता के आधार पर उसे पूरा करेंगे। ऐसा कोई भी रोड नहीं होगा, सड़क, पुल, पुलिया जिसके बारे में माननीय

सदस्यों ने या माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय ले लिया था, शिलान्यास किया था, उसको हम लोग हर हालत में, समय लग सकता है, लेकिन विभाग बिल्कुल कृत संकल्प है कि उन सभी रोड, पुल, पुलिया को भी कंप्लीट करेगा और उसमें माननीय सदस्यों की जो बातें हैं, वह भी रखी जाएंगी संवेदना के साथ। धन्यवाद।

अध्यक्ष : बहुत अच्छा जवाब हो गया है। कृपया, बैठिए।

श्री देवेशकान्त सिंह।

(व्यवधान)

इतना अच्छा उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है। आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए सरकार का इतना अच्छा जवाब हुआ है। कृपया, बैठ जाइये। बैठिये।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : आपका तीन पूरक हो गया है। ठीक है, अब आपका लास्ट है। बताइये।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दो साल पूरा होने के बाद भी जिस पैकेज में मात्र अभी तक 10 प्रतिशत काम हुआ है। काम नहीं होने के चलते हल्की बारिश में भी सड़कें खराब हो गयी हैं। तो कब तक ऐसे काम को पूरा कराना चाहते हैं। दूसरा, जो रोड खराब हो गयी हैं..

टर्न–2/संगीता/22.07.2026

अध्यक्ष : आपका तीन हो गया, तीन हो गया, आप बैठिए, आप बैठिए प्लीज । माननीय मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कहा, साथ ही साथ यह भी बताना चाहेंगे कि जिस तरह की प्रगति एक पृष्ठभूमि भी जानना हमारे ख्याल से पूरे सदन के लिए भी आवश्यक है कि जिस तरह की व्यवस्था थी पहले, 2005 के पहले और मात्र 300, 400...

(व्यवधान)

मेरी बात सुनिए, बोलने का मौका दीजिए ।

अध्यक्ष : सुनना चाहिए, धैर्य रखिए, सुनिए । बोगो जी सुनिए, सुनना चाहिए ।

(व्यवधान)

गौतम जी, गौतम बाबू, गौतम जी...

(व्यवधान)

आप बोलिए, बोलिए मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : जिस तरह की व्यवस्था थी, मात्र 300–400 करोड़ रुपये दिए जाते थे ग्रामीण सड़कों के लिए । आज पिछले 20 सालों में आप समझ लें कि 01 लाख 17

हजार करोड़ से भी ज्यादा ग्रामीण सड़कों और पुल–पुलियों पर खर्च हुआ है, 01 लाख 20 हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनीं हैं, 3200 से ज्यादा ग्रामीण पुल बने हैं और उसके पहले तो...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : संदीप बाबू, मंत्री जी बोल रहे हैं, आप बैठिए न ।

(व्यवधान)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : आपके समय तो 5000 भी नहीं पहुंचे थे, क्या बात करते हैं आप...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हर बात में खड़ा होना जरूरी है ? गौतम जी, बैठ जाइए प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : और इसलिए मैं इस पृष्ठभूमि को बता रहा हूं ताकि...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिए, जवाब हो रहा है । बैठ जाइए प्लीज, जवाब सुनना चाहिए ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : इस पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है क्योंकि सरकार पर भरोसा रखें, माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा रखें और आने वाले दिनों में निधि की उपलब्धता शुरू हो गई है, हमलोग धीरे–धीरे शेष कामों को भी पूरा करेंगे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री देवेशकान्त सिंह, श्री देवेशकान्त सिंह ।

(व्यवधान)

प्लीज बैठ जाइए, बहुत साफ जवाब आ गया है । धैर्य रखिए, काम होगा । इतना बढ़िया सरकार का जवाब है, बैठिए ।

(व्यवधान)

श्री देवेशकान्त सिंह, उठिए आप पूछ लीजिए ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या–17, श्री देवेशकान्त सिंह (क्षेत्र संख्या–111, गोरेयाकोठी)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : स्वीकारात्मक।

सभी अनजुड़े बसावटों को एकल सड़क सम्पर्कता प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा विभिन्न योजनाए संचाचित की गई है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (MMGSY), राज्य योजना (NABARD), ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना (GTSNY), इत्यादि। पूर्व में सभी 500 से अधिक आबादी वाले अनजुड़े बसावटों को सम्पर्कता प्रदान की गई तदोपरांत 250 से अधिक आबादी वाले बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान की गई। वर्त्तमान में 100 से अधिक आबादी वाले अनजुड़े बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान करने के लिए सरकार

दृढ़संकल्पित है। मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) (MMGSY-Awsesh) अन्तर्गत ऐसे 11020 बसावटों को एकल सम्पर्कता चरणबद्ध तरीके से प्रदान किए जाने एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना (MGSY) योजन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध सम्पर्कता हेतु कई छुटे हुए महत्वपूर्ण एवं जनोपयोगी पुल/पहुंच पथ इत्यादि का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में प्राप्त बजट के आधार पर स्वीकृति के उपरांत निविदा निष्पादन किया गया है। दिनांक–29.04.2026 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–1722, दिनांक–08.05.2026 द्वारा योजनावार निविदा किये जाने का निर्णय लिया गया है। शेष बचे निविदा एवं बसावटों की स्वीकृति एवं निविदा निष्पादन उपलब्ध राशि के आधार पर योजनावार की जा सकेगी।

अध्यक्ष : श्री देवेशकान्त सिंह जी, आप पूरक पूछ लीजिए ।

(व्यवधान)

और मेंबरों का क्वेश्चन है । आप पढ़िए, आप पूरक पूछ लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री देवेशकान्त सिंह : जी अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा...

अध्यक्ष : बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए आपलोग । इतना अच्छा जवाब सरकार का है, बैठिए आप।

(व्यवधान)

बैठिए आप सिनियर मेंबर हैं, बैठिए । देवेशकान्त जी आप बोलिए, पूरक पूछ लीजिए।

श्री देवेशकान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का जवाब प्राप्त है लेकिन सबसे बड़ी व्यवस्था यह है कि...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री देवेशकान्त सिंह : जी । माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया और निविदा ही कैन्सिल हो गई । बगल में बैठे लोग चिल्ला रहे हैं हमलोगों के प्रश्न के बदौलत और दुल्हा भागकर कहां दुबारा गया है इसका पता ही नहीं है । हम सरकार में रहकर भी जनता का सवाल उठा रहे हैं, आप अभी भी पीछे से लगे हुए हैं...

(व्यवधान)

अरे आप ही से संबंधित है, चिल्लाते हैं । माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह यह है कि जो निविदा पिछले साल निकाली गई, आज साल भर के बाद उसको रद्द कर दिया गया । अब उन क्षेत्रों में हमको जवाब देना है कि शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, अब हम जाकर वहां क्या जवाब दें और इसमें क्या कहें कि कब तक बन

जाएगा, मैं माननीय मंत्री जी से यही पक्ष स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि कब तक निधि की आवश्यकता...

अध्यक्ष : बैठ जाइए, बैठ जाइए । प्लीज बैठ जाइए देवेश बाबू । माननीय मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पूर्व के जवाब में अपने उत्तर में भी कहा था कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने जो शिलान्यास किए या माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावे जो माननीय मंत्री या माननीय विधायकों ने, जिनके क्षेत्रों में ये शिलान्यास हुए हैं तो बड़े पैकेजों के कारण कुछ रद्दीकरण हुआ है, वह हमलोग एक से डेढ़ महीने के अंदर अलग–अलग छोटे–छोटे पैकेज में या सिंगल रोड में उसको हमलोग निविदा कर देंगे, वह प्रक्रियाधीन है...

(व्यवधान)

मेरी बात सुन लीजिए, और वे सभी वैसे रोड जो मान लीजिए गलती से कहीं कम्प्लीटेड हैं और उसमें सूची में आ गए तो वे नहीं बनेंगे लेकिन सभी ऐसे रोड जिनका शिलान्यास हुआ है उसको निश्चित रूप से हम पुनर्निविदा करके सभी माननीय सदस्यों की मान–मर्यादाओं का हमलोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, उसे पूरा करेंगे । ये आश्वासन देना चाहता हूं आपके माध्यम से ।

अध्यक्ष : श्री श्याम रजक, श्री श्याम रजक ।

(व्यवधान)

बैठिए हो गया, अब कोई स्कोप नहीं है । श्री श्याम रजक जी बोलिए आप ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या–18, श्री श्याम रजक (क्षेत्र संख्या–188, फुलवारी (अ0जा0))</u>

(लिखित उत्तर)

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक।

1. वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजनान्तर्गत राज्य के 8053 पंचायतों में कुल–11,73,740 सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन का लक्ष्य है।

2. वस्तुस्थिति यह है कि CMS पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार कुल–11,73,740 सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन के लक्ष्य के विरुद्ध दिनांक–20.07.2026 तक 11,33,331 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया जा चुका है, जो कुल लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 97 प्रतिशत अधिष्ठापन को प्रदर्शित करता है।

3. वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–3031, दिनांक–19.07.2026 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पटना जिला के फुलवारीशरीफ

प्रखंडान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 2150 के विरुद्ध 1974 (91.81 प्रतिशत) सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 176 (8.19 प्रतिशत) सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

पुनपुन प्रखंडान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 1780 के विरुद्ध 1740 (97.75 प्रतिशत) सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 40 (2.25 प्रतिशत) सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

विभागीय संकल्प संख्या–5465, दिनांक–17.09.2021 के प्रावधानानुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक उपयोग हेतु औसतन दस सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापित किया जाना है।

अध्यक्ष : श्री श्याम रजक जी आप पूरक पूछिए ।

श्री श्याम रजक : जी पूछता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, जवाब मिला है आपको ?

(व्यवधान)

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है लेकिन आज भी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुनील जी बैठिए, आप सिनियर मेंबर हैं ।

(व्यवधान)

श्री श्याम रजक : आज भी जो सोलर लाइट लगे हैं, वे आज भी बुझे हुए हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : वशिष्ठ जी, वशिष्ठ बाबू, बैठ जाइए । इतना स्पष्ट उत्तर हुआ है । डेढ़ महीने में सरकार ने कहा है, डेढ़ महीने के अंदर में सब काम शुरू कर दी जाएगी । बैठिए ।

श्री श्याम रजक : संवेदक उसको लगाकर चला गया है और उसके बाद भी काम अधूरा रह गया। आज पूरा इलाका अंधेरे में है, 70 प्रतिशत जो सोलर लाईट लगे, सब बूझ गया...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुनील जी, पूरे बिहार की बात हो रही है । पूरे बिहार के बारे में जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है और कहा है कि डेढ़ महीने के अंदर में सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी । माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर दिया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो लाईट लगे हैं 97 प्रतिशत, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है लेकिन वह लाईट लगने के बाद संवेदक पैसा लेकर चला गया, अब सारे लाईट में 70 प्रतिशत लाईट आज भी बुझे हुए हैं । क्या सरकार उस बुझे हुए सोलर लाईट को ठीक कराना चाहती है या कोई केंद्रीय कोई टीम बनाकर...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइए, सुनिए ध्यान से ।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से मेरा विनम्र आग्रह होगा कि जब कभी एक इस तरीक से पिक्चर बनाया जाता है कि 70 प्रतिशत लाईट बुझे हुए हैं, मैं आधिकारिक रूप से बता रहा हूं कि 70 प्रतिशत लाईट नहीं बुझे हुए हैं । जहां कहीं भी दिक्कत है उसको...

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय....

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : मेरी पूरी बात सुन लीजिए ।

अध्यक्ष : सुन लीजिए, सुन लीजिए ।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : मरम्मति के लिए पूरी व्यवस्था की गई है । माननीय सदस्य, कहीं भी कोई भी एजेंसी भागी नहीं है राशि लेकर के, उसकी मरम्मति के लिए भी व्यवस्था की गई है उसी एकरारनामा में और उनकी 30 प्रतिशत राशि पंचायत के साथ सुरक्षित रहती है चूंकि 5 सालों में उनको देना है । मरम्मति को देखते हुए देना है, जहां कहीं भी अगर उसकी मरम्मति ठीक से नहीं हो रही है तो उसका पेमेंट भी रूक जाता है और जहां कहीं भी अगर लंबे समय तक दिक्कत है लाईटों को सही नहीं किया जा रहा है तो उनके ऊपर दूसरी कार्रवाई करने की व्यवस्था की गई है और कार्रवाई की भी जाती है ।

अध्यक्ष : श्री अरूण कुमार, श्री अरूण कुमार ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : बोलिए जिवेश जी ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, 70 परसेंट जो लाईट बुझी हुई है, ऐसा बताया गया है मंत्री जी के जवाब में है । सवाल जो किया गया है साढ़े 11 लाख सोलर लाईट के विरूद्ध 8.90, 20–25 परसेंट तो लाईट ही कम लगी तो मंत्री जी को यह कबूल लेने में दिक्कत क्या है कि 50 परसेंट लाईट नहीं जल रही है और मैं मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि चलें मेरे साथ देख लें कि 50 परसेंट लाईट बुझी हुई है कि नहीं बुझी हुई है । चलें, कब टीम बनायेंगे पूछ लीजिए, कब टीम बनायेंगे और कब विधायकों को शामिल करके ले चलेंगे । माननीय मंत्री जी बता दें...

अध्यक्ष : बैठ जाइए, जिवेश जी, बैठ जाइए ।

श्री जिवेश कुमार : माननीय मंत्री जी बता दें, कब चलेंगे ये बता दें ।

अध्यक्ष : मानीय जिवेश जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज आप बैठ जाइए, बैठिए ।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : महोदय, उत्तर में साफ–साफ लिखा हुआ है कि 97 प्रतिशत लाईट का अधिष्ठापन हुआ है, 8 प्रतिशत लाईट नहीं बची हुई है पूरे बिहार में 57 प्रतिशत लाईट का अधिष्ठापन हो गया है और जहां कहीं भी दिक्कत की बात बता रहे हैं फिर से वह पिक्चर पेंट करने की बात हो रही है लेकिन मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध होगा आप जहां कहीं भी दिक्कत है, लिखित में दे दीजिए इसको ठीक कराया जाएगा ।

अध्यक्ष : आप लिखित दे दीजिए । श्री अरूण कुमार ।

(व्यवधान)

अजीत जी, अजीत बाबू बोलिए क्या बोल रहे हैं ?

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री...

(व्यवधान)

श्री अजीत कुमार : महोदय, एक मिनट महोदय...

अध्यक्ष : अजीत जी...

श्री जिवेश कुमार : महोदय, सरकार का पैसा लगता है, मेंटेनेंस करने के लिए कोई नहीं जा रहा है हुजूर । लाईट बूझ गई तो क्यों बुझ गई ? सरकार का पैसा लगता है मेंटेनेंस के लिए, एक भी लाईट बुझी उसको देखने वाला कौन है ?

अध्यक्ष : अब विषय आ गया...

श्री जिवेश कुमार : फोन करने पर फोन नहीं उठाता है, जवाब नहीं देता है...

श्री अजीत कुमार : ये गरीबों के मोहल्ले में रौशनी देना सरकार सुनिश्चित करायी है इस लाईट के माध्यम से, 32 से 33 हजार रुपया एक सोलर लाईट पर पड़ रहा है और माननीय मंत्री जी को हम चुनौती देते हैं, मैं जिला का हमारा पंचायती राज पदाधिकारी, बी0डी0ओ0 और प्रखंड का पंचायती राज पदाधिकारी पूरी रात कांटी क्षेत्र के 3 पंचायत में हमने भ्रमण किया और 70 प्रतिशत लाईट महोदय, उससे अधिक खास करके गरीब बस्ती में है, मेन रोड पर बढ़िया लाईट लगा दिया है और गरीब की बस्ती में घटिया लाईट लगाया है...

अध्यक्ष : कृपया आप बैठ जाइए । मंत्री जी दिखवा लीजिए, दिखवा लीजिए सारी बातों को, जो माननीय सदस्यों का विषय आया है दिखवा लीजिए । श्री अरूण कुमार ।

(व्यवधान)

बैठिए, बैठिए । श्री अरूण कुमार ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–19 (श्री अरूण कुमार, क्षेत्र सं0–180, बख्तियारपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : खंड–1 –वस्तुस्थिति यह है कि पटना जिला के बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल 03 (तीन) प्रखंड यथा–बख्तियारपुर, दनियावां एवं खुसरूपुर है।

उक्त प्रखंडों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण, पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP) एवं मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) अन्तर्गत कुल 51 पथों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी प्रखंडवार विवरणी इस प्रकार है–

(i) बख्तियारपुर प्रखंड में कुल 18 पथ स्वीकृत हैं।

(ii) दनियावां प्रखंड में कुल 22 पथ स्वीकृत हैं।

(iii) खुसरूपुर प्रखंड में कुल 11 पथ स्वीकृत हैं।

खंड–2 – अस्वीकारात्मक।

1. बख्तियारपुर प्रखंड में कुल 18 स्वीकृत पथों में से 07 पथों में Surface का कार्य पूर्ण है एवं शेष पथों में Base Course तक का कार्य करा लिया गया है।

2. दनियावां प्रखंड में कुल 22 स्वीकृत पथों में से 07 पथों में Surface का कार्य पूर्ण है एवं शेष पथों में Base Course तक का कार्य करा लिया गया है।

3. खुसरूपुर प्रखंड में कुल 11 स्वीकृत पथों का एकरारनामा दिनांक–01.04.2026 को सम्पन्न किया गया है, जिनके कार्य समाप्ति की तिथि–31.03.2027 है।

उक्त सभी पथ कार्यों का सतत् पर्यवेक्षण किया जाता है। निर्माण के विभिन्न चरणों में प्रयुक्त निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता एवं पथ के प्रत्येक परत की गुणवत्ता की जाँच नियमित तौर पर, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, पटना तथा जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना द्वारा की जाती है।

खंड–3– वस्तुस्थिति कंडिका (1) एवं (2) में स्पष्ट कर दी गई है।

अध्यक्ष : श्री अरूण कुमार जी, आप पूरक पूछ लीजिए ।

टर्न–3/यानपति/22.07.2026

श्री अरूण कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि यह बात सही है कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री सड़क उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना अंतर्गत पटना जिला अंतर्गत बख्तियारपुर खुसरुपुर, दनियावां सहित राज्य के अन्य प्रखंडों में विगत तीन वर्षों से सड़क का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण योजना की स्वीकृति की गई जिसमें संवेदकों एवं विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही से शिथिलता एवं गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है और सड़क निर्माण की समय–सीमा समाप्त होने के बावजूद भी सड़क निर्माण कार्य ससमय नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष : अरूण जी, उत्तर मिला है न आपको।

श्री अरूण कुमार : उत्तर नहीं मिला है सर।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, माननीय मंत्री सुनील बाबू, आप जवाब दे दीजिए।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय उन्होंने मूलतः अपने क्षेत्र के बारे में बख्तियारपुर, दनियावां खुसरूपुर सड़क के बारे में प्रश्न किया है और साथ ही साथ प्रश्न किया है उसका जवाब हमने दे दिया है कि इसपर कार्य हो रहा है और वह हमलोग शीघ्र पूरा करेंगे लेकिन एक और भी साथ में उन्होंने प्रश्न किया है कि गुणवत्तापूर्वक वह कार्य नहीं हो रहे हैं। उसके संबंध मे हम कहना चाहेंगे कि इनके क्षेत्र में जो गुणवत्तापूर्वक कार्य कर रहे हैं उसकी पुनः हम जांच करवा लेंगे साथ ही सदन को यह भी बताना चाहेंगे कि वैसे इलाकों में जहां पर पदाधिकारियों ने अच्छा काम नहीं किया है, जांच हुई तो बर्खास्तगी की कार्रवाई सहित 18 अभियंताओं को निलंबित भी किया गया है और दंड भी दिया गया है और 61 के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी शुरू हुई है तो जहां–जहां कमी पाई जा रही है उसमें हम दंडित भी कर रहे हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या–20 (श्री प्रमोद कुमार, क्षेत्र सं0–19, मोतिहारी)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला के मोतिहारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पटखौलिया, सुरहाँ, मठिया, झखड़ा बसावट में पूर्व से निर्मित पथों के पुनः निर्माण हेतु ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP) के तहत पैकेज संख्या RRSMP/24–25 Motihari/03 में 45 पथ एवं पैकेज संख्या RRSMP/25–26 Motihari/02 में 17 पथ (कुल 62 पथ) स्वीकृत हैं। पैकेज संख्या RRSMP/24–25 Motihari/03 में 32 पथों का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है एवं शेष 13 पथ निर्माणाधीन है जिसे बरसात के पूर्व में ही मोटरेबुल करा दिया गया है। पैकेज संख्या RRSMP/25–26 Motihari/02 में कुल 17 पथ है, जो निर्माणाधीन है। जिसके एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 05.10.2026 है। इन पैकेजों के पथों को पूर्व में मोटरेबल कार्य कराया गया था वर्षा के कारण इन पथों का कुछ पथांश आंशिक क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे पुनः मोटरेबुल किया जा रहा है। सभी पथों को एकरारनामा अवधि में पूर्ण करा दिया जायेगा।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए।

(व्यवधान)

हर बात पर मत खड़े होइये।

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे राज्य भर का प्रश्न किया हूं लेकिन ये हमारे क्षेत्र पर सीमित कर दिए हैं...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए।

श्री प्रमोद कुमार : तो जो उत्तर दिए हैं क्षेत्र का उसी से संबंधित पूछ रहा हूं। इन्होंने कहा है कि 62 रोड बन रहे हैं पैकेज में और 32 पूर्ण हो गए हैं 30 बाकी हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इसकी स्थल जांच कराकर इसकी गुणवत्ता की जांच कराएंगे, नंबर–1, नंबर–2 कि ये क्या बताना चाहते हैं कि ऐसे कितने रोड हैं जो मेंटेनेंस अवधि में हैं और ऐसे कितने रोड हैं जो मेंटेनेंस अवधि समाप्त हो गए हैं तो ऐसे सभी जो सड़कें हैं उन सड़कों को बरसात और त्योहार को ध्यान में रखकर उसको मोटेबल कराना चाहते हैं। हां तो कब तक और नही ंतो क्यों ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाए रखें।

श्री प्रमोद कुमार : पूरे बिहार का प्रश्न किया हूं।

अध्यक्ष : अच्छी बात है, बैठ जाइये। माननीय मंत्री जी खड़े हैं। प्लीज बैठिए।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, ये पूरे बिहार का है और महोदय ये बनाने की तो बात हो गई उसकी जांच करावें, वर्क प्लान है महोदय, हर निविदा के साथ वर्क प्लान जाता है...

अध्यक्ष : बैठ जाइये।

श्री प्रमोद कुमार : क्या मंत्री वर्क प्लान से आपने जांच कराकर अभियंता पर कार्रवाई करना चाहते हैं।

अध्यक्ष : प्रमोद जी, बैठिए। अभी माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि कई अभियंता बर्खास्त हुए हैं। कई निलंबित हुए हैं और साथ–साथ काम भी शुरू कराए जाएंगे, जहां तक लिस्ट की बात है...

(व्यवधान)

बैठिए, हम अनुमति देंगे तब न, बिना अनुमति के क्यों बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बैठिए। और माननीय मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे पूरी सूची इनको अलग से उपलब्ध करवा दीजिए कि इनके जिले में क्या स्थिति है, स्टेटस है।

(व्यवधान)

बैठ जाइये, अब जवाब हो रहा है। बहस में मत जाइये। बैठिए, और मेंबर्स के सवाल हैं। जवाब सुन लीजिए, मंत्री जी खड़े हैं।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की दो चिंताएं हैं, एक तो उनके क्षेत्र के बारे में उन्होंने कहा है कि उसको मोटरेबल करने के लिए और उसकी गुणवत्ता के बारे में पूरा करने के लिए...

(व्यवधान)

पहले उनका जवाब दे लेने दीजिए...

अध्यक्ष : सुन लीजिए।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : जहां तक पूर्वी चंपारण की उनके क्षेत्र की बात है तो 62 रोडों की बात कर रहे हैं उसको हमलोग निधि के आधार पर शीघ्र पूरा करेंगे और दूसरा बता दें कि सरकार ने जो पॉलिसी लाई 2024 में आर0आर0एस0एम0पी0 पॉलिसी जो आई उसका मुख्य कारण यह था कि पांच वर्ष जिन सड़कों के हो गए अनुरक्षण निधि से बाहर हो गए उनका क्या होगा, इसी सोच के साथ ये पॉलिसी लाई गई ताकि वैसी सभी सड़कों को मरम्मती किया जा सके, मोटरेबल किया जा सके, ताकि ग्रामीण इलाकों में आवागमन की अन्य सुविधाएं पूरी नहीं हो सकीं, जहांतक इसकी लिस्ट है हमलोग लिस्ट तैयार है जो लोग उसको लिस्ट चाहते हैं हमलोग बता देंगे लेकिन साथ ही साथ उसमें वक्त लगेगा वैसे रोड को पूरा करने में, निधि जैसे–जैसे उपलब्ध होगी, प्राथमिकता के आधार पर हमलोग करेंगे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री भाई वीरेन्द्र।

(व्यवधान)

शांति–शांति, हो गया आपका।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–21 (श्री भाई वीरेन्द्र, क्षेत्र सं0–187, मनेर)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, (1) वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (एम0एम0जी0एस0यू0वाई0)/ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (आर0आर0एस0एम0पी0) अंतर्गत लगभग रु0 2200 करोड़ की अधियाचना भुगतान हेतु लंबित है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना/ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष–2026–27 में सामान्य एवं अनुसूचित जाति घटक में बजट प्रावधान कुल रु0 5799.36 करोड़ है, जिसमें से रु0 500 करोड़ पी0एल0 खाता में उपलब्ध कराया गया है, जिसका व्यय कर लिया गया है। बजट एवं अन्य स्रोत से राशि प्रबंधन किया जा रहा है। राशि प्राप्त होने के पश्चात् भुगतान किया जाएगा।

(2) मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष) अंतर्गत वित्तीय वर्ष–2026–27 में कुल रु0 914.74 करोड़ का बजट प्रावधान है। दिनांक–08.07.2026 को रु0 90.39 करोड़ का आवंटन निर्गत किया गया है। इस योजनान्तर्गत अब तक रु0 325.80 करोड़ की अधियाचना प्राप्त है। वर्तमान में रु0 148.88 करोड़ की राशि उपलब्ध है एवं शेष राशि का प्रबंधन बजट एवं अन्य स्रोत से किया जा रहा है।

अध्यक्ष : आपको उत्तर मिल गया है, आप पूरक पूछ लीजिए।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, उत्तर मिला है लेकिन गलत मिला है।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए।

श्री भाई वीरेन्द्र : मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना, एम0एम0जी0एस0यू0वाई0, ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम, आर0आर0एस0एम0पी0 अंतर्गत लगभग 2200 करोड़ की अधियाचना भुगतान हेतु लंबित है तो माननीय मंत्री जी यह बताएं कि यह राशि कब तक डिवीजनों को उपलब्ध करा देंगे ?

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को और सदन को भी सूचित करना चाहेंगे कि जब ये प्रश्न आया था उसके तुरंत बाद हमें राशि उपलब्ध हुई और उसमें से करीब 1200 करोड़ से ज्यादा राशि दे दी गई डिवीजन्स में और इसके अतिरिक्त जो राशि हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट से मुहैया कराई गई है उसपर हमलोग कार्य कर रहे हैं कि सभी जगह, सभी डिवीजन्स में पैसे उस बेसिस पर जायं ताकि सभी जगह जहां काम रुके हुए हैं या काम पूरे नहीं हैं तो वे शुरू हों। तो यह एक सतत् प्रक्रिया है और जिसमें विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काम कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से इस विभाग की समीक्षा की और जो दिशा–निर्देश दिए हैं उसपर हमलोग काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे। श्री सतीश कुमार साह

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : इन्होंने 1200 करोड़ दिया, ये 500 करोड़ जवाब दिया है।

अध्यक्ष : और दिया जायेगा, भाई वीरेन्द्र जी, उन्होंने कहा है मिलेगा।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, ये लोकहित का मामला है।

अध्यक्ष : सही बात है, भाई वीरेन्द्र, बैठ जाइये, प्लीज।

(व्यवधान)

बिल्कुल ध्यान दिया जायेगा। बैठ जाइये, सहयोग कीजिए।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–159 (श्री सतीश कुमार साह, क्षेत्र सं0–40, लौकहा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, (1) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का छूटे हुए बसावट के तहत T02 To Kukurdaura MR Road to Dudhaila Madhya Tol के नाम से सर्वे किया गया है जिसका सर्वे आई डी 93871 है। दुधैला गाँव के वार्ड संख्या–11 एवं 12 में रामचन्द्र साह का घर उक्त सर्वे कराये गये पथ के किनारे अवस्थित है। निधि की उपलब्धता, प्राथमिकता एवं तकनीकी संभाव्यता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

(2) खंड–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

(3) खंड–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

श्री सतीश कुमार साह : महोदय, उक्त सड़क में कीचड़ काफी जमा रहने के कारण उक्त गांव की आम जनता का आवागमन पूर्णतः बाधित है, कृपया सड़क को चलने लायक बना दें।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का कहना सही है, हमने सर्वे रिपोर्ट मंगाया है जोकि इनके जवाब में हमने दिया है तो निधि की उपलब्धता और प्राथमिकता के आधार पर हम इसे पूरा करायेंगे कि इनका कहना सही है कि इस सड़क की हालत ठीक नहीं है और वो सारा मैप हमने बनाकर रखा हुआ है तो हमलोग शीघ्र करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है, आपने सुना होगा जवाब माननीय मंत्री जी का, जल्द ही काम पूरा किया जायेगा, बैठ जाइये।

तारांकित प्रश्न संख्या–160 (श्री मंजीत कुमार सिंह, क्षेत्र सं0–100, बरौली)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्णित मामला गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली एवं माँझा प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 2025–26 में MGSY योजना के तहत चार बिन्दुओं पर पुल निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने से संबंधित है जो निम्नलिखित है–

(1) लड़ौली से गोरेयाकोठी जाने वाली पथ में धवस्त स्क्रू पाईप पुल के स्थान पर नया पुल का निर्माण एवं माँझा प्रखण्ड अंतर्गत पथरा और कर्णपुरा के बीच पुल निर्माण हेतु ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल गोपालगंज–2 को उपर्युक्त दोनों पुल के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु सैद्धांतिक सहमति संबंधित अनापत्ति प्रदान की जा चुकी है। संबंधित संरचना के रूपांकण एवं आलेख्य संबंधित अभिलेख प्राप्त होते ही अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत कर दिया जाएगा।

(2) धनकर हरिजन टोला एवं बीन टोली के बीच सारण मुख्य नहर के 36.43 कि०मी० पर पुल निर्माण हेतु ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल गोपालगंज–2 के पत्रांक 542 दिनांक 15–04–2026 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की माँग की गई है। उक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है जिसे शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।

(3) सारण मुख्य नहर के 37.20 कि०मी० पर ग्राम बहोराहाता के पास प्रस्तावित पुल को स्थान परिवर्तन कर सारण मुख्य नहर के कि0मी0 38.23 (माँझा) पर प्रतिस्थापित किया जाना है, जिसकी सूचना ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल गोपालगंज–2 द्वारा दी गयी है। उक्त से संबंधित अनापत्ति प्रमाण–पत्र का प्रस्ताव प्राप्त होते ही यथाशीघ्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने की कार्रवाई पूर्ण कर ली जायेगी।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है और माननीय मंत्री जी ने मांझा और बरौली के वित्तीय वर्ष–2025–26 में एम0एम0जी0एस0वाई0 योजना के तहत चार पुल के निर्माण के संबंध में, एन0ओ0सी0 के संदर्भ में महोदय उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो सारण मुख्य नहर है उस नहर पर आज से एक वर्ष पहले निविदा प्रकाशित की गई, एग्रीमेंट भी हो गया, संवेदक भी नियुक्त हो गए लेकिन महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग को जल संसाधन विभाग के द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गई लेकिन पी0डब्लू0डी0 कोड के सैक्शन 122 में स्पष्ट उल्लेख है कि योजना के प्रशासनिक अनुमोदन के साथ रिपोर्ट, प्राक्कलन, नक्शा, ड्राइंग, डिजाइन का ब्योरा आर0डब्लू0डी0 द्वारा जल संसाधन विभाग को एन0ओ0सी0 प्राप्त करने के लिए भेजा जाना था और 10 महीने में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ड्राइंग और डिजाइन करके नहीं भेजी गई, जल संसाधन विभाग को जिसके कारण जल संसाधन विभाग के द्वारा एन0ओ0सी0 नहीं दी गई। अध्यक्ष महोदय, इसी में माननीय मंत्री जी के स्तर से जवाब आया है उसमें मेरा पथरा और कर्णपुरा के बीच पुल निर्माण से संबंधित उत्तर उपलब्ध नहीं है।

(क्रमशः)

टर्न–4 / मुकुल / 22.07.2026

क्रमशः

श्री मंजीत कुमार सिंह : और तीसरा महोदय जो मांझा में सारण मुख्य नहर 38–23 आर0डी0 पर पुल प्रतिस्थापित किया जाना है, उसका भी एन0ओ0सी0 महोदय 10 महीने से ग्रामीण कार्य विभाग में रुका हुआ है, जिसके कारण जल संसाधन विभाग के द्वारा एन0ओ0सी0 नहीं दी जा रही है, निविदा है, एग्रीमेंट है सर, जिसके कारण कार्य नहीं हो पा रहा और विकास प्रभावित है । माननीय मंत्री जी से हम चाहते हैं कि ग्रामीण कार्य विभाग से पहल करके शीघ्र प्रक्रिया पूरी करा ली जाए ताकि चार महत्वपूर्ण पुल हमारे क्षेत्र का निर्माण हो सके ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये, आपकी सारी बातें आ गयी हैं । माननीय मंत्री महोदय।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ही जल संसाधन विभाग की तरफ से स्थिति स्पष्ट कर दी है कि जल संसाधन विभाग के पाले में कुछ भी लंबित नहीं है । हमलोग जो अनापत्ति प्रमाणपत्र देते हैं, दो किस्त में देते हैं, एक तो जो सैद्धांतिक सहमति देते हैं, फिर वे लोग डिटेल डी0पी0आर0 बनाकर देते हैं उसके बाद देते हैं क्योंकि महोदय, आपलोग ने और पूरे सदन के सभी सदस्यों ने देखा होगा कि कभी–कभी नहर पर पुल बनते हैं और सही स्पेशिफिकेशन से नहीं बनने पर ध्वस्त हो जाते हैं तो वह स्थिति अच्छी नहीं होती है, इसलिए हमलोगों ने उसके लिए मानक तय किये हैं और उसके हिसाब से जो माननीय सदस्य को भी मालूम है, क्योंकि

उन्होंने अपने पूरक पूछने के क्रम में सारी चीजों की मतलब चर्चा कर दी है तो यह जरूर है कि हम अपने विभाग की तरफ से भी ग्रामीण कार्य विभाग को इसमें त्वरित निष्पादन के लिए कहेंगे कि वे डी0पी0आर0 दे दें बल्कि हम तो अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सभी विभागों को कहना चाहते हैं कि जब भी अनापत्ति प्रमाणपत्र लें तो डी0पी0आर0 के साथ दे दें तो हमलोग एक ही बार में मतलब अंतिम अनापत्ति प्रमाणपत्र दे देंगे, दो किस्तों में देने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : इतना स्पष्ट जवाब हो गया ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : मेरा एक प्रश्न है ।

अध्यक्ष : आप तीन प्रश्न पूछ चुके हैं ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, नहीं मैं एक ही बात पूछा हूं । एक ही बार में हम पूछ दिये हैं हुजूर ।

अध्यक्ष : ठीक है, लास्ट प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं, जो बिहार सरकार नदी घाटी योजना 1971 का है, उस योजना के तहत गंडक नहर प्रणाली में पुलों के उपबंध के मापदंड बनाये गये, वह 55 वर्ष पहले के कानून बने हुए हैं । महोदय, अब नहर के किनारों पर आबादी बस गयी, नहरों का पक्कीकरण हो रहा है, नहरों के बगल में सड़कों का निर्माण हुआ और अगर डी0पी0आर0 वहां बनकर चल गया तो 1971 के नियमों का हवाला देते हुए महोदय उन जगहों पर पुलों के निर्माण पर रोक लगा दी गयी, इस नियम को भी अध्यक्ष महोदय, यह परिवर्तन करने की आवश्यकता और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि 1971 की नदी घाटी योजना का जो विभाग के स्तर से बनाया गया है नियम, उस नियम को परिवर्तित करने की कृपा करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय सदस्य से चर्चा कर लेंगे, उस नियम को देख लेंगे । अगर जनहित में उसमें संशोधन की आवश्यकता होगी तो विभाग या सरकार को कोई एतराज नहीं होगी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–161, श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र सं0–87, जाले)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ, वर्तमान में सिमरी से सिंहवाड़ा पथ ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व में है, जिसकी लम्बाई 5.25 कि0मी0 एवं चौड़ाई 3.75 मी० है।

उक्त पथ को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

उक्त पथ के हस्तगत होने के पश्चात् तकनीकी संभाव्यता (Technical Feasibility), संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पथ के चौड़ीकरण पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, ये विभाग के अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी को संतुष्ट करने का पूरा उत्तर दिया है, लेकिन इस उत्तर को महोदय पढ़ा जाए इसमें दो इंटर कॉलेज है, इस पर एक बालिका उच्च विद्यालय है, एक बालक उच्च विद्यालय है, एक प्रखंड कार्यालय है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, पावर ग्रिड है, ये सब महत्वपूर्ण चीज इसी सड़क के ऊपर है और इनके पहले वाले माननीय पथ निर्माण मंत्री जी ने इसकी फिजिब्लिटी रिपोर्ट मंगाई थी, इसकी उपयोगिता को समझते हुए और ये उत्तर तो हेतु–हेतु मध्यभूत में दिया हुआ है कि उक्त पथ को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, कब की जा रही है? किस दिनांक, पत्रांक से की गयी है, कब ग्रामीण कार्य विभाग से मांगा गया है, कब ग्रामीण कार्य विभाग इसको हस्तांतरित करेगा पथ निर्माण विभाग में ? यह इस उत्तर में स्पष्ट होना चाहिए पहला और दूसरा इसमें बताया गया है कि उक्त पथ के हस्तगत होने के पश्चात् तकनीकी संभाव्यता, जो प्रक्रिया है वह मान लीजिए करेंगे, इसको चौड़ीकरण का भी स्पष्ट आश्वासन इसके अंदर पथ निर्माण विभाग में लेकर के इसको चौड़ीकरण करना है, चूंकि सरकार की सभी ऑफिस कार्यालय इसी सड़क पर है इसको तो बहुत पहले पथ निर्माण में लेकर के इसका चौड़ीकरण करना चाहिए था और मात्र सवा पांच किलोमीटर का रोड है, बहुत संसाधन भी इसमें नहीं लगना है, इसलिए मेरा दूसरा सवाल है कि इसको कब तक पूरा कर देंगे, स्पष्ट उत्तर माननीय मंत्री जी का आना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक महीना पहले इनके क्षेत्र में गये थे और बड़ा साईन बोर्ड लगवाकर खूब सुंदर सा शिलान्यास किये थे, कार्यारंभ किये थे, बहुत लम्बी सड़क थी और इनके क्षेत्र में गये हैं और जो इन्होंने कहा है, इनका हम सब बात मान रहे हैं कि ये विभाग ने जो है, जो अभी दिनांक, पत्रांक नहीं दिया है लेकिन महोदय.....

(व्यवधान)

महोदय, एक मिनट । मैं पथ निर्माण संबंधी जो भी क्वैश्चन आने वाला, माननीय सभी सदस्य पूरे बिहार के 243 सदस्य को कहना चाहता हूं कि आप क्वैश्चन न करके चूंकि सरकार का समय जायेगा, आप मुझसे मिलकर आप आयें।

(व्यवधान)

एक मिनट । मैं आश्वस्त करता हूं ।

अध्यक्ष : अच्छी राय है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : मैं आश्वस्त करता हूं कि हम आपका सब काम करेंगे, लेकिन ये विभाग के जो 201 क्वैश्चन आया है महोदय और मैंने अभी सरकार का यहां पर और हमारा जो उप चुनाव हो रहा है महोदय उसमें भी लगे हुए हैं, उसकी वजह से थोड़ा इस विभाग को मैं नहीं देख पाया, लेकिन आश्वस्त करता हूं कि इसको जल्दी ही आपका, इसी वित्तीय वर्ष में हम आपका बना देंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–162, श्री प्रमोद कुमार सिन्हा (क्षेत्र सं0–10, रक्सौल)</u>

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय,....

अध्यक्ष : यह पर्यटन विभाग में ट्रांसफर हो गया है । बैठ जाइये प्रमोद बाबू, यह पर्यटन विभाग में ट्रांसफर हो गया है, इसका जवाब बाद में आ जायेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–163, श्रीमती अनीता (क्षेत्र सं0–239, वारिसलीगंज)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि नवादा जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ, बागी–बरडीहा–बरबीघा पथ एस0एच0–83 के 17वें कि0मी0 के सरकट्टी मोड़ से प्रारम्भ है । इस पथ के 9वें कि0मी0 काशीचक से ब्रांच रोड प्रारम्भ होती है, जो पकरीबरावां–वारिसलीगंज पथ के 6ठे कि0मी0 में चातर मोड़ से मिल जाती है। पथ की कुल लम्बाई 16.70 कि0मी0 है ।

इस पथ के कि0मी0 0.00 सरकट्टी से कि0मी0 10.00 काशीचक के पथांश की चौड़ाई 3.05 मी0 एवं कि0मी0 10.00 से कि0मी0 16.70 चातर पथांश की चौड़ाई 3.75 मी0 है । वर्तमान में पथ ओ0पी0आर0एम0सी0–3 के पैकेज सं0–48बी में सम्मिलित है ।

तकनीकी संभाव्यता (टेक्निकल फिजिब्लिटी), संसाधन की उपलब्धता एवं प्रथमिकता के अनुरूप पथ के चौड़ीकरण पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्रीमती अनीता : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था नवादा जिलान्तर्गत हमारे वारिसलीगंज विधान सभा क्षेत्र में तीनों प्रखंड को जोड़ती है जो सड़कें लगभग 24 किलोमीटर सड़क की हमने डिमांड की थी, उसके चौड़ीकरण का, क्योंकि बहुत लोगों को सुविधा भी मिलेगी और आये दिन जो हादसा होता है वह भी रुकेगा । अध्यक्ष महोदय, हमें उत्तर जो मिला है वह नॉट–सटिसफैक्ट्री है और सर, मैं बता दूं कि इन्होंने.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्रीमती अनीता : हां, मैं पूछ रही हूं सर । नवादा जिलान्तर्गत प्रखंड काशीचक एवं पकरीवरावां को जोड़ने वाली सरकटी मोड़ से बौरी–भट्टा–थालपोश होते चातर मोड़ तक लगभग 24 किलोमीटर सड़क की चौड़ाई काफी कम है, इस सड़क की चौड़ाई कम रहने के कारण भारी वाहनों एवं बसों के परिचालन में काफी परेशानी होती है, सरकार सरकटी मोड़ से बौरी–भट्टा–थालपोश होते चातर मोड़ तक लम्बाई 24 किलोमीटर सड़क को चौड़ीकरण करवाने का विचार रखती है तो कब तक?

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपने उत्तर में देखा होगा, लास्ट में देख लीजिए, अंतिम में ।

श्रीमती अनीता : अध्यक्ष महोदय, मैंने लास्ट में देखा है, इन्होंने जो डाटाबेस एक दिया है,लेकिन..

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अंतिम के 3 लाईन पढ़िए ।

श्रीमती अनीता : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तकनीकी संभाव्यता (टेक्निकल फिजिब्लिटी), संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप पथ के चौड़ीकरण पर आगे कार्रवाई की जायेगी। महोदय, ये आगे जो कार्रवाई की जायेगी यह कब तक ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्पष्ट है और ये ओ0पी0आर0एम0सी0–3 के पैकेज में इसको संख्या–48बी में सम्मिलित भी किया गया है महोदय, यह स्पष्ट मेरे उत्तर में है और टेक्निकल फिजिब्लिटी हम इसका मंगा लेते हैं और आपका जो ये काम है, इसको बहुत जल्द करवा देंगे, क्योंकि आपने जो चौड़ीकरण का मामला उठाया है, हमलोग भी मानते हैं कि उसका चौड़ीकरण होना चाहिए, लेकिन समय थोड़ा देना पड़ेगा, एक–दो महीने में फिजिब्लिटी रिपोर्ट हम मंगायेंगे, उस रोड पर कितना प्रेसर है वह भी देखेंगे, उसके बाद आपका काम करेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–164, श्री रामविलास कामत (क्षेत्र सं0–42, पिपरा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न में वर्णित बसावटों यथा निर्मली वार्ड नं0–01 एवं 04, बेला टोला एवं रामदत्र मंडल का निजी स्कूल को ग्रामीण कार्य विभाग के निम्न पथों से एकल सम्पर्कता प्राप्त है:–

1. निर्मली वार्ड नं0–01 एवं 04 बसावट को नई अनुरक्षण नीति (न्यू एम0आर0–3054), योजना द्वारा निर्मित पथ ''निर्मली से हथवरिया एवं एस0एच0–76 कान्वेंट कटैया पंचायत से निर्मली महादलित टोला तक'' से सम्पर्कता प्राप्त है । उक्त पथ द्वितीय वर्ष के अनुरक्षण अवधि में है ।

2. बेला टोला बसावट को ''सुपौल पिपरा पथ से बलुआ टोला तक मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क पथ योजना (एम0एम0जी0एस0वाई0), योजना द्वारा निर्मित पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । उक्त पथ तृतीय वर्ष के अनुरक्षण अवधि में है ।

3. रामदत्र मंडल का निजी स्कूल बसावट को ''एस0एच0–76 कान्वेंट कटैया पंचायत से निर्मली महादलित टोला तक'' नई अनुरक्षण नीति (न्यू एम0आर0–3054), योजना द्वारा निर्मित पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । उक्त पथ द्वितीय वर्ष के अनुरक्षण अवधि में है ।

प्रश्न में वर्णित पथ पर सभी योग्य बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदत्त रहने के कारण प्रश्नाधीन आरेखन में पथ निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको उत्तर मिला है ?

श्री रामविलास कामत : जी, उत्तर मिला हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री रामविलास कामत : महोदय, हमने जो प्रश्न लाया है, वह मात्र एक सड़क बनाने के लिए है और हमने कहा है कि निर्मली पंचायत के वार्ड नं0–1 और 4 से एक सड़क जाती है, जो एक निजी कॉन्वेंट को भी जोड़ता है और घनी आबादी को भी, आगे एक मुख्यमंत्री सड़क से भी जाकर के जुड़ता है, दूसरे पंचायत को भी जोड़ता है, आवश्यक है छात्र–छात्राओं को पठन–पाठन के लिए जाने में और ग्रामीणों को भी काफी दिक्कत होती है । जवाब में जो आया है अध्यक्ष महोदय, उस पंचायत में जितनी भी सड़क बनी हुई हैं, पहले से बता दिया गया है और पूरा रिफ्रेंस दे दिया गया है कि इससे सम्पर्क है, उससे सम्पर्क, यहां से सम्पर्क है चारों तरफ का दे दिया लेकिन ये जो महत्वपूर्ण सड़क है वार्ड नंम्बर–1 और 4 से होते हुए मुख्यमंत्री सड़क तक जाती है, कच्ची है उसको बनवाने का हमने आग्रह किया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री रामविलास कामत : महोदय, लेकिन बता दिया गया है कि चारों तरफ से सम्पर्क है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये । आपके सवाल का जवाब हो रहा है ।

टर्न–5 / सुरज / 22.07.2026

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट आयी है, जिसका चित्रण भी हमारे पास है। मुख्यतः हमलोगों ने कहा है कि जितनी भी बसावटें हैं, वार्ड हैं सब एकल पथ से जुड़े हुये हैं । इसके बावजूद भी यह जो सड़क, जिसकी माननीय सदस्य बात कर रहे हैं इसकी पुनः हम समीक्षा करवा लेंगे । अगर आवश्यक पड़ा तो हम करेंगे लेकिन यह जरूर बताना चाहेंगे माननीय सदस्य को कि जिक्र हमने सभी सड़कों का इसलिये किया है कि जो सैद्धांतिक रूप से एकल जो संपर्क प्रदान करना था सभी बसावटों को, वह

उससे आच्छादित है । परंतु फिर भी हमलोग इनकी बात की जरूर समीक्षा करेंगे, आवश्यकतानुसार हमलोग कार्रवाई करेंगे । धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0–165, श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र सं0–207, चेनारी(अ0जा0))
(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि चेनारी वितरणी, दुर्गावती दायाँ मुख्य नहर के 3.38 कि०मी० से निकलती है, जिसकी कुल लम्बाई 9.21 कि०मी० है तथा चेनारी लांझी उपवितरणी, चेनारी वितरणी के 3.47 निकलती है, जिसकी कुल लम्बाई 6.30 कि०मी० है।

उक्त नहर में आवश्यकतानुसार नहर संपोषण/मरम्मति कार्य करा कर खरीफ 2025 में अंतिम छोर तक जलश्राव उपलब्ध कराया गया है।

वर्तमान खरीफ सिंचाई मे प्रश्नगत नहरों में अंतिम छोर तक जलश्राव उपलब्ध कराकर सिंचाई सुविधा मुहैया करायी जा रही है।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है ?

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : जी महोदय, जवाब प्राप्त है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिये ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय, हमने जिस वितरणी में एंड छोर तक पानी पहुंचाने की बात की है निश्चित तौर पर हमारे प्रश्न के बाद एंड छोर तक पानी पहुंचाने का प्रयास पदाधिकारियों द्वारा किया गया है लेकिन वितरणी बने हुये करीब 12 वर्ष हो गये और तथाकथित हमारे एरिया के एक बिजुलिया बाबा हुआ करते थे । काफी लंबे समय तक जल संसाधन मंत्री रहें । उन्हीं के समय में यह वितरणी का कार्य हुआ था, खुदाई का कार्य और एलाइनमेंट वहां उल्टा हो गया था । दोनों विरतणी का कार्य एक ही संवेदक को दिया गया था और एलाइनमेंट की वजह से चेनारी वितरणी का जो एलाइनमेंट था उसको लांजी वितरणी में कर दिया गया और लांजी वितरणी वाला एलाइनमेंट चेनारी वितरणी में कर दिया गया । इसकी वजह से आज भी 12 वर्षों के बाद भी वितरणी के एंड छोर तक पानी नहीं पहुंच पाती है । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उसका एलाइनमेंट पुनः दिखवाकर और एंड छोर तक पानी पहुंचाने का कब तक प्रयास किया जायेगा ?

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने दो बातें कही हैं । पहली बात तो कही कि इनके प्रश्न पूछने पर अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है । महोदय यह तो माननीय सदस्य के प्रश्न पूछने का मकसद पूरा हो जाने का संकेत है । यह तो उनका प्रश्न पूछना सफल हुआ । यह तो उनको आनंद की अनुभूति होनी चाहिये । दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि लांजी और दूसरे वितरणी के

एलाइनमेंट में इसका एलाइनमेंट उसका और उसका उसमें हो गया । यह चूंकि प्रश्न में निहित नहीं था इसलिये इसके बारे में तत्क्षण हमारे पास सूचना उपलब्ध नहीं है । लेकिन आप मुरारी जी वह अलग से लिखकर दे दीजिये । हम स्थानीय पदाधिकारी को निदेश देंगे । आपके साथ जाकर वह स्थल पर देख लेगा और आपका कहना अगर उपयुक्त है तो हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं है ।

तारांकित प्रश्न सं0–166 श्रीमती सावित्री देवी (क्षेत्र सं0–243, चकाई)
(लिखित उत्तर)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अस्वीकारात्मक ।

प्रश्न में किसी वित्तीय वर्ष विशेष में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का लाभ देने अथवा किसी लाभुकध्लाभुकों विशेष के संदर्भ में जॉच/कार्रवाई की चर्चा नहीं की गई है ।

प्रश्नगत मामले की जॉच वरीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रखंड–फुल्लीडुमर–सह–निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, बॉका एवं सहायक परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बॉका से करायी गई । जॉचोपरांत प्राप्त संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में बॉका जिला के फुल्लीडुमर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत–सादपुर के विभिन्न वार्डो में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 से आच्छादित रूप से 07 लाभुकों के आवास का स्थलीय जॉच कर लाभुकों एवं परिजनों से पूछताछ की गई । जॉच के क्रम में लाभुकों द्वारा किसी भी अवैध राशि की मांग को खारिज कर दिया गया एवं कहा कि किसी भी कर्मी/पदाधिकारी द्वारा किश्तों के भुगतान के एवज में पैसे की मांग नहीं की गई और न ही उन्होने किसी को अवैध राशि दी है। साथ ही सभी लाभुकों ने नियमानुसार योजनान्तर्गत पूर्ण राशि प्राप्त कर आवास का निर्माण कर लिया है।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है न ?

श्रीमती सावित्री देवी : जी महोदय ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिये ।

श्रीमती सावित्री देवी : महोदय, उत्तर तो मिला है लेकिन संतोषजनक, जांच सही नहीं हुआ है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का जो प्रश्न है विस्तार से हमने उत्तर दिया है और सात लाभुकों का जांच भी कराया है । अगर माननीय सदस्या संतुष्ट नहीं हैं तो जिससे पुनः जांच कराने के लिये कहेंगे, उस अधिकारी से जांच करा देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0–167 श्री राजू तिवारी (क्षेत्र सं0–14, गोविन्दगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्राप्त अभ्यावेदन जांच हेतु विभागीय पत्रांक–9775, दिनांक–02.07.2026 से आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को जांच कार्रवाई का निदेश दिया गया है ।

पुनः विभागीय पत्रांक–10686, दिनांक–18.07.2026 से स्मारित किया गया है, प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी ।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है । प्रश्न यह था मेरा कि पूर्वी चंपारण जिला परिषद् की बहुत सारे टाउन एरिया में दुकान बना हुआ है और दुकानों का जो प्राप्त करने, आवंटन करने की जो प्रक्रिया है उस पर मैंने खेद व्यक्त किया था कि ऑफलाइन और ऑनलाइन आज के जमाने में दोनों होना चाहिये । लेकिन वहां पर मिलिभगत करके सिर्फ वहां पर ऑफलाइन है । उसमें कई तरह की शिकायत हमको मिला है । जहां लोग गये दुकान के आवंटन के लिये पैसा जमा करने कुछ जो शुरूआती दौर में जमा होता है, वह नहीं लिया गया । तों मैं मंत्री जी मिलकर भी आग्रह किया था । आप देखिये, इनके उत्तर में है कि 02.07.2026 को भी यह तिरहुत प्रमंडल, आयुक्त से जांच के लिये मांगे हैं, उसका जवाब तक नहीं आया है। फिर माननीय मंत्री जी 18.07.2026 को भी एक लेटर भेजे, उसका भी जांच अभी तक नहीं आया है । मैं मंत्री जी से यही चाहता हूं कि जिला परिषद् की दुकानें जो आवंटन होगी आमलोगों को जैसे–रक्सौल में है, सुगौली में है, हमारे यहां अरेराज मलाही । एक तो रोड के किनारे बना दिया जा रहा है । खैर बन गया वह भी लेकिन आवंटन में कम से कम पारदर्शिता हो । ऑफलाइन आज के जमाने में नहीं है, ऑनलाइन होना चाहिये । ऑनलाइन रहेगा तो सारे लोग आवेदन करेंगे और उसमें जो मानक होगा उसके अनुसार वह प्राप्त करेंगे । हम मंत्री जी से मिलकर भी आग्रह किये हैं लेकिन आज तक इनका जांच रिपोर्ट नहीं आया है । तो हम यही आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि इसको पारदर्शी रूप से करके व्यापक तरीके से मानक के अुनसार प्रचार–प्रसार करके लोगों को आवंटन करा जाए । यह बताने का कष्ट करें ।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : महोदय, जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं उत्तर में भी दिया गया है कि जांच की रिपोर्ट मांगी गयी है । जांच का रिपोर्ट आ जायेगा तो उसके उपरांत निविदा प्रक्रिया में जो भी कमी पायी जायेगी उसको ठीक करने के लिये जो भी जरूरी कार्रवाई होनी है, वह की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों करवा दीजिये ।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : ठीक है महोदय ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, एक और प्रश्न । ये दो बार तो जांच करवा लिये । ये देखिये अपने उत्तर में लिखे हुये हैं कि 02.07.2026 में एक लेटर भेजे हुये हैं ।

अध्यक्ष : अब हो जायेगा ।

श्री राजू तिवारी : जिसका आज तक नहीं आया । फिर उसके बाद 18.07.2026 को भेजे हैं ।

अध्यक्ष : अब पक्का हो जायेगा, विश्वास कीजिये ।

श्री राजू तिवारी : यह ऑनलाइन करा दें, फिर से करवा दें । बहुत–बहुत धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : हम गारंटी दे रहे हैं न । बैठिये हो जायेगा ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : महोदय, पूरे बिहार में...

अध्यक्ष : श्रीमती बेबी कुमारी ।

श्रीमती बेबी कुमारी : अध्यक्ष जी, पूछती हूं ।

अध्यक्ष : बात आ गयी है बब्लू बाबू ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : महोदय, पूरे बिहार की...

अध्यक्ष : बात आ गयी है । राजू बाबू ने सारी बातों को रखा है । बैठ जाइये । श्रीमती बेबी कुमारी ।

तारांकित प्रश्न सं0–168 श्रीमती बेबी कुमारी (क्षेत्र सं0–91, बोचहां (अ0जा0))

श्रीमती बेबी कुमारी : अध्यक्ष महोदय, पूछती हूं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : महोदय, हंड्रेड परसेंट उत्तर आनलाइन हो चुका है लेकिन माननीय सदस्या अगर पूछती हूं, कह रही हैं तो मैं बता देता हूं । हार्ड कॉपी भी दिये हैं महोदय।

वस्तुस्थिति यह है कि NH–77 शहीद प्रमोद द्वार से माधोपुर सुस्ता ग्रामीण कार्य सड़क सहित कुल 5 सड़कों जिसकी लम्बाई 5.35 कि०मी० है, को पथ निर्माण विभाग में दिनांक–29.05.2026 को हमारे माननीय मंत्री सुनील बाबू ने इसको हस्तांतरित किया है। ग्रामीण कार्य विभाग का यह सड़क था । पथ निर्माण विभाग के ज्ञापांक–8172 (S) दिनांक–25.09.2025 द्वारा 2959.61 लाख (29 करोड़ 59 लाख 61 हजार रूपये) के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है, मुख्यमंत्री जी ने किया है । निविदा आमंत्रित की जा चुकी है और दिनांक–26.08.2026 को अंतिम तिथि है । इनका जैसे ही निविदा की अंतिम तिथि समाप्त होगा, काम अवार्ड करके इनका शुरू करवा देंगे ।

श्रीमती बेबी कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि रोड काफी खराब है, जितना जल्दी हो बना दें और बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय मंत्री जी को ।

तारांकित प्रश्न सं0–169 श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र सं0–171, अस्थावाँ)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक ।

2. स्वीकारात्मक ।

3. विषयांकित पुल की निविदा निष्पादन की जा चुकी है। चूँकि पुल एक Complex सरंचना है, अतएव सुरक्षा के दृष्टिकोण से 15 मी0 से अधिक लम्बाई सभी पुलों के निरूपण (Design) की जाँच वरीय पुल सलाहकार/तकनीकी परामर्शी द्वारा कराई जा रही है। तदोपरांत पुल निर्माण कार्य पर यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

श्री जितेंद्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, अस्थावाँ विधान सभा क्षेत्र के कतरीसराय प्रखंड के तरौनी गांव में वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुंशी नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी और निविदा भी हो चुका है और संवेदक तय भी हो चुके हैं । लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी आज तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो महोदय हम यह जानना चाहते हैं कि कार्य कब से आरंभ होगा ?

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी समीक्षा भी हमने की थी जब यह प्रश्न आया था और 19.40 मीटर यह पुल की लंबाई है और उसमें डिजाइन में कुछ कमियां थी । हम माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगले डेढ़ से दो महीने में यह शुरू हो जायेगा ।

श्री जितेंद्र कुमार : महोदय, कहना है कि जो बनाया गया है तकनीकी पुल सलाहकार उन्हें फरवरी 25 में लिखा गया है कि आप पुलों की जांच, डिजाईन की जांच करके भेजें । महोदय, अभी सैकड़ों पुल के डिजाइन की जांच कर रहे हैं सालभर से और रिपोर्ट नहीं आ रहा है जिसके कारण पुल का निर्माण नहीं हो सका है । तो महोदय, इस पुल का जांच कब तक करके भेजेंगे ताकि...

अध्यक्ष : डेढ़ माह में मंत्री जी ने कहा है । मंत्री जी दुबारा बता दीजिये ।

टर्न–6/धिरेन्द्र/22.07.2026

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ग्रामीण पुल पूर्व में बनाये जाते रहे हैं तो उसमें कुछ कमियां पायी गयी हैं । इसलिए अलग से पुल निर्माण को लेकर एक सेल बनाया गया है जिसमें अच्छे पदाधिकारी हैं और ये काफी संख्या में थी लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एक से डेढ़ महीने के अंदर, उसको हमने बुलाकर देखा है, हम उससे पहले ही शुरू कर देंगे । धन्यवाद ।

श्री जितेंद्र कुमार : महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि डिजाइन जो बनाया गया है वह कुछ गड़बड़ है तो बनाने वाले जो अभियंता हैं वे सक्षम नहीं हैं क्या ? यह हम जानना चाहते हैं ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, ऐसी बात है कि डिजाइन का जो फैब्रिकेशन होता है पुल वगैरह का, पूर्व में ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा उसका पाइलिंग, स्वायल का, बाकी जो अर्हताएं हैं, उसको उतना सुक्ष्म तरीके से नहीं देखा जा रहा था । इसलिए वहां पर एक सेल अलग से मेरे पूर्व बनाया गया था जो इसकी समीक्षा कर रहे हैं, इस वजह से यह देरी हुई....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये । मंत्री जी का जवाब हो रहा है । आप वरिष्ठ सदस्य हैं, बैठ जाइये ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : और मैंने तो आश्वस्त किया ही है । हमने आपको आश्वस्त किया है कि यह कार्य पूरा होगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री खड़े होकर रिप्लाई दे रहे हैं, सुन लीजिये पुरी बातों को, उसके बाद पूछियेगा, हम आपको मौका देंगे । आप पहले बैठ जाइये, अनुशासन में रहिये, मंत्री जी खड़े हैं । जितेंद्र जी, आप एक सीनियर मेंबर हैं, आपको पूरक पूछने का हमने मौका दिया, मंत्री का जवाब हो रहा है तो बैठना चाहिए था, कम–से–कम अनुशासन सीखिये । माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, इन्होंने कार्रवाई के बारे में कहा तो उसमें कई ऐसे और भी पुल थे जिसमें स्ट्रेंथनिंग की जरूरत थी, उसको पूरा किया जा रहा है, हो सकता है राशि भी बढ़े । इस वजह से यह विलंब हुआ है । विलंब काफी हुआ है इसे हम मानते हैं लेकिन हमने यह भी आश्वस्त किया है कि अगले एक–डेढ़ महीनों में हमलोग इसको पूरा करेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–170, श्री भीषम प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या–106, जीरादेई)</u>

अध्यक्ष : आपका प्रश्न जल संसाधन विभाग में ट्रांसफर हो गया है । अगली तिथि को आयेगा । बैठ जाइये ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–171, श्री रजनीश कुमार (क्षेत्र संख्या–143, तेघड़ा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत प्रश्नगत पुल के उत्तर तरफ ग्रामीण कार्य विभाग का पथ है एवं दक्षिण तरफ दियारा क्षेत्र है । उक्त स्थल पर गंगा नदी दो भागों में विभक्त है ।

नदी के बीच के दीयारा क्षेत्र में जाने के लिए प्रथम भाग को पार कर जाना होगा । रबी के मौसम में प्रथम भाग की चौड़ाई घटकर लगभग 950 मी0 हो जाती है ।

उक्त भाग पर पीपा पुल के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप पीपा पुल के निर्माण पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री रजनीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने स्थल पर सर्वे करा कर उसके वस्तुस्थिति को उत्तर में लाया है लेकिन उन्होंने एक चीज उत्तर में दिया है कि संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी तो प्राथमिकता के विषय पर मैं आपके माध्यम से सदन को और माननीय मंत्री जी और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि यह विषय और यह पुल किसानों के हित में है, यह कोई सामान्य आवाजाही का पुल नहीं है । लगभग 40–50 हजार एकड़ जमीन और लगभग ऐसे ही 20–25 हजार किसानों की यह जमीन गंगा के उस पार है और वहां के लोगों का जिसका जिक्र मैंने प्रश्न में किया है, लगभग दर्जनों भर गांव हैं जिसकी आजीविका का एकमात्र साधन कृषि है और रबी की फसल गंगा के उस पार जाकर बोआई करते हैं, ट्रैक्टर से दौनी कर लाते हैं तो सरकार इसको प्राथमिकता के आधार पर लें । किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील है और इसलिए मैं चाहता हूँ, विशेषकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इसको प्राथमिकता के आधार पर लेकर, बहुत दिनों से यह मांग थी उस क्षेत्र में और उस दियरा क्षेत्र के लिए यह पीपा पुल एक वरदान साबित होगा। इसलिए चालू वित्तीय वर्ष में क्या माननीय मंत्री जी इसको करा देंगे ? मैं यह जानना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का किसानों के प्रति बहुत ही स्पष्ट निर्देश है कि जो भी प्रश्नागत हमारे माननीय सदस्य करें, महोदय, हमारे रजनीश जी ने हमें फोन भी किया था और मैंने स्थल निरीक्षण भी करवाया था चूंकि इनका पीपा पुल का विषय है । अभी बाढ़ आ गया है तो इस वित्तीय वर्ष में काम कैसे होगा । इसकी पूरी तैयारी हमने कर ली है, अगले बाढ़ आने के पहले इनके सारे किसान उस पीपा पुल से जायेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–172, श्री इन्द्रदेव सिंह (क्षेत्र सं0–110, बड़हरिया)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न तीन पथों से संबंधित है, जिसकी स्थिति निम्नवत् हैः–

1. प्रखंड मुख्यालय बड़हरिया से लेकर खोडीपाकड़ तक जाने वाला पथः— यह पथ पीएमजीएसवाई (PMGSY) योजना अंतर्गत बड़हरिया से जामो पथ का पथांश है । उक्त पीएमजीएसवाई (PMGSY) पथ की लंबाई 11.360 कि0मी0 है। पथ दिनांक—25.03.2026 को अनुरक्षण अवधि से बाहर हो गया है।

2. परमा मोड़ (बड़हरिया) से बहादुरपुर बाजार तक पथः— यह पथ MR3054 (OLD) योजना अंतर्गत नवलपुर से रामपुर (भोपतपुर) पथ का पथांश है। उक्त MR3054 (OLD) योजना अंतर्गत पथ की लंबाई 6.00 कि0मी0 है। वर्तमान में यह पथ दिनांक—21. 11.2023 को अनुरक्षण अवधि से बाहर हो गया है।

उक्त दोनों पथों का ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP) के तहत प्राक्कलन तैयार कर निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

3. हनुमान मोड (बंजरिया) से बीबी के बंगरा तक पथ पचरूखी प्रखंड अन्तर्गत शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क (अवशेष) योजना अन्तर्गत हनुमान मोड़ बाजार से बीबी के बंगरा नाम से स्वीकृत है, जिसकी लम्बाई—1.925 कि0मी0 है। सभी अनजुड़े बसावटों को एकल सड़क सम्पर्कता प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की गई है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (MMGSY), राज्य योजना (NABARD), ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना (GTSNY), इत्यादि। पूर्व में सभी 500 से अधिक आबादी वाले अनजुड़े बसावटों को सम्पर्कता प्रदान की गई तदोपरांत 250 से अधिक आबादी वाले बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान की गई। वर्त्तमान में 100 से अधिक आबादी वाले अनजुड़े बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान करने के लिए सरकार दृढ़संकल्पित है। मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) (MMGSY-Awsesh) अन्तर्गत ऐसे 11020 बसावटों को एकल सम्पर्कता चरणबद्ध तरीके से प्रदान किए जाने का लक्ष्य है।

वित्तीय वर्ष 2025—26 एवं 2026—27 में प्राप्त बजट के आधार पर स्वीकृति के उपरांत निविदा निष्पादन किया गया है। दिनांक—29.04.2026 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या—1722, दिनांक—08. 05.2026 द्वारा योजनावार निविदा किये जाने का निर्णय लिया गया है। शेष बचे निविदा एवं बसावटों की स्वीकृति एवं निविदा निष्पादन उपलब्ध राशि के आधार पर योजनावार की जा सकेगी।

श्री इन्द्रदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे सड़क का जवाब आया है परंतु इसमें है कि निविदा होगा लेकिन मेरा आग्रह है कि उस पथ में उच्च विद्यालय है । स्मार्ट क्लास का उद्घाटन होने वाला था तो उसमें हम गये थे, उस रास्ते पर दो फीट पानी लगा हुआ है । एक बच्ची गिर गई थी, हमको दिखा रही थी, हम बहुत शर्मशार हो रहे थे उस रास्ते को

देखकर । दूसरा सड़क है परमा मोड़ से बहादुरपुर तक, उस सड़क में गैस एजेंसी है और गैस एजेंसी में लोग मोटर साईकिल से सिलेंडर लेने जाते हैं । उस सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि लोग सिलेंडर सहित मोटर साईकिल से गिर जाते हैं ।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि उस सड़क को जल्द–से–जल्द बनवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है और उस रोड की स्थिति वाकई में काफी जर्जर है और जो स्कूल तथा गैस एजेंसी की बात उन्होंने कही है, हमारे रिपोर्ट में भी है । इस वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के तौर पर उसे हमलोग पूरा करेंगे, उन्हें आश्वस्त करते हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–173, श्री देवेशकान्त सिंह (क्षेत्र सं0–111, गोरेयाकोठी)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सिवान जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ जामो बाजार (SH-96) से दिघवा दुबौली (SH-90) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का प्राक्कलन केन्द्रीय सड़क एवं अवसंचरना निधि (CRIF) अन्तर्गत स्वीकृति हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से विभागीय पत्रांक–350 (एस), दिनांक–18.01.2026 द्वारा अनुरोध किया गया है। पुनः विभागीय पत्रांक–4877 (एस), दिनांक–18.07.2026 द्वारा स्मार भेजा गया है।

CRIF से योजना की स्वीकृति के उपरान्त प्रश्नगत पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

श्री देवेशकान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो प्राप्त है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा । उनका कहना है कि हमने पत्राचार किया है लेकिन इसमें मेरा यह स्पष्ट कहना है कि इनके पूर्व माननीय पथ निर्माण मंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उस समय इसका निविदा भी हो गया था तो ऐसी क्या स्थिति हो गई थी कि निविदा कैंसिल हो गया और फिर पत्राचार करना पड़ रहा है। यह दो स्टेट हाइवे और एक नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है एस॰एच॰–90 और एस॰एच॰–96 को और इसके हो जाने से सिवान, छपरा, गोपालगंज तीनों जिला के, अभी माननीय शिक्षा मंत्री नहीं हैं उन्होंने इसको जब वे 2015–20 में विधायक थे तब से यह प्रश्न उठ रहा है और पिछली बार यह निविदा भी हो गया था तो मैं मंत्री महोदय से आग्रह भी करूंगा कि यह सी॰आर॰आई॰एफ॰ फंड से बनना है, इसके लिए इन्होंने कहा है कि 18.07.2026 को फिर से स्मार पत्र भेजा गया है तो 18.07.2026 का मतलब है कि आज से तीन–चार दिन पहले स्मार पत्र भेजा गया है और उसके पहले 18.01.2026 को भेजा गया था। हमलोगों

के चुनाव के पहले निविदा हुई थी तो इतना डिफरेंस हो जा रहा है, क्या लगातार 15–20 दिन पर स्मार–पत्र का जवाब लेकर, यह सड़क चूंकि तीन जिलों को जोड़ने में काम करेगा । मेरा मंत्री जी से इस पर विशेष रूप से आग्रह है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सारी बात आ गयी है, अब बैठ जाइये । माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस सड़क के लिए स्वयं भी बहुत प्रयास किये हैं, उसका मेरे पास प्रमाण है । वस्तुस्थिति यह है कि सिवान जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ जामो बाजार (SH-96) से दिघवा दुबौली (SH-90) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का प्राक्कलन केन्द्रीय सड़क एवं अवसंचरना निधि (CRIF), एक केन्द्रीय एजेंसी है, वे जानते भी हैं और मैंने स्पष्ट रिपोर्ट दी है, अपने विभाग के अनुरोध पर । चिट्ठी चली गयी है चूंकि इधर चुनाव था, हमलोग उसमें लगे हुए थे, सरकार भी उथल–पुथल थी तो देवेश जी से आग्रह करते हैं कि हम आपके गांव भी गये हुए हैं, इस सड़क को देखे हुए भी हैं तो आपका जो सड़क है उसको हमलोग दिल्ली जाकर करवा देंगे । आप चिंता मत कीजिये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनय कुमार सिंह ।

श्री देवेशकान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । मेरा आग्रह होगा माननीय मंत्री जी से कि वे एक बार जामो चलते और वहां पर घोषणा कर देते कि इसको हमलोग अविलंब बनवा देंगे । सदन में तो उनका जवाब सकारात्मक है लेकिन जामो, सिरसिया, डुमरा, दिघवा, दुबौली में भी चल कर सकारात्मक जवाब दे देते ।

अध्यक्ष : आप मिलकर बात कर लीजियेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–174, श्री विनय कुमार सिंह (क्षेत्र सं0–122, सोनपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ, कुशवाहा चौक से नयागांव बाजार, होते हुए आमी मोड़ तक पुरानी OLD NH–19 का भाग है। इस पथ की लम्बाई 21.70 कि०मी० एवं चौड़ाई 7.00 मी० है, साथ हीं लगभग 2.00 मी० फ्लैंक उपलब्ध है।

इस पथ पर वर्ष 2024 में NHAI Chapara द्वारा OTM (One Time Maintenance) के अन्तर्गत PM (Perodic Maintenance) कार्य कराया गया है, जिसकी DLP (Defect Liability Period) अवधि नवम्बर 2027 तक है। वर्तमान में पथ की स्थिति अच्छी है। तकनीकी संभाव्यता (Technical Feasibility), संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पथ के चौड़ीकरण पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष : आपको उत्तर मिला है ?

श्री विनय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है । पूरक पूछना चाहता था लेकिन नहीं पूछूंगा, इसलिए कि माननीय मंत्री जी ने सदन को इंश्योर किया है कि कोई काम कराना हो तो मिल कर करा लीजिये तो मंत्री जी पर मुझे विश्वास है कि मैं जिस प्रश्न को किया हूँ, उनसे मिलूंगा और काम हो जायेगा। मंत्री जी को धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या–175, श्री रोमित कुमार (क्षेत्र सं0–233, अतरी)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि फल्गु पैमार लिंक योजना के तहत गया जिला अन्तर्गत मानपुर ब्लॉक के बिथो शरीफ ग्राम के पास फल्गु नदी में वीयर का निर्माण प्रस्तावित है।

प्रस्तावित बिथो वीयर के दायें से एक पईन निःसृत है, जो पैमार नदी को जोड़ती है। इसी पईन से नदी के समानान्तर मुख्य नहर निकाल कर नैली पईन सहित फल्गु नदी से निकलने वाली अन्य पईन को पानी उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित वीयर के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में निर्मित सभी सिंचाई योजनाओं के लिये जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित बिथो वीयर योजना हेतु जल उपलब्धता की गणना की जा रही है।

जल उपलब्धता के आधार पर बिथो शरीफ के आस–पास से निःसृत पईन के माध्यम से सिंचाई सुविधा सम्बधित अवयव समाहित करने की संभावना का अध्ययन के पश्चात् डी०पी०आर० तैयार किया जायेगा।

श्री रोमित कुमार : महोदय, मैं पूछा था कि वहां नैली पईन है, पचलख पईन है, बहुत सारा पईन है, उसमें पानी नहीं जा पाता है बिथो बांध के लिए ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिये । उत्तर मिला है न ।

श्री रोमित कुमार : महोदय, उत्तर मिला है लेकिन मैं पूरक पूछना चाहता हूँ । क्या सरकार ने नेशनल वाटर कमिशन एवं नेशनल वाटर पॉलिसी, 2012 के प्रावधानों के अनुरूप फल्गु नदी एवं नैली पईन और आसपास के पईनों के जल प्रभाव, ग्राउंड वाटर डिसचार्ज तथा नदी, पईन तंत्र के पुनर्जीवन का कोई हाइड्रोलिकल और मैथोलॉजिकल स्टडी कराया है यदि नहीं कराया है तो कब करायेंगे ?

सर, एक और प्रॉब्लम है कि पूरे बिहार में जो बालू उठाव का टेंडर होता है उसके लिए भी एक सर्वे होना चाहिए, वैसी नदियां जो डेड हो गई हैं जिसमें अब बालू नहीं निकाला जा सकता है और खासकर बालू फल्गु नदी का एक छोर जो निरंजना है वह तो भगवान बुद्ध के बगल में है तो वहां से कम–से–कम उतना दूर बालू की निकास नहीं हो । इस तरह का पूरे बिहार में रिपोर्ट बननी चाहिए और वैसे बालू उठाव पर भी रोक लगना चाहिए जल संसाधन विभाग के हिसाब से ।

दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि फल्गु नदी में जल स्तर कम होने एवं प्राकृतिक प्रभाव बाधित होने से नैली पईन और अन्य पईन सहित, अन्य परंपरागत सिंचाई प्रणालियां प्रभावित हुई हैं.....

अध्यक्ष : आप लिखित में दे दीजिये ।

श्री रोमित कुमार : ऐसी स्थिति में बिथो बांध के समीप फल्गु नदी पर बैराज निर्माण कराने का कोई डी॰पी॰आर॰ तैयार हो रहा है और वह कब तक होगा ? यह बहुत पुरानी मांग है, सालों से लंबित मामला है ।

अध्यक्ष : सारी बात आ गयी, बैठ जाइये । माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

टर्न–7 / अभिनीत / 22.07.2026

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने तो सकारात्मक जवाब दिया है और जो माननीय सदस्य से आप कह रहे थे, उन सब बातों की एक तरह से हमने इसमें पुष्टि ही की है । आपने कहा कि विभाग ने जल नीति के तहत कोई सर्वेक्षण कराया है । विभाग ने पूरे इलाके का सर्वेक्षण कराया है, इसीलिए थोड़ा वक्त भी लग रहा है । आपको पता है, महोदय, आप भी तो उसी इलाके से हैं, फल्गु नदी कह रहे हैं, फल्गु नदी में पानी कम रहता है, फल्गु को तो कभी पानी के बिना वाली ही नदी मानी जाती थी । यह तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वहां रबर डैम बनाकर फल्गु में पानी लगातार उपलब्ध करा दिया । महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है । हमलोगों ने उसका सर्वेक्षण कराया है, क्योंकि वहां पर फल्गु नदी और पैमार नदी, ये दोनों एक तरह से सामानांतर नदी हैं । दोनों लगभग बराबर रूप से बहती हैं और इस बीच में माननीय सदस्य ने भी ठीक कहा था कि करीब दर्जन भर पईन हैं, जो पुराने सिस्टम से पईन हैं, हमलोग अब नई योजना में इन सबको सम्मिलित करके और आपने जो कहा कि डी0पी0आर0 कोई बनवा रहे हैं, हमलोग डी0पी0आर0 बनवा रहे हैं और डी0पी0आर0 बनवाकर इस काम को हमलोग प्राथमिकता के आधार पर करेंगे ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं ।

माननीय सदस्य श्री विजय सिंह जी, क्या कहना चाह रहे थे बोलिए ।

श्री विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलांतर्गत हमारे बरारी विधान सभा के कुरसेला के तिनरिया गांव में गंगा, कोसी के पानी से काफी कटाव हो रहा है । हजारों हेक्टेयर जमीन कटकर गंगा में प्रवाहित हो गये । अब बस्ती, गांव बचा हुआ है । हम माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग यहां बैठे हुए हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि तुरंत

वहां पर फल्ड फाईटिंग का कार्य जोर–शोर से कराया जाय ताकि आबादी बच जाये और लोगों का जीवन–यापन सही ढंग से चल सके ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनोद नारायण झा जी, क्या कह रहे थे ?

श्री विनोद नारायण झा : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलांतर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र के कलुवाही के निवासी श्री प्रभात रंजन सिंह के पुत्र कैडेट सोमनाथ सिंह शिवम की संदिग्ध परिस्थितियों में टी0एस0 चाणक्या कैंपस, नेरूल, नई मुम्बई के तीसरी मंजिल से गिरकर मृत्यु हो गयी । परिवार एवं समाज हतप्रभ है कि इतने प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान में एक प्रतिभावान छात्र कैसे तीसरी मंजिल से गिर सकता है । इस घटना पर एफ0आई0आर0 कोस्टल पुलिस स्टेशन, नेरूल में करा दी गयी है जिसका नंबर–20/2026 है ।

अतः मैं राज्य सरकार का अपने स्तर से कार्रवाई करने हेतु ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : अब कार्यस्थगन प्रस्ताव लिये जायेंगे ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–22 जुलाई, 2026 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:–

श्री अजय कुमार, स0वि0स0, श्री अखतरूल ईमान, स0वि0स0, श्री रण विजय साहू, स0वि0स0, श्री कुमार सर्वजीत, स0वि0स0, श्री अजय कुमार, स0वि0स0, श्री गौतम कृष्ण, स0वि0स0, श्रीमती करिश्मा, स0वि0स0, श्री शंकर प्रसाद, स0वि0स0, श्रीमती सावित्री देवी, स0वि0स0 ।

श्री अरूण सिंह, स0वि0स0, श्री संदीप सौरव, स0वि0स0 ।

आज दिनांक 22 जुलाई, 2026 को सदन में राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47 (2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

माननीय सदस्यगण, एक आग्रह है कि पढ़ने का मौका दिया जायेगा, लेकिन पढ़ने के बाद चाहिएगा हंगामा करें तो यह अलाउ हम नहीं करेंगे । मेरा आग्रह है..

(व्यवधान)

सुन लीजिए । आप पढ़िए, अनुमति दे रहे हैं, लेकिन पढ़ने के साथ कल आपने क्या किया, मौका पढ़ने का दिया और आपने पूरे हाउस को डिस्टर्ब कर दिया । अतः निवेदन है, अपील है, हमारा यह आग्रह है आप सबों से कि आपको मौका हम दे रहे हैं पढ़िए और पढ़कर सरकार के संज्ञान में लाइये ।

माननीय सदस्य श्री अजय कुमार, पढ़िए ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, सुनिए शांति से ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार से प्राप्त संदिग्ध डाटा के आधार पर राज्य सरकार ने 35.36 लाख राशन कार्ड को रद्द करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री द्वारा भी इसकी पुष्टि की गयी है । पूर्व में जब राशन कार्ड बनाये जा रहे थे उस समय ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 जैसी कोई शर्त नहीं थी जबकि अभी विभिन्न तरह के कार्डों के नाम पर या मामूली कमियों को ढूढ़कर जान–बूझकर राशन कार्ड को रद्द किया जा रहा है । वर्तमान में राज्य में 1.78 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारक हैं और कुल लाभुकों की संख्या 8.20 करोड़ के आस–पास है । पटना जिला में ही लगभग 2.99 लाख राशन कार्ड रद्द किये गये हैं । इसी प्रकार मुजफ्फरपुर में भी 32 हजार 360, अररिया में 17 हजार 439, भागलपुर में 11 हजार 931, समस्तीपुर में 19 हजार एवं दरभंगा में 16 हजार से अधिक राशन कार्ड रद्द हुए हैं, जिसके कारण राज्य के हजारों पात्र एवं गरीब परिवारों के नाम भी सूची से कट गये हैं । इससे उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ रहा है । इतना ही नहीं राशन कार्ड रद्द होने से उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, श्रम कार्ड, पेंशन, पी0एम0 विश्वकर्मा कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित होना पड़ेगा, जिसके कारण गरीबों, पिछड़ों, मजदूरों, छात्रों, किसानों के साथ–साथ आम जनता में भी व्यापक असंतोष एवं आक्रोश है ।

अतः दिनांक–22.07.2026 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर के गरीबों, किसानों, मजदूरों, मध्यम एवं निम्न वर्गीय परिवारों एवं आम लोगों के हितों की रक्षा हेतु जैसे अति लोक महत्व के विषय पर विमर्श हो ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान । पढ़िए ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला निवासी फैज अहमद की हत्या दिनांक– 12.06.2026 एवं सीतामढ़ी निवासी जमिल अख्तर अंसारी की हत्या दिनांक– 19.07.2026 को भीड़ द्वारा पीट–पीट कर, कर दी गयी, किंतु उक्त दोनों मामलों में पुलिस की कार्रवाई संतोषप्रद नहीं रही है । दोनों मामलों में पुलिस द्वारा कहीं एक–दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और कहीं अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हो सकी है । राज्य में एक–दूसरे के प्रति बढ़ते नफरती माहौल से अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिम में भय का माहौल है । इस तरह की घटनाओं से राज्य की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है ।

इसलिए मैं सदन के कार्य को स्थगित करते हुए अति महत्व के विषय पर चर्चा करने की मांग करता हूं ।

सर, इस मामले पर सरकार को निर्देशित किया जाय..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी बातें हो गयीं । आपने कह दिया ।

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग । पढ़िए ।

श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–395 के तहत बिहार राज्य जल विद्युत निगम के वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2020–21 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, शून्यकाल समिति ।

श्री माधव आनंद, सभापति (शून्यकाल समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–211 के तहत ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित प्रतिवेदन संख्या–107, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रतिवेदन संख्या–108 एवं गृह विभाग से संबंधित प्रतिवेदन संख्या–109 की एक–एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रण विजय साहू ।

टर्न–8 / अंजली / 22.07.2026

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसानों से जुड़ा हुआ मामला है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य का किसान आज प्रकृति की मार और शासन की बेरूखी के बीच अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है । हालिया समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में राज्य में 52 से 55 परसेंट सूखे की स्थिति है । 6 जुलाई तक सामान्य 230.1 mm की तुलना में मात्र 103 mm बारिश दर्ज की गई है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रमोद बाबू । आपस में चर्चा नहीं कीजिए ।

श्री रणविजय साहू : पानी के अभाव में एवं सरकार की बेरूखी के कारण 6 जुलाई तक मात्र 4 फीसदी ही धान की रोपनी हो सकी । इस गंभीर संकट से न केवल किसान भुखमरी के शिकार होंगे, अपितु आम जनमानस के लिए भी भुखमरी और गरीबी में चले जाने की पूरी संभावना है ।

अतः अनुरोध है कि दिनांक–22.07.2026 के लिए निर्धारित समस्त कार्य स्थगित कर राज्य में अल्पवृष्टि के कारण उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति एवं किसानों की दुर्दशा जैसे–अति लोक महत्व के विषय पर सदन में तत्काल चर्चा कराई जाए । महोदय ।

अध्यक्ष : बैठ जाइए । बैठ जाइए । अब कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, जो कार्यस्थगन लाया गया है । बिहार राज्य पूरा किसानों का राज्य है । हमलोगों ने सिर्फ सरकार से यही आग्रह किया है कि 2023, उपमुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, इनको याद होगा । यही सेम परिस्थितियां हुई थीं और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने इसकी गहरी चिंता व्यक्त करके किसानों के लिए उन्होंने, जैसे ही सदन में यह बात आई थी, उन्होंने बाहर निकलकर समीक्षा किया पूरे विभाग से और सुखाड़ घोषित करके डीजल सब्सिडी किसानों को दिया था । आज वही परिस्थिति उत्पन्न हुई है । माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम निर्देश दिए हैं कि किसानों को बिजली मिले । आप जिला की समीक्षा करा लीजिए, दो–दो महीने बीत रहे हैं एक भी किसान का कृषि फीडर का ट्रांसफॉर्मर बदलना इतना मुश्किल हो गया है, हमलोग ए0सी0 से लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक भीख मांगते हैं किसानों के लिए कि किसान फीडर को इनका ट्रांसफॉर्मर बदल दीजिए, नहीं बदला जाता है महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अरूण सिंह ।

श्री कुमार सर्वजीत : हम सिर्फ सरकार से इतना ही निवेदन करते हैं कि दो परसेंट मात्र मगध प्रमंडल....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज आप बैठ जाइए । सारी बातें आ गईं । बैठिए । श्री अरूण सिंह जी, आप पढ़िए ।

(व्यवधान)

प्लीज बैठ जाइए । सबको मौका दीजिए । कुमार सर्वजीत जी, विषय आ गया है ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, बिहार में लगातार घटित हो रही हत्या, एनकाउंटर, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर कार्रवाई तथा पुलिसिया दमन की घटनाओं ने राज्य की कानून व्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं जन सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं । नालंदा के राजगीर में पुजारियों द्वारा दो दलित बच्चों की निर्मम हत्या, नालंदा के नगरनौसा में डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर हुए आंदोलन पर पुलिस द्वारा ग्रामीणों की बर्बर पिटाई और फर्जी मुकदमे, भोजपुर के बिलौटी गाँव में भरत तिवारी का पुलिस द्वारा हत्या, पटना के करबिगहिया में बंटी यादव और बिहटा में संजय यादव की हत्या आदि घटनाओं ने पूरे राज्य में भय और असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न कर दिया है ।

इन घटनाओं ने प्रदेश में कानून और न्याय का राज के बजाय पुलिसिया राज और अराजकता की परिस्थिति उत्पन्न कर दी है । जिसमें सरकार के रूख को लेकर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं । यह राज्य की कानून व्यवस्था, सामाजिक न्याय, शिक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही एवं आम जनता के अधिकारों से जुड़े अत्यंत लोक महत्व के विषय हैं ।

अतः अनुरोध है कि दिनांक–22.07.2026 दिन के लिए निर्धारित समस्त कार्य स्थगित कर बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, पुलिसिया दमन, पीड़ित परिवारों को न्याय एवं मुआवजा सहित उपर्युक्त सभी विषयों पर सदन में तत्काल चर्चा कराई जाए ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिए जाएंगे । माननीय सदस्या, श्रीमती छोटी कुमारी ।

शून्यकाल

श्रीमती छोटी कुमारी : अध्यक्ष महोदय, छपरा का डबल डेकर पुल चार वर्षों से बनना था, पर आठ वर्ष बाद भी अधूरा है, यह मुद्दा मैं पूर्व सत्र में भी उठा चुकी हूं, फिर भी सुधार नहीं हुआ, हजारों व्यवसायी आर्थिक संकट और कर्ज से जूझ रहे हैं, सरकार शीघ्र निर्माण पूरा कराकर मुआवजा दिलाए ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिले के जाले प्रखंड में सहनी पासी टोल से चंद्रदीपा मोड़ तक स्वीकृत सड़क का निर्माण 11 वर्षों बाद भी अधूरा है, पुनरीक्षित प्राक्कलन की शीघ्र प्रशासनिक स्वीकृति देकर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए तथा विलंब के लिए उत्तरदायी संवेदक एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए ।

श्रीमती संगीता देवी : अध्यक्ष महोदय, बलरामपुर एवं बारसोई प्रखंड के डिग्री कॉलेजों के पूर्णतः सरकारी नहीं होने से छात्र–छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा, सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, सरकार से बलरामपुर, बारसोई प्रखंड के डिग्री कॉलेजों का अधिग्रहण कर उन्हें पूर्णतः सरकारी महाविद्यालय घोषित करने तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग करती हूं ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय में उच्च शिक्षा के संवर्द्धन हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना अतिआवश्यक है, लगभग 1 लाख से अधिक छात्रों को विश्वविद्यालय संबंधी कार्यों के लिए दरभंगा जाना पड़ता है ।

अतः बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना शीघ्र कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखंड एवं आसपास के लोगों को भूमि एवं संपत्ति के निबंधन हेतु अवर निबंधक कार्यालय बारसोई, जिला निबंधन कार्यालय कटिहार जाना पड़ता है, दोनों कार्यालयों में अधिक कार्य–दबाव से समय एवं आर्थिक नुकसान होता है ।

अतः कदवा प्रखंड में उप निबंधक कार्यालय की स्थापना की जाए ।

श्रीमती कोमल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट विधान सभा के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय दहिला, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पुराननकार एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय मधेपुरा में चहारदीवारी नहीं होने के कारण छात्र–छात्राओं की सुरक्षा

व उनके पाठन में हो रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए चहारदीवारी निर्माण हेतु सरकार से मांग करती हूं ।

श्री रितुराज कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र के चारों प्रखंडों में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, निजी कॉलेजों की अधिक फीस के कारण आर्थिक रूप से कमजोर छात्र–छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित हैं ।

अतः सभी प्रखंडों में सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए ।

श्रीमती बिनिता मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, गोविंदपुर विधान सभा के बकसौती दरमनिया बाजार का नाला बालु से भरी भारी वाहनों के आवागमन से पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण नाला का सारा पानी रोड पर आ जाता है ।

अतः सरकार से मांग करती हूं कि नाला एवं सड़क का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए ।

श्री रूहेल रंजन : अध्यक्ष महोदय, नालंदा के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के बड़े क्षेत्रफल और अधिक आबादी के कारण कानून–व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और समय पर पुलिस सहायता में कठिनाई हो रही है, इसलिए जैतीपुर और मीना बाजार में नए पुलिस ओ.पी. की शीघ्र स्थापना जनहित और सुरक्षा के लिए आवश्यक है ।

श्री विजय कुमार खेमका : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार स्तर पर करीब 21 हजार जेपी सेनानियों के आवेदन पत्र विचाराधीन हैं जिन्होंने जेल यातना सही, सजायाफ्ता रहे, इनमें कुछ आवेदनों की जांच हुई है बाकी लंबित हैं । प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति एवं भूमिगत आंदोलनकारी को सेनानी का दर्जा देने की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ले लिया गया है । बैठिए । श्री राणा रणधीर ।

श्री राणा रणधीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परिमार्जन पोर्टल पर 2 एमबी दस्तावेज अपलोड सीमा एवं ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाने से रैयतों को कठिनाइयां हो रही हैं ।

अतः 2 एमबी सीमा समाप्त कर आवश्यक सुधार करने की मांग करता हूं ।

टर्न–9 / पुलकित / 22.07.2026

श्री विमल राजवंशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में पूछे गए शून्यकाल, तारांकित प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर विभागों द्वारा बार–बार तथ्यहीन एवं भ्रामक उत्तर देकर सदन को गुमराह किया जा रहा है। क्या सरकार ऐसे दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ।

(व्यवधान)

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण राज्य में किशोरों एवं अवयस्कों में मादक पदार्थ स्मैक की लत और इसकी अवैध बिक्री तेजी से बढ़ रही है। इससे प्रभावित निर्धन किशोर खरीदारी के लिए चोरी एवं आपराधिक गतिविधियों में भी संलिप्त हो रहे हैं।

अतः सरकार इस पर तत्काल रोक लगाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करे।

श्री गौतम कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, महसी विधानसभा के सत्तर कटैया प्रखंड मुख्यालय मेनहा स्थित महंत सरयुग दास उच्च विद्यालय के पास पर्याप्त भूमि एवं भवन उपलब्ध है तथा यह स्थान डिग्री कॉलेज स्थापना हेतु सभी सरकारी मापदंडों के अनुरूप है।

अतः जनहित में मेनहा में स्थाई डिग्री कॉलेज का स्थापना करने की मांग सरकार से करता हूँ।

श्री राकेश रंजन : अध्यक्ष महोदय, बिहियां बाजार का आर0ओ0बी0 बहुत दिनों से भारी वाहनों के परिचालन के लिए बंद है, जिससे सभी भारी वाहन बिहियां बाजार के अन्य सड़कों से गुजरते हैं। परिणामस्वरूप बिहियां बाजार के आसपास के भी सड़क क्षतिग्रस्त हो गए हैं । मैं सरकार से इस समस्या के स्थाई समाधान कराने की मांग करता हूँ।

श्री उदय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, गयाजी जिला अनुमंडलीय अस्पताल शेरघाटी, सी०एच०सी० आमस–डोभी की बदहाल व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था, महिला विशेषज्ञ चिकित्सकों, एक्स–रे/अल्ट्रासाउंड तकनीशियनों की कमी, डोभी पी०एच०सी० के द्वितीय तलीय भवन पर अवैध कब्जे की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई तथा सभी स्वास्थ्य सुविधाएं शीघ्र बहाल करने की सरकार से मांग करता हूँ।

श्री रोमित कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, अतरी विधानसभा क्षेत्र के चारों प्रखंडों में कृषि ट्रांसफार्मर नहीं लगने से किसान परेशान है। राशि जमा करने के बावजूद बिजली आपूर्ति नहीं मिली फिर भी नियमित बिल भेजा जा रहा है । शीघ्र ट्रांसफार्मर स्थापित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

श्रीमती अनिता : माननीय अध्यक्ष महोदय, IMD के हालिया रिपोर्टों के अनुसार नवादा जिला सहित पूरे बिहार में जुलाई, 2026 के मध्य तक सामान्य से लगभग 46 प्रतिशत कम वर्षा हुई है, जिसके कारण धान की रोपनी बाधित हुई है।

अतः नवादा सहित सूबे बिहार के सूखाग्रस्त जिलों के किसानों को आर्थिक सहायता दिलवाने की मैं मांग करती हूँ।

श्री राहुल कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, डुमरांव विधानसभा क्षेत्र की भोजपुर रजवाहा लिंक लाइन नहर (नावानगर–अतिमी–भदार–डुमरांव) की वर्षों से नियमित सफाई नहीं होने तथा सिंचाई हेतु पानी नहीं मिलने से किसान गंभीर संकट में हैं। सरकार से तत्काल सफाई कराकर नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करें ।

श्री आनंद मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में परीक्षाओं के दौरान छात्रों की भारी भीड़, दुर्घटनाओं की आशंका, आर्थिक बोझ एवं मानसिक तनाव को देखते हुए सरकार से

मांग करता हूँ कि प्रत्येक परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र उसके गृह प्रमंडल अथवा अधिकतम 100 किलोमीटर के दायरे में ही निर्धारित किए जाने की नीति बनाई जाए।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया प्रखंड अंतर्गत पिपराढ़ी सुल्तानपुर–मरपा पथ प्रस्तावित पुलों का शिलान्यास होने के बावजूद निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है । बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सड़क की उपयोगिता एवं आवागमन की सुविधा हेतु दोनों पुलों का निर्माण कराया जाए ।

श्री गुलाम सरवर : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला डगरुआ प्रखंड छपरैली गाँव में दो वर्ष पूर्व लगे दो ट्रांसफार्मरों में अबतक बिजली सप्लाई शुरू नहीं हुई । वही हरखेली गांव का दो कृषि ट्रांसफार्मर जला हुआ है । अतः जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने पूर्व से लगे ट्रांसफार्मर से किसानों को बिजली देने की मांग करता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचना ली जायेगी ।

(व्यवधान)

अभी समय है, टाइम है । अभी आधा घंटा समय है । हम पहले दस मिनट में ध्यानाकर्षण लेंगे ।

श्री अरूण कुमार : अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में हम लोग 8 बजे ऑनलाइन के लिए बैठते हैं तब भी हमारा शून्यकाल नहीं आता है ।

अध्यक्ष : अरूण जी मैं दिखवा लेता हूं, व्यक्तिगत दिखवा लेता हूं । आप बैठ जाइये । मैं दिखवाता हूं । श्री कुमार सर्वजीत अपनी सूचना को पढ़ें ।

(व्यवधान)

अभी समय है, धैर्य रखिये, आधा घंटा समय है ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, विश्वसनीय वैज्ञानिक अध्ययनों एवं प्रकाशित खबरों के अनुसार पटना एवं आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषित नालों के जल से उगाई गई सब्जियाँ बाजारों में बेची जा रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के अध्ययन में सब्जियों में शीशा एवं कैडमियम जैसी विषैली भारी धातुओं की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखें राणा रणधीर जी । प्लीज, शांति बनाये रखें ।

श्री कुमार सर्वजीत : साथ ही अधिक उत्पादन की होड़ में मानक से अधिक रासायनिक उर्वरकों, प्रतिबंधित कीटनाशकों तथा अनुमान्य सीमा से अधिक कृषि रसायनों के उपयोग की भी

गंभीर आशंकाएँ व्यक्त की गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्य प्रतिष्ठित शोध संस्थानों ने ऐसे प्रदूषित खाद्य पदार्थों के दीर्घकालीन सेवन से कैंसर, किडनी एवं लिवर संबंधी गंभीर रोगों तथा प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की चेतावनी दी है। चिंताजनक तथ्य यह है कि इस विषय पर प्रभावी निगरानी, नियमित परीक्षण तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की व्यवस्था अपेक्षित स्तर पर उपलब्ध नहीं है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह स्थिति व्यापक जनस्वास्थ्य संकट का रूप ले लेगी।

अतः मैं प्रदूषित जल एवं प्रतिबंधित कृषि–रसायनों के उपयोग पर रोक तथा प्रभावी निगरानी एवं दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पटना एवं आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषित जल से सब्जियों की खेती, कृषि रसायनों के अनियंत्रित उपयोग तथा खाद्य सुरक्षा से संबंधित विषय पर जो ध्यानाकर्षण लाया गया है, निश्चित तौर पर यह गंभीर विषय है और पूरे माननीय सदस्यों के लिए पूरे बिहार के लिए यह विषय बहुत ध्यान से और इसमें पहल करने की जरूरत है। राज्य सरकार जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षित कृषि उत्पादन के प्रति पूर्णतः सजग एवं प्रतिबद्ध है।

(क्रमशः)

टर्न–10 / हेमन्त / 22.07.2026

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : सरकार द्वारा कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा सुरक्षित एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। यह सही है कि शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में नालों के जल के उपयोग से सब्जी उत्पादन से संबंधित कुछ स्थानों पर जो चिंताएं आ रही हैं, वह गंभीर है। इस संदर्भ में कृषि विभाग द्वारा संबंधित विभागों के साथ, महोदय, आप भी इस विभाग के लंबे समय तक मंत्री रहे हैं और हमारे माननीय सदस्य भी मंत्री रहे हैं, कृषि कैबिनेट के इससे जुड़े सभी विभाग, लगभग 12 विभाग, सभी लोगों के साथ इस पर आवश्यक कार्रवाई के लिए समन्वय बैठाया जाएगा, बैठक की जाएगी। प्रदूषित जल के उपयोग पर नियंत्रण हेतु कदम उठाया जाएगा। भारी धातु एवं कृषि उत्पादों की गुणवत्ता की जांच कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय एवं अन्य सक्षम संस्थानों के सहयोग से मिट्टी, जल, सब्जियों के नमूनों की प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। जहां भी

निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषण पाया जाएगा, वहां सुधारात्मक कार्रवाई एवं किसानों को वैकल्पिक सुरक्षित कृषि पद्धतियों हेतु मार्गदर्शन दिया जाएगा महोदय।

श्री कुमार सर्वजीत : हम सिर्फ दो–तीन बातें माननीय मंत्री या सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं। महोदय, अस्पतालों की भीड़, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, ये एक चिंता का विषय बिहार में बन गया। महोदय, आप देखेंगे अन्य राज्यों के हिसाब से, साउथ चले जाएंगे, साउथ में प्रति व्यक्ति का इलाज में उसका पैसा मात्र 1000, 1300 के आसपास खर्च होता है। सरकार की यहाँ पर इतनी व्यवस्था के बाद, 10 हजार के आसपास खर्च करने पड़ रहे हैं, एक व्यक्ति को। कारण, किसान ने खेत में कद्दू का पौधा लगाया, छोटा सा फल होता है, उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। रात को इतना बड़ा उसका साइज हो जाता है। महोदय, कोई एक ऐसी सब्जी बिहार में नहीं है जिसमें बड़े पैमाने पर दवाई का यूज नहीं हो रहा है। हम तो सिर्फ इतना ही आग्रह कर रहे हैं कि प्रखंड स्तर पर अपने विभाग के द्वारा निगरानी समिति, किसानों को ट्रेनिंग, जब मेरा समय था, जब मैं मंत्री था महोदय, मैंने कहा था कि कृषि क्लिनिक होगा सभी प्रखंड में और जिस बच्चे का रोजगार नहीं है, वह प्रखंड में कृषि विभाग से सहायता लेकर अपना कृषि क्लिनिक खोलेगा और वह स्वयं निगरानी करेगा किसानों की। दवाई की जो दुकान होती है जिसको कृषि विभाग लाइसेंस देती है महोदय, किसान जब उससे जाकर पूछता है कि हमारे खेत में झुलसा लग गया, आलू बीमार हो गया, गोभी बीमार हो गया, क्या करना चाहिए? वह दुकानदार, जहां पर एक बूंद दवा डालना है, उसको एक शीशी दवा बोलता है कि डाल दीजिए, क्यों ? क्योंकि उसको अपनी दवा बेचनी है। निगरानी समिति अगर होती है, अगर किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इस फल में इतनी ही दवाई डालनी है। क्योंकि बिहार जो है..

(व्यवधान)

हो गया, तो बोलिए, बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है ?

अध्यक्ष : बीच में मत बोलिए आप लोग।

श्री कुमार सर्वजीत : अगर आपको ये प्रश्न अच्छा नहीं लग रहा है, तो बैठ जायेंगे। आपको तो और कोई चर्चा अच्छी लगेगी नहीं...

अध्यक्ष : आप बोलिये। सर्वजीत बाबू, आप अपना विषय रखिये।

श्री कुमार सर्वजीत : 2005 के बाद क्या हुआ। मंदिर में चोरी हो गया, राम मंदिर, खाली आप लोग सुनते रहिये।

अध्यक्ष : प्लीज, सर्वजीत जी, आप आसन की ओर देखिये।

श्री कुमार सर्वजीत : यह गंभीर मामला है। आपके पास पैसा है, आप अस्पताल चले जाते हैं। यह गरीबों की बात है।

अध्यक्ष : सर्वजीत बाबू।

श्री कुमार सर्वजीत : किसान की बात अच्छी नहीं लगती। बीमारी की बात अच्छी नहीं लगती। कोई तर्क वाली बात यहां नहीं हो रही है। फालतू का हम समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष : ठीक है। विषय आपका आ गया है। माननीय मंत्री, कृषि विभाग।

श्री कुमार सर्वजीत : हम सिर्फ इतना ही आग्रह कर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी सक्षम हैं और अगर ये जिद बांध लेंगे कि बिहार में सब्जी उत्पादन में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस पर कंट्रोल होगा।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य और सदन की गंभीरता इस पर दिखाई पड़नी चाहिए। पूरा सदन वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए हमको चिंतित भी होना चाहिए। महोदय, आज फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड का जिस तरह से उपयोग हो रहा है। महोदय, हम कई गंभीर बीमारियों से कहीं न कहीं ग्रसित हो रहे हैं। महोदय, सच्चाई है कि आज से 20–30 साल पहले कोई एक कैंसर का पेशेंट मिलता था, तो उसकी चर्चा इलाका में होती थी आज हर घर के अंदर ये परिस्थिति कैंसर की बीमारी की हो गयी है। महोदय, इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, तो हम जिसके लिए पूरी जिंदगी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। रात दिन मेहनत कर रहे हैं। उस पीढ़ी को हम बचा नहीं पाएंगे। आज इसको गंभीरता से, इस पर तो स्पेशल डिबेट और बहस की भी जरूरत है महोदय। दूषित जल, रसायन, कीटनाशक के खतरे के प्रति सरकार पूरी तरह सतर्क और गंभीर है महोदय। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और निर्देश पर केंद्र सरकार के स्तर पर देश भर के कृषि मंत्रियों, विभागीय अधिकारियों के साथ अभी हाल फिलहाल इस गंभीर विषय पर बैठक हुई है महोदय। निरंतर समीक्षा हो रही है। मैं बता दूं कि 1 जून 2026 से खेत बचाओ अभियान चल रहा था। ये खेत बचाओ अभियान क्या था ? कुछ लोग कहे कि खेत कब्जा हो रहा है, इसलिए क्या ? भैया, खेत कब्जा नहीं, जमीनी विवाद को तो हल करने की सरकार ने पहल किया। आज एग्री स्टेक के माध्यम से राजस्व मंत्री के रूप में 48 लाख किसानों का भूमि विवाद से मुक्त कर के फार्मर आईडी बना दिया। ये फार्मर आईडी क्या है ? बहुत सारे सदस्य पुराने लोग हैं, समझ रहे हैं लेकिन नए लोग को भी जानकारी रखनी चाहिए और इसमें उनका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। एक पत्र भी हमने दिया है कि खेत बचाओ और फार्मर आईडी एग्री स्टेक और मिट्टी जांच, ये तीनों इससे जुड़ा है। हम मिट्टी जांच कराएंगे खेत की। शरीर की जांच कराते हैं, तो पता चलता है कि हमको कौन सी दवा चाहिए। मिट्टी जांच कराएंगे, तो पता चलेगा कि कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए, फसल में कौन सा पेस्टिसाइड चाहिए। महोदय, मिट्टी जांच के लिए सरकार की ओर से 550 से ज्यादा उच्च विद्यालयों में मिट्टी जांच की प्रयोगशाला मैं स्थापित करने जा रहा हूं। किसान के बच्चे पढ़ते हैं ताकि वह अपने खेत की जांच

कराएं और ये खाद और पेस्टिसाइड का संतुलित उपयोग करें। महोदय, कृषि वैज्ञानिक सीधे किसानों के खेत तक पहुँच रहे हैं। लैब से लैंड तक का जो अभियान चला है, पिछले महीने 6 लाख 26 हजार से अधिक किसान, हमारे वैज्ञानिक पदाधिकारी उनके खेत तक पहुँच कर जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं। महोदय, खेतों की मिट्टी की जाँच का सॉयल हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है, जो उर्वरकों के उपयोग के लिए आवश्यक है। महोदय, आज एग्री स्टैक में एक तरह से किसान का पासबुक बनेगा। आपका कितना खेत है, उस पर चढ़ेगा। विवाद रहित खेत बनाया जाएगा। आने वाली पीढ़ी को, आपके पासबुक से विवाद रहित जमीन मिलेगी और उस जमीन पर उसको कितना फर्टिलाइजर चाहिए, कितना पेस्टिसाइड चाहिए, कितना अनुदान चाहिए, और उसके फसल कितने होंगे, उसका सरकार कितना करेगा, कोई दलाल बिचौलिया नहीं रहेगा। माननीय विधायक, आप लोग आम नहीं खास हैं। हमने एक पत्र सभी के मेल पर भेजा है। शायद अपने कई विधायकों को मेल पर मिला होगा। हार्ड कॉपी भी दे देते हैं कि आप एग्री स्टैक में एक अहम भूमिका निभाएं, क्योंकि अधिकतर विधायक के पास जमीनी विवाद सबसे ज्यादा आता है और हमारा बिहार का जमीनी विवाद, हमारे सामाजिक सौहार्द को, पारिवारिक शांति को भंग करता है। इसलिए उसमें आपकी भागीदारी जरूर होनी चाहिए।

महोदय, पारंपरिक खेती, जो हमारा चल रहा था, हमने आह्वान भी किया है,

(क्रमशः)

टर्न–11 / संगीता / 22.07.2026

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री (क्रमशः) : सभी माननीय विधायक, विधान पार्षद, लोकसभा के सदस्य, सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों से, सभी बुद्धिजीवियों से कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, प्राकृतिक खेती में वन–थर्ड जमीन पर प्राकृतिक खेती करें जिसमें खाद का उपयोग नहीं हो, पेस्टीसाइड का उपयोग नहीं हो ताकि आपका परिवार, आपके बच्चे बीमारीमुक्त हो सकें और इसके लिए एक अभियान भी हम हर जिले के अंदर पूरी रूप से, पूरे विधायकों के सहयोग से, पूरे बुद्धिजीवियों के सहयोग से शुरू करने के लिए हमने पत्र लिखा है । आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों के डबल इंजन की सरकार का महोदय, बिहार में जैविक खेती प्रोत्साहन योजना और जैविक कॉरिडोर योजना लागू है । पी0के0वी0वाई0 30 करोड़ से ज्यादा स्वीकृत हो चुका है, सभी 38 जिलों में 30 हजार हेक्टेयर में जैविक खेती शुरू हो रही है और उसी तरह से नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग 25 करोड़ 20 हजार हेक्टेयर के लिए और 2026–27 में 10 करोड़ से ज्यादा, इस तरह से महोदय,

आज यह प्रश्न पारंपरिक खेती में हमलोग सब गांव से आते हैं बहुत सारे लोग, हमलोग उससे जुड़े रहें हैं । आज गोबर, गोमुत्र, बेसन और गुड़ जैसे संसाधनों का इस्तेमाल करके हम अपने खेत की उर्वरा शक्ति बचा सकते हैं । जिस धरती को हम माता कहते हैं, भारत माता के रूप में पुकारते हैं, आज वह धरती कराह रही है, बोल रही है कि हमारी उर्वरा शक्ति को नष्ट मत करो । मेरी उर्वरा शक्ति बचेगी तभी तुम्हारा संतान बचेगा । अपने संतान के लिए हमको वन–थर्ड जमीन पर कम से कम प्राकृतिक खेती करके हम फर्टिलाइजर और पेस्टीसाइड मुक्त भोजन, सब्जी, फल ये उपयोग करें । महोदय, इस सदन के सभी सदस्यों से कहेंगे कि जब मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरेगा, लागत घटेगी और जनता को सुरक्षित भोजन मिलेगा, महोदय, लोगों को पता नहीं है कि आज जो आप यूरिया और वी0ए0पी0 ले रहे हैं, भारत सरकार का देश का कितना बड़ा अमाउंट सब्सिडी में जा रहा है और उसके दुरूपयोग का परिणाम, ठीक कहे माननीय सदस्य कि हमारे परिवार के लोग बीमार पड़ रहे हैं, हमारी आमदनी कृषि का जो बढ़ा उससे कहीं गुना ज्यादा बीमारी पर खर्च हो जाता है । हम तो कहते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा दवाई पर मेडिकल पर खर्च घटेगा और इसके लिए जरूरी है । सब्जियों में शीशा और कैडमियम की मौजूदगी की खबरों को सरकार ने अत्यंत गंभीरता से लिया है । प्रभावित क्षेत्रों में नियमित लैब टेस्टिंग और जांच तेज होगी, मैं लैब की भी व्यवस्था का, ठीक कहे कि हमारे पास आप सभी वहां रह चुके हैं कि लैब नहीं होने से बहुत सारी जांच और कौन सा अनाज, सब्जी, फल लोगों के लिए उपयोगी है, यह व्यवस्था सुनिश्चित करना आज हम सबकी जिम्मेवारी है । मैंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि किसानों की आर्थिक समृद्धि और जनता की सेहत के प्रति वचनबद्धता सरकार की है और सेहत बेहतर हो, अगर जो थोड़ा सा उपज घटता भी है जबकि वैसी स्थिति नहीं है । वैज्ञानिकों ने आज गुजरात के राज्यपाल महोदय प्राकृतिक खेती का एक बड़े भाग पर करके सारे देश के कृषि मंत्री और वैज्ञानिकों के बीच उन्होंने पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है । उन्होंने कहा है कि हमारी उपज नहीं घटेगा, लोगों के मन में ये जो भय पैदा करता है अभी तो हाल–फिलहाल एक जगह हम गए थे, गया के अंदर ही महोदय, लौट रहे थे तो बगल के एक खेत में देखे कि आप कितना डाले हैं, तो हमने 200 ग्राम तो अगला कह रहा है कि हमने 300 ग्राम डाल दिए । यह कम्प्टीशन, फर्टिलाइजर का अधिक उपज उपजाने के लिए महोदय, कहीं न कहीं हमारी फर्टिलाइजर व्यवस्था को कमजोर करता है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया शांति बनाए रखें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : और प्रमोद जी, वर्तमान से ज्यादा भविष्य की चिन्ता करिए और वर्तमान बीत जाएगा भविष्य बचाना हम सबकी जिम्मेवारी है । जिस प्रकार खाद्य पदार्थों

की गुणवत्ता, शुद्धता, उपयोगिता की जांच लैब के माध्यम से होती है, वैसे ही हम लैब की स्थापना पर भी विचार कर रहे हैं और सरकार के किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो, स्वास्थ्य हेल्थ भी बेहतर बने और सभी सदस्यों से हम आग्रह करेंगे कि एक सरकार चाह लेगी, विभाग के मंत्री चाह लेंगे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चाह लेंगे तो यह पूर्णतः सफल तब तक नहीं होगा जब तक सभी माननीय सदस्य इसको संकल्प के रूप में लेकर नहीं करेंगे । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय कृषि मंत्री का जवाब बहुत सही आया है । हमारा भी आग्रह होगा आप सबों से कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 01 जून, 2026 से खेत बचाओ अभियान, मैं भी गया था, कृषि विज्ञान केंद्र, मानपुर में है । मेरा भी अपील आप सबों से होगा कि इस अभियान में आप भी शामिल हों और सरकार का जो प्लान है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, उसमें आपका भी योगदान हो ।

माननीय सदस्य श्री मंजीत कुमार सिंह ।

सर्वश्री मंजीत कुमार सिंह, माधव आनंद एवं अन्य तेरह सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (गन्ना उद्योग विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज के बंद पड़े सासामुसा चीनी मिल पर गन्ना किसानों का करीब 43 करोड़ एवं कर्मचारियों का 9.50 करोड़ रुपये बकाया है । इस मिल पर बैंक का बकाया करीब 68.40 करोड़ रुपये ऋण की वसूली हेतु राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, कोलकाता बेंच द्वारा परिसमापन प्रक्रिया में प्लांट एवं मशीनरी का 17.64 करोड़ रुपये में निविदा कर दी गई, जबकि मशीनरी लगभग 80 प्रतिशत कारगर है । इस बीच एक निवेशक ने बैंक ऋण वापसी कर मिल को पुनः चालू करने का प्रस्ताव NCLT, कोलकाता को दिया है । निविदा प्राप्त कम्पनी मिल के मशीनरी को काटने का कार्य शीघ्रातिशीघ्र संपन्न करना चाहती है, जबकि कैबिनेट द्वारा गन्ना किसानों के बकाये राशि के भुगतान की स्वीकृति सशर्त दी गई है । मोतिहारी, गोपालगंज सहित अन्य जिलों में किसानों का बकाया राशि का भुगतान कराया जाय ।

अतः किसानों, कर्मचारियों एवं राज्य के औद्योगिक विकास के हित में सासामुसा चीनी मिल को पुनः चालू करने हेतु परिसमापन प्रक्रिया में तत्काल हस्तक्षेप करने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग ।

श्री संजय कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, सासामुसा चीनी मिल NCLT, कोलकाता बेंच में प्रक्रियाधीन है और इसकी अगली सुनवाई दिनांक–12.08.2026 को है । सासामुसा चीनी

मिल परिचालन प्रस्ताव के लिए पेराई सत्र कृषकों का जो 43 करोड़ की राशि है सरकार के द्वारा स्वीकृत कर दी गई है और सरकार पूरी तरह से गंभीर है । माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि सभी बंद पड़े चीनी मिल, नई चीनी मिल को खोलने का लक्ष्य रखा गया है । जो भी चीनी मिल 90 के दशक में बंद हो गए थे, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमिटी गठित हुई थी, जिसकी लगातार बैठकें चल रही हैं । माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सभी बंद पड़े चीनी मिल और नए चीनी मिल के खुलने का रिकार्ड होगा यह मैं माननीय सदस्य को भरोसा दिलाता हूं ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

पूछ लीजिए, पूछ लीजिए । इनके बाद विनय बाबू, इनके बाद विनय जी ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें 2 मसले हैं । किसानों के बकाया राशि का भुगतान का मामला है, साढ़े 4 वर्ष से अधिक मिल ये बंद हो गए और 10 हजार से अधिक किसानों का 43 करोड़ रुपया बकाया है । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि राज्य मंत्रि परिषद ने निर्णय लिया है कि मिल चालू होने के एक वर्ष बाद किसानों को 43 करोड़ रुपया जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से उनकी सूची के सत्यापन के बाद दी जाएगी । महोदय, 4 साल में किसानों के बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ । मिल कितने दिनों के अंदर चलेगा वह भी भविष्य के गर्त में है । क्या मिल अगर 10 साल नहीं चले तो सरकार किसानों के बकाया राशि का भुगतान नहीं करेगी और सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकार को ही भुगतान मिलों का पैसा किया जाना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने NCLT, की बात की है । अध्यक्ष महोदय NCLT, के पूरे नियम ओर शर्तों को देखा जाए, NCLT, में पक्षकार हमारे किसान भी हैं, उसमें हमारे स्थानीय जो विधायक हैं वे भी हैं लेकिन सरकार भी उसमें पक्षकार है लेकिन महोदय, किसानों को उसमें पक्षकार नहीं बनाया गया है, उसमें स्थानीय प्रतिनिधियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है ।

(क्रमशः)

टर्न–12 / यानपति / 22.07.2026

(क्रमशः)

श्री मंजीत कुमार सिंह : महोदय, और साढ़े 12 करोड़ रुपये की जो चीनी की बिक्री हुई, उस चीनी की बिक्री करके किसानों के खाते में ट्रांजिक्ट करना था लेकिन वह सीधे बैंक के खाते में जमा कर दिया गया। एन0सी0एल0टी0 सिर्फ बैंकों की बात सुन रही है। किसानों के बकाया और कर्मचारियों के बकाया की बात वह नहीं सुन रही है। अध्यक्ष महोदय,

मेरा यह कहना है कि एक निवेशक ने आज ही एक प्रस्ताव दिया है कि बैंक का जो बकाया राशि है 60 करोड़ रुपये, हम उस पैसे को आज ही जमा करने के लिए तैयार हैं लेकिन सरकार एन0सी0एल0टी0 में हस्तक्षेप करे कि वह मिल को नहीं काटा जाना चाहिए, मिल के जमीन की नीलामी नहीं की जानी चाहिए और इसी नवंबर, दिसंबर मे हम सासा–मूसा मिल को चालू कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं, 10 हजार से अधिक किसानों का सवाल है। एन0सी0एल0टी0 में अधिकार है सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए, सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे कि नीलामी की प्रक्रिया पर रोक लगे, उसके मशीन के कटिंग पर रोक लगे और जो कैबिनेट ने फैसले किए हैं उसके नियमों में सरकार परिवर्तन करके, उस संकल्प में परिवर्तन करके और एक समय–सीमा में 10 हजार किसानों को जो 43 करोड़ रुपये बकाया हैं महोदय वह ससमय किसानों के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से सरकार दे दे, यह हम सरकार से जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष : बैठ जाइये।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक विकास की गति न जाने कौन सी जगह टिक गई, और मोतिहारी चीनी मिल चली नहीं उसकी जमीनें बिक गईं। नदी चाहिए न पहाड़ चाहिए, न पहाड़ चाहिए न झील चाहिए बिहार की जनता को चीनी मिल चाहिए। ये 28 चीनी मिलों में से सिर्फ 10 चीनी मिल चल रही है, महोदय, हमारी चनपटिया की चीनी मिल बंद है तो मैं यह आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से कि 18 चीनी मिलें जो बंद हैं उन चीनी मिलों को, नई चीनी मिलों की बात हटा दीजिए, पहले 18 जो बंद हैं उनको क्या खुलवाएंगे, यह सदन का भाव है, सदन में बयां होगा और मंत्री जी नहीं कुछ बताएंगे तो विधायकों का क्या होगा।

अध्यक्ष : बताएंगे, बैठ जाइये।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मोतिहारी चीनी मिल के लिए और अन्य चीनी मिलों के लिए जिसके लिए माननीय मंजीत सिंह जी ने ये ध्यानाकर्षण लाया है इसमें पटना हाईकोर्ट में पी0आई0एल0 मंजीत कुमार सिंह जी ने ही बिहार सरकार के बनाम सिविल ज्यूरिस्डिक्शन केस नंबर–9770/2015 में चीनी मिल विशेषकर मोतिहारी चीनी मिल रीगा, सासा–मूसा चीनी मिल के गन्ना के किसानों के बकाया भुगतान की बात थी। इसमें 2017, 7 अगस्त 2017 को आदेश आया जिसमें मोतिहारी चीनी मिल में गन्ना किसानों की बकाया राशि जो है, उनकी बकाया राशि 17 करोड़ 41 लाख से ज्यादा है और लगभग 12 सर्टिफिकेट केसेज इसके भुगतान के लिए 27 वर्षों से लंबित हैं। इसमें कोर्ट का आदेश आया, जिलाधिकारी, मोतिहारी को निर्देश किया गया नाराजगी व्यक्त करते हुए, एफिडेविट दायर कर स्पष्ट करने को कहा गया कि वसूली के ये मामले 27 वर्षों से क्यों लंबित हैं और इन्हें कबतक निपटाया जाएगा महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री संजय पांडेय जी।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : दूसरी बात इसमें जवाबदेही अदालत ने गन्ना आयुक्त और गन्ना उद्योग विभाग के सचिव को भी निर्देश दिया कि सुनिश्चित करें कि ये वसूली होनी चाहिए और देना चाहिए, तीसरी बात महोदय इसी से संबंधित है इसमें यह भी कहा गया किसानों के हित में सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि किसानों के बकाया राशि में प्रतिकूल असर नहीं पड़े तो मैं बताना चाहती हूं जैसा कि भाई विनय बिहारी जी ने कहा कि चीनी मिल की जमीन की बिक्री भी हो रही है और अतिक्रमण भी हो रहा है। तो मैं सदन के माध्यम से जानना चाहती हूं, आपके माध्यम से कि बकाया राशि का भुगतान 27 वर्षों से क्यों नहीं हुआ और अतिक्रमण और खरीदारी और बिक्री क्यों चालू है।

अध्यक्ष : संक्षेप में बोलना चाहिए।

श्री संजय कुमार पांडेय : माननीय अध्यक्ष महोदय, सासा–मूसा चीनी मिल की तरह बिहार की अनेकों चीनी मिलों के गन्ना उत्पादक किसानों एवं उन चीनी मिलों में कार्यरत मजदूरों एवं उसके परिसंपत्ति की सुरक्षा अति आवश्यक है, जिस क्रम में चनपटिया सुगर फैक्ट्री कई दशक पूर्व से बंद पड़ी है और किसानों के गन्ना मूल्य का लगभग सवा तीन करोड़ रुपया और उसमें कार्यरत मजदूरों का लगभग 4 करोड़ रुपया बकाया है और यह चिंता किए बगैर उक्त चीनी मिल को बेच दिया गया...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सारी बात आ गई है, मंत्री जी बताएंगे आपको।

श्री संजय कुमार पांडेय : और मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। सरकार को इसको संज्ञान में लेते हुए...

अध्यक्ष : बैठ जाइये।

(व्यवधान)

बैद्यनाथ जी, बैठ जाइये।

श्री राजेश कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद, मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आपके इस सदन में 93 सदस्य नए हैं, फर्स्ट इयर के उनको भी ध्यान रखा जाय।

अध्यक्ष : इसीलिए तो आपको हमने मौका दिया बोलने का।

श्री राजेश कुमार मंडल : यह सरकार जो है सो आपको बता दें सर कि 25 से 30 में संकल्पित है कि पुरानी चीनी मिल के साथ–साथ नया भी खोलेंगे, कुछ साथी ने सही कहा है कि पुरानी चीनी मिल को ही खोला जाय पहले, प्राथमिकता दिया जाय, लेकिन उन चीनी मिलों के कारण जो कर्मचारी, किसानों का जो बकाया आ रहा है, अगर वह भुगतान के बाद चीनी मिल का जो है पुनः शुरू होता है, चालू होता है तो सरकार की साख भी बचेगी और बाद में जो है सरकार की किरकिरी नहीं होगी...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माधव आनंद जी।

श्री राजेश कुमार मंडल : वही किसान, वही कर्मचारी बाजार में यह नहीं बोलेंगे कि पुराने चीनी मिलों का पैसा बाकी है और नया सरकार चीनी मिल खुलवाकर वाहवाही ले रहे हैं...

अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइये। माधव आनंद जी।

श्री राजेश कुमार मंडल : बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री माधव आनंद : माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत कम वक्त लूंगा, चीनी मिल का मामला सिर्फ एक जिला तक सीमित नहीं है यह लगभग पूरे बिहार का मामला है और मेरे भी क्षेत्र में लोहट, रैयाम, सकरी तीन चीनी मिलें हैं जिसमें सरकार ने यह निर्णय...

(व्यवधान)

हां, बगल का ही है, यह पूरे बिहार का मामला है। मान लिए उनकी बात को कि रैयाम उनका है, सकरी और लोहट के बारे में तो सरकार ने...

अध्यक्ष : पूरे बिहार की बात हो रही है।

श्री माधव आनंद : पूरे बिहार की बात हो रही है इसलिए बोल रहा हूं, सकरी और रैयाम को तो चालू करने की सरकार ने बात कही, माननीय गन्ना मंत्री जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मैंने उनसे भी कई बार आग्रह किया कि लोहट चीनी मिल के बारे में क्या, लोहट का अपना एक इतिहास रहा है और लोहट चीनी मिल से जितने जुड़े हुए लोग हैं उनका भी बकाया बड़ी मात्रा में अभी भी सरकार के पास लंबित मामला है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं क्योंकि पूरे राज्य का मामला है, एक–एक चीनी मिल को ध्यान में रखिए और चुनाव के टाइम मे ंतो हम सब लोगों ने वादा किया था कि जितनी चीनी मिलें बंद पड़ी हैं सबको खोला जायेगा तो लोहट की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री बैद्यनाथ जी, एकदम संक्षिप्त में बोलिए।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : महोदय, गन्ना किसान और गन्ना उद्योग दोनों बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी हैं, रीगा चीनी मिल की स्थिति भी इसी तरह की है वहां के सात हजार किसान को मिल प्रबंधन ने के0सी0सी0 करा दिया, बैंक से मिलीभगत करके, सरकार ने मध्यस्थ की भूमिका निभाकर मिल तो बेच दी लेकिन सात हजार किसान बंधक हैं, इंडियन बैंक में, यूनियन बैंक में किसानों के बच्चों को आज के दिन में शिक्षा ऋण नहीं मिल रहा, निजी ऋण नहीं मिल रहा चूंकि वह डिफॉल्टर घोषित कर दिए गए हैं...

अध्यक्ष : आप लिखित दे दीजिए। माननीय सदस्य, श्री राजू तिवारी जी।

(व्यवधान)

हो गया, आ गई बात। सारी बातें बैद्यनाथ जी लिखकर दे दें आप।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्रीजी ने बताया कि चीनी मिल नई खोलने के लिए सरकार संकल्पित है तो निश्चित रूप से अच्छी बात है लेकिन जिस तरह से हमारे यहां

चूंकि हमारा मोतिहारी जिला में गोविंदगंज विधान सभा है हमलोगों के यहां करीब दसों साल से पहले का बहुत सारा सासा–मूसा चीनी मिल में बहुत सारे किसानों का पैसा बाकी है और हद तो यह हो गई है इधर कुछ महीनों से कुछ दलाल उस पर्ची को खरीद रहे हैं औने–पौने दाम पर। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस तरह जहां भी किसानों का पैसा बाकी है मंत्री जी उसको जांच करवाकर के और तुरंत उसको भुगतान कराने का और दूसरा विषय भी विनय बिहारी जी ने उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है मोतिहारी चीनी मिल का तो ये बड़ा मतलब बहुत ही दुखद बात है कि मोतिहारी चीनी मिल खुलने की बात छोड़ दीजिए, वहां की जमीन औने पौने दाम पर मतलब क्या उस स्थिति से उसको बेचकर खरीद–बिक्री सब हो गया है, तो यह भी मैं चाहूंगा कि उसको भी देखें और ध्यान दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सब बात आ गई। समय खत्म हो रहा है, सारी बात आ गई। मंजीत बाबू, सब बात आ गई। प्लीज, बैठ जाइये। माननीय मंत्री जी।

टर्न–13 / मुकुल / 22.07.2026

श्री संजय कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंजीत बाबू को पता है इस विषय पर प्रक्रिया जारी है,

अध्यक्ष : प्लीज, आप बैठ जाइये ।

श्री संजय कुमार, मंत्री : जिलाधिकारी से भी इस विषय पर बात हुई है स्क्रैप के मामले को लेकर जो पूर्व में निवेशक थे, वे स्क्रेप के मामले को उन्होंने रखा ही नहीं, उन्होंने इस पर कोई इंट्रेस्ट नहीं रखा, जिसकी वजह से ये एन0सी0एल0टी0 कोर्ट में यह मामला चल रहा है......

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : प्लीज, हम बता रहे हैं, आप बैठ जाइये, मंजीत बाबू बैठ जाइये, आपको इतना मौका दिया है, आप बैठ जाइये । मंत्री जी, से मेरा आग्रह है । प्लीज, प्रमोद जी । मंत्री जी, आप अपने चेम्बर में एक बैठक बुला लीजिए, अधिकारियों को बुला लीजिए और संबंधित माननीय विधायकों को भी बुला लीजिए और बैठक करके....। अरे भाई सबकी बात हो रही है, जिन माननीय सदस्यों ने विषय को उठाया है, जो नहीं भी उठाये हों। मंत्री जी, संबंधित जिले के माननीय विधायकों को बुला लीजिए, अधिकारी को बुला लीजिए, जितने विषय आये हैं, सबका बिंदुवार बनाकर के एक–एक चीज का समाधान कराने का काम कीजिए ।

श्री संजय कुमार, मंत्री : जी अध्यक्ष महोदय । मैं जल्द ही बुला लूंगा ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, एक सप्ताह के अंदर में बुला लीजिए । सारी बात वहां हो जायेगी, इनके कक्ष में आप जायेंगे, जो साथी नहीं बोल पाये हैं, अजीत बाबू, जो लोग नहीं बोल पाये, नहीं मौका मिला तो उनको मौका दे रहे हैं और मंत्री जी एक सप्ताह के अंदर तिथि घोषित कर दीजिए आप और बुलाकर के समाधान कराइये ।

श्री संजय कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 तारीख को माननीय सदस्यों को हमलोग बुलाकर के बात कर लेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । शेष शून्यकाल की स्वीकृत सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है और उन्हें शून्यकाल समिति को सुपुर्द किया जाता है।

शेष शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया ।

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/238	**मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में** रोहतास जिला अंतर्गत रोहतास प्रखंड में पहाड़ पर स्थित ऐतिहासिक रोहितेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन वहां पेयजल, शौचालय, सड़क, बिजली, प्रकाश एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है? अतः सरकार से श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग करता हूं?	मुरारी प्रसाद गौतम (207)	पर्यटन विभाग	पर्यटन			***So Notices 3 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/239	**कटाव निरोधक कार्य प्रारंभ करने हेतु?** गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के संग्रामपुर प्रखंड अंतर्गत पूछरिया तिवारी टोला गंडक नदी से कटाव के कगार पर है पिछले वर्ष भी पूछरिया मलाह टोला कट गया था जिससे ग्रामीण भयग्रस्त है? अतः सरकार से मांग है कि विभागीय अभियंताओं को भेजकर तत्काल कटाव निरोधक कार्य प्रारंभ कराया जाए?	राजू तिवारी (14)	जल संसाधन विभाग	जल संसाधन			***So Notices 3 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/240	**विद्युत आपूर्ति कराना ?** दरभंगा जिलान्तर्गत मनीगाछी एवं सदर प्रखण्डों में बिजलीतार जर्जर, पोल की कमी एवं लोवोल्टेज से 80% किसानों को सिंचाई तथा 60% परिवारों को नलजल की समस्या है? अतः मैं सरकार से उक्त दोनों प्रखण्डों में विद्युत एवं नलजल की समस्याओं का निदान करने की माँग करता हूँ?	राजेश कुमार मंडल (82)	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा			***So Notices 3 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/241	**सड़क निर्माण एवं चौडीकरण के संबंध में ।** गया जी जिला-अन्तर्गत प्रखण्ड - बाराचट्टी से मोहनपुर प्रखण्ड तक मुख्य सड़क का चौड़ीकरण लम्बे समय से प्रस्तावित है? इस सड़क पर छोटे से भारी वाहनों का भार बहुत है और सड़क सिंगल है? आये दिन दुर्घटना होती है? मैं सदन से सड़क चौड़ीकरण की मांग करती हूँ?	ज्योति देवी (228)	पथ निर्माण विभाग	पथ निर्माण			***So Notices 2 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/242	**गुप्ता लखिमिनिया बाँध पथ के चौड़ीकरण कराने के संबंध में** बेगूसराय के आधारपुर से चकिया जाने वाला गुप्ता लखिमिनिया बाँध पथ यात्रियों के लिए मुख्य मार्ग है। इसके चौड़ीकरण से तेघड़ा और बछवाड़ा प्रखंड के लोगों के लिए सिमरिया सिक्स लेन पुल की दूरी व समय बचेगा और NH-31 पर दुर्घटनाएँ कम होंगी। अतः जनहित में इसका चौड़ीकरण कराया जाय	रजनीश कुमार (143)	पथ निर्माण विभाग	पथ निर्माण			*SO Notices 1 (SO Notice) to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है।
23(A)	18/3/243	**पथ निर्माण कराने हेतु** कैमूर जिला के भभुआ से बेलांव, सवार, एवं चेनारी तक जाने वाली सिंगल लेन पक्की सड़क को डबल लेन कराने की मांग सरकार से करता हूँ।	भरत बिन्द (205)	पथ निर्माण विभाग	पथ निर्माण			*So Notices 2 (SO Notice) to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/244	**जांच करना** लोकस्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल,अररिया में नल-जल योजना अंतर्गत संवेदक Avian Infrastructure कार्य कर रहा जो 200,250 में बोरिंग एवं डेढ फीट में पाइपलाइन बिना अभियंताओं की मिलीभगत से बोरिंग का भुगतान ले चुका है डेढ फीट Deputh पाइपलाइन डाल कर लेने की साजिश कर रहा-अतः उच्चस्तरीय जांच की मांग करता हूं।	मोहम्मद मुर्शिद आलम (50)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण			*So Notices 2 (SO Notice) to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/245	**रक्सौल एवं आदापुर में बाढ़ से फसल क्षति पर किसानों को कृषि अनुदान देने हेतु।** पूर्वी चंपारण जिला के रक्सौल एवं आदापुर प्रखंडों में नेपाली नदियों के जलप्रवाह से भारी जलजमाव हुआ है। धान का बिचड़ा सड़ने से हजारों एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हुई है। सरकार से स्थल जांच कराकर पीड़ित किसानों को अनुदान एवं सहायता राशि प्रदान करने की मांग करता हूँ।	प्रमोद कुमार सिन्हा (10)	कृषि विभाग	कृषि			*So Notices 2 (SO Notice) to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/246	**घाट का सौन्दर्यीकरण एवं झील की सफाई करना** पूर्वी चंपारण जिला के हरसिद्धि विधानसभा अंतर्गत हरसिद्धि बाजार स्थित हरि बाबा मठ के पास सोनबरसा झील के किनारे पूर्व से निर्मित जर्जर स्नान घाट का सौन्दर्यीकरण साथ ही उक्त झील में वर्षों से जमे गाद की सफाई कराने की सरकार से मांग करता हूं	कृष्णनंदन पासवान (13)	पर्यटन विभाग	पर्यटन			*So Notices 2 (SO Notice) to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/247	**नया थाना बनाने के संबंध में |** टिकारी विधानसभा के कोंच प्रखंड अंतर्गत उसास देवरा बाजार में नया थाना निर्माण करने का सरकार से मांग करता हूं।	अजय कुमार (231)	गृह विभाग	गृह विभाग			*So Notices 2 (SO Notice) to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/248	**फारबिसगंज औद्योगिक क्षेत्र की भूमि पर गैर-औद्योगिक गतिविधियों के संचालन संबंधी।** अररिया जिले के फारबिसगंज औद्योगिक क्षेत्र की भूमि पर उद्योगों के स्थान पर गैर-औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। इससे उद्योग स्थापना एवं स्थानीय युवाओं के रोजगार के अवसर प्रभावित हो रहे हैं। सरकार जांच कर औद्योगिक उपयोग सुनिश्चित करे।	मनोज विश्वास (48)	उद्योग विभाग	उद्योग विभाग			*So Notices 2 (SO Notice) to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/249	**जलजमाव की समस्या से निजात के संबंध में |** वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के मथुरापुर–इलमासनगर–बल्लीपुर आर०सी०डी० पथ स्थित नागरबस्ती, सतमलपुर एवं इलमासनगर बाजार में हल्की वर्षा में भी गंभीर जलजमाव हो जाता है, जिससे आवागमन में लोगों को भारी कठिनाई होती है। जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप नाला का निर्माण कराया जाए। मैं सरकार से मांग करता हूँ।	माँशरीक मृणाल (132)	पथ निर्माण विभाग	पथ निर्माण			*So Notices 2 (SO Notice) to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/250	**सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को देय अनुग्रह अनुदान के संबंध मे** जिला औरंगाबाद में सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को देय अनुग्रह अनुदान के अनेक पात्र प्रकरण वर्षों से लंबित हैं। इससे पीड़ित परिवारों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः लंबित प्रकरणों का शीघ्र निष्पादन कर अविलंब भुगतान सुनिश्चित का माँग करता हूँ	त्रिविक्रम नारायण सिंह (223)	परिवहन विभाग	परिवहन			*So Notices 2 (SO Notice) to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/251	**विद्यालय भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराने के संबंध में?** औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय ताराडिह के उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण लगभग 3 सालो से अधुरा है? इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है? निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए तथा संबंधित एजेंसी की जवाबदेही निर्धारित की जाए?	प्रमोद कुमार सिंह (224)	शिक्षा विभाग	शिक्षा			***So Notices 3 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/252	**मानदेय में वृद्धि करना** बिहार में ग्राम कचहरी सचिव द्वारा आम जनता को सुलभ एवं सस्ता न्याय प्रदान किया जाता है? ग्राम कचहरी सचिव को मात्र 9000 रूपये मानदेय मिलता है? मैं सरकार से ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय 30,000 रूपये प्रतिमाह देने एवं सेवा स्थायी करने की मांग करता हूँ?	अजय कुमार (138)	सहकारिता विभाग	सहकारिता			***So Notices 3 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/253	**सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना** जमुई जिला अंतर्गत सोनो प्रखंड के चरकापत्थर में तथा चकाई प्रखंड के दुलमपुर, कल्याणपुर एवं गगनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हेतु सरकार से मांग करती हूं?	सावित्री देवी (243)	स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य			***So Notices 3 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/254	**भामाशाह की आदमकद प्रतिमा की स्थापना** भामाशाह के त्याग,दान एवं राष्ट्रसमर्पण ने भारतीय इतिहास में अविस्मरणीय स्थान बनाया है?बेगूसराय जिला का सिमरिया ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है?अतः सिमरिया गोलंबर पर भामाशाह की आदमकद प्रतिमा स्थापित कर उनकी गौरवशाली विरासत को सम्मानित करने की सरकार से मांग करता हूं?	रणविजय साहू (135)	सामान्य प्रशासन विभाग	सामान्य प्रशासन			***So Notices 3 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/255	**पहुंच पथ का निर्माण** राज्य के प्रत्येक पंचायत में +2 उच्च विद्यालय भवन बनाया जा रहा है, परंतु कई स्थानों पर भूमि अभाव के कारण भवन गांव से बाहर बनाए गए हैं, जहां तक पहुंचने के लिए मार्ग उपलब्ध नहीं है? अतः संबंधित विद्यालयों तक समुचित पहुंच पथ निर्माण कराने की मांग करता हूँ!	बशिष्ठ सिंह (209)	शिक्षा विभाग	शिक्षा			***So Notices 3 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/256	**सड़क ऊँची कराने के संबंध में?** पारू विधानसभाअंतर्गत पारू-जाफरपुर रोड का DLP समाप्त हो चुका है और सड़क अत्यंत जर्जर स्थिति में है? जनहित में इस सड़क का पुनर्निर्माण कार्य अविलंब शुरू कराने, सड़क किनारे नाला निर्माण तथा जलजमाव की समस्या से बचाव हेतु पारू चौक पर सड़क ऊँचा कराने की सरकार से मांग करता हूँ?	शंकर प्रसाद (97)	पथ निर्माण विभाग	पथ निर्माण			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/257	**जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के संबंध में?** मधुबनी जिले के बिस्फी एवं रहिका प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी स्नेक वेनम, एंटी रेबीज़ वैक्सीन सहित जीवनरक्षक दवाओं का अभाव है? दवा नहीं मिलने से मरीजों की मृत्यु होती रहती है? अतः सभी स्वास्थ्य केंद्रों को जीवनरक्षक दवाएँ अनिवार्य रूप से रखने के कड़े निर्देश दिए जाएँ?	आसिफ अहमद (35)	स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/258	**अनुदान देना** पूर्वी चंपारण जिला में खरीफ फसल 2025 में मैंथा तूफान से किसानों के फसल को भारी क्षति हुई थी , जिला पदाधिकारी एवं कृषि पदाधिकारी के क्षति रिपोर्ट के बावजूद भी अभी तक आवेदन पोर्टल नहीं खोला गया है , अतः कृषक हित में विशेष इनपुट अनुदान पोर्टल खोलने की मांग करता हूँ।	सचीन्द्र प्रसाद सिंह (16)	कृषि विभाग	कृषि			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।
23(A)	18/3/259	**ऑडिटोरियम का निर्माण** पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर, खुसरूपुर एवं दनियावां प्रखंडों में आधुनिक सार्वजनिक ऑडिटोरियम का अभाव है?अतः उक्त तीनों प्रखंडों में सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त आधुनिक सार्वजनिक ऑडिटोरियम के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कराने की मांग करता हूं?	अरुण कुमार (180)	कला एवं संस्कृति विभाग	कला एवं संस्कृति			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है।

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/260	**सेफ्टी कीट उपलब्ध कराना** ? बाढ़ विधानसभा में बरसात के समय बिजली कटने पर लाइन बनाने जाने वाले इलेक्ट्रिक मिस्त्री को जरूरी किट उपलब्ध नही कराए जाने से जान का खतरा बना रहता है? अतः इलेक्ट्रिक मिस्त्री को सेफ्टी कीट, रिचार्जेबल टॉर्च, रेन-कोट एवं रबर-बूट उपलब्ध कराने की माँग सरकार से करता हूँ?	सियाराम सिंह (179)	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा			***So Notices 3 (SO Notice)*** *to* ***Secretary*** *- (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/261	**पुल के निर्माण के संबंध में |** पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत बगहा विधानसभा पुलिस जिला एवं अनुमंडल हैं जिनका चार प्रखंड गंडक नदी उसपार के साथ गन्ना बहुमूल्य क्षेत्र होने के कारण गंडक नदी पर शास्त्रीनगर से बेलवनिया तक हाई लेवल पुल निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूँ	राम सिंह (04)	पथ निर्माण विभाग	पथ निर्माण			***So Notices 2 (SO Notice)*** *to* ***Secretary*** *- (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/262	**यूरिया खाद की कालाबाजारी एवं किसानों से अवैध वसूली पर कार्रवाई के संबंध में?** चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में किसानों को निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर यूरिया खाद बेची जा रही है तथा अधिक दाम देने से इनकार करने वाले किसानों को खाद नहीं दी जा रही है?अतः सरकार दोषी विक्रेताओं की जांच कर कार्रवाई करते हुए निर्धारित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराए?	अभिषेक रंजन (07)	कृषि विभाग	कृषि			***So Notices 2 (SO Notice)*** *to* ***Secretary*** *- (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/263	**पथ चौड़ीकरण कराना** पथ निर्माण विभाग द्वारा प्राणपुर विधानसभा के सालमारी दमदमा आजमनगर तथा बस्तौल सोनैली झौंआ पथ के चौड़ीकरण निर्माण हेतू क्रमशः 65 एवं 36 करोड़ लागत राशि का डीपीआर बनाया गया है? अतः उक्त दोनों पथ का जरूरी अनुमोदन कर अति शीघ्र निर्माण की मांग मैं सरकार से करती हूं?	निशा सिंह (66)	पथ निर्माण विभाग	पथ निर्माण			***So Notices 2 (SO Notice)*** *to* ***Secretary*** *- (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/264	**कटाव रोकने के संबंध में** मोतीपुर प्रखंड अन्तर्गत बरियारपुर पश्चमी और बरियारपुर उत्तरी पंचायत में बूढ़ी गंडक नदी का कटाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है,जिससे दोनों पंचायत में हजारों घर प्रभावित होंगे अतः मै सरकार से उक्त दोनों पंचायतों में कटाओ रोकने हेतु अति आवश्यक करवाई जल्द से जल्द करने की माँग करता हूँ	अरुण कुमार सिंह (96)	जल संसाधन विभाग	जल संसाधन			***So Notices 2 (SO Notice)*** *to* ***Secretary*** *- (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/265	**change wire** जिला किशनगंज ,प्रखण्ड पोठीया अंतर्गत वर्ष 2007 से 2015 के दरमियान लगाए गए विद्युत तार अब जर्जर होगए हैं ! प्रतिदिन सपार्किंग ,तार टूट कर गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है ! अतः मैं सभी पुराने तार को बदलकर केबजिला किशनगंज ,प्रखण्ड पोठीया अंतर्गत वर्ष 2007 से 2015 के	कमरुल होदा (54)	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा			***So Notices 2 (SO Notice)*** *to* ***Secretary*** *- (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना अपूर्ण रहने के कारण अमान्य किया जा सकता है |
23(A)	18/3/266	**लो वोल्टेज कि समस्या को दूर करना |** भोजपुर जिला संदेश प्रखण्ड के भीमपुरा, बागा सहित दर्जनों गाँवों में लो वोल्टेज कि समस्या है� इन गाँवों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने वाले किरकिरी पावरसबस्टेशन के जर्जर विद्युत उपकरणों एवं तारों को बदलना अत्यंत आवश्यक है� अत: मैं जनहित में उक्त समस्या के शीघ्र निराकरण की मांग करता हूँ|	राधाचरण साह (192)	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा			***So Notices 2 (SO Notice)*** *to* ***Secretary*** *- (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/267	**सड़क ऊँचीकरण एवं जल निकासी के संबंध में �** नरकटियागंज नगर परिषद के नंदपुर में शंभू यादव के घर से नंदपुर नाला तक सड़क नीची होने से स्थायी जलजमाव रहता है� इससे आमजन, राहगीरों एवं स्कूली बच्चों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है� सरकार शीघ्र सड़क ऊँचीकरण एवं जल निकासी की व्यवस्था कराए�	संजय कुमार पाण्डेय (03)	नगर विकास एवं आवास विभाग	नगर विकास एवं आवास			***So Notices 2 (SO Notice)*** *to* ***Secretary*** *- (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/268	**पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने हेतु** अरवल उत्पाद विभाग की हिरासत में अनिल महतो जी उर्फ पुनू महतो जी की संदिग्ध मृत्यु अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक है? इस मामले की मैं सरकार से उच्चस्तरीय जांच, दोषियों पर कठोर कार्रवाई तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा हेतु इस सदन के माध्यम से मांग करता हूँ?	मनोज कुमार (214)	गृह विभाग	गृह विभाग			*So Notices 2 (SO Notice) to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/269	**पावर हाउस का निर्माण** भागलपुर शहर में भविष्य की विद्युत मांग एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए टीएनबी कॉलेज, शीतला स्थान चौक, जीरो माइल एवं आदमपुर में चार नए पावर हाउस का निर्माण कराया जाए, ताकि बढ़ती विद्युत आवश्यकता की पूर्ति हो सके और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति मिले?	रोहित पाण्डेय (156)	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा			*So Notices 2 (SO Notice) to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/270	**रेलिंग का निर्माण** पूर्वी चंपारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत गंडक नहर का पक्कीकरण हुआ है जिसमें नारायणपुर से बलीबेलवा के बीच एक तीखा मोड़ है जिसके एक तरफ नहर और दूसरी तरफ गड्ढा है? वहां रेलिंग नहीं रहने से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं? उक्त मोड़ पर नियॉन लाइटयुक्त रेलिंग लगाये?	शालिनी मिश्रा (15)	जल संसाधन विभाग	जल संसाधन			*So Notices 3 (SO Notice) to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/271	**कार्रवाई करना है** कोचाधामन विधानसभा अन्तर्गत पिछले दिनों हत्या की घटनाओं से पीड़ित परिवारों एवं जनता में गहराआक्रोश है? एहसानरजा, (भागपुनास), मो०रिजवान, (बिशनपुर),कैशरआलम, (सफानगर) एवं यजदान(सोंथा)इन मामलों की समीक्षा करते हुए इन्हें स्पीडिट्रायल के अन्तर्गत दोषियों को जल्द से जल्द सजादिलाई जाने की सदन से मांग करता हूँ?	सरवर आलम (55)	गृह विभाग	गृह विभाग			*SO Notices 1 (SO Notice) to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है?

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/272	**पर्यटन आधारित माडल स्टेशन** बांका जिला के बौंसी प्रखण्ड स्थित विश्व प्रसिद्ध मंदार पर्वत के निकट मंदार हिल स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पर मूलभूत यात्री सुविदाओं का अभाव है स्टेशन को पर्यटन आधारित माडल स्टेशन के रूप में विक्षित कर अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल कराने हेतु सरकार से मांग करता हूँ|	पुरन लाल टुडू (162)	पर्यटन विभाग	पर्यटन			*So Notices 2 (SO Notice) to* ***Secretary*** *- (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/273	**कृषि कार्य हेतु बिजली** वाल्मीकिनगर विधानसभा क्षेत्र की सभी 53 पंचायतों में कृषि कार्य हेतु पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं होने से किसानों की फसलें सूख रही हैं, मैं सदन के माध्यम सरकार से कृषि कार्य हेतु बिजली की मांग करता हूँ"	सुरेंद्र प्रसाद (01)	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा			*So Notices 2 (SO Notice) to* ***Secretary*** *- (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/274	**कांव नदी पर पुल का निर्माण कार्य के संबंध में |** रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड +पंचायत-संझौली के ग्राम-वाजितपुर में स्वीकृति के उपरांत कांव नदी पर पुल का निर्माण कार्य लंबित है मैं स्वीकृत कांव नदी पर पुल का निर्माण कार्य शीघ्र कराने की सदन के माध्यम से माँग करता हूँ	अरूण सिंह (213)	जल संसाधन विभाग	जल संसाधन			*So Notices 2 (SO Notice) to* ***Secretary*** *- (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/275	**वेतन वृद्दि के संबंध में** प्रदेश में 6000 कार्यरत आवास सहायकों की तनख्वाह 13700 है सरकार द्वारा वेतन 20% बढ़ोतरी का आश्वासन दिया गया लेकिन सैलरी बढ़ाना तो दूर पिछले 9 महीने से उनका वेतन भुगतान नहीं हुआ है वेतन भुगतान करते हुए वेतन मे 20% बढ़ोतरी करने की सरकार से माँग करता हूँ	सतीश कुमार सिंह यादव (203)	ग्रामीण विकास विभाग	ग्रामीण विकास			*So Notices 2 (SO Notice) to* ***Secretary*** *- (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/276	**पुल का निर्माण के संबंध में |** सारण जिलांतर्गत तरैया और इसुआपुर प्रखंडों की सीमा पर अवस्थित पुल (SH-73 छपियां-मंडार-पुल और गोविन्दापुर-HL-Bridge) के एप्रोच रोड पर लोहे का गार्डर न होने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। यह एक गंभीर सुरक्षा समस्या है। अतः सरकार इसके समाधान के लिए संबंधित विभागों से आवश्यक कारवाई करावें।	जनक सिंह (116)	पथ निर्माण विभाग	पथ निर्माण			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/277	**मानसी के मंजरा धार पर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम एवं मल्टी लेवल मार्केट निर्माण की मांग** मेरे विधानसभा क्षेत्र के मानसी बाजार में जलजमाव और यातायात की समस्या के स्थायी समाधान हेतु मंजरा धार पर आधुनिक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम तथा मल्टी लेवल मार्केट का निर्माण कराए जाने की मांग मैं सरकार से करता हूं।	बबलू कुमार (149)	नगर विकास एवं आवास विभाग	नगर विकास एवं आवास			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/278	**नदी कटाव से बचाव के संबंध में |** पूर्णिया जिला अंतर्गत प्रखंड अमौर एवं बैसा के ग्राम मलहना, डमराह एवं चिलहनी महानंदा नदी के भीषण कटाव से प्रभावित हैं। विगत तीन दिनों में महानंदा नदी ने 300 मीटर से अधिक कटाव कर चुका है। अतः उक्त ग्रामों को नदी कटाव से बचाने हेतु सरकार से मांग करता हूं	अख्तरूल ईमान (56)	जल संसाधन विभाग	जल संसाधन			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/279	**पुल निर्माण करने की मांग** सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत कुम्मा से बेला पथ निर्माण की सड़क पर मानिकपुर मुशहरनियां गांव में नदी पर पुल जर्जर है आवागमन बाधित है अतः मैं सरकार से मांग करती हूं कि कुम्मा बेला पथ के मानिकपुर मुशहरनियां गांव में पुल का निर्माण अविलंब करावे	गायत्री देवी (25)	पथ निर्माण विभाग	पथ निर्माण			*So Notices 2 (SO Notice) to Secretary - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/280	**पुल निर्माण के संबंध में |** दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत जुड़िया नदी पर स्थित अरई पुल वर्ष 2007 की बाढ़ में ध्वस्त होने के 19 वर्षों बाद भी नहीं बन सका है? इससे सढ़वाड़ा और हरपुर पंचायतों की विशाल आबादी प्रभावित है, चालू वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन कर इसके त्वरित पुनर्निर्माण कराये	मुरारी मोहन झा (86)	ग्रामीण कार्य विभाग	ग्रामीण कार्य			***So Notices 3 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है | ***So Notices 2 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/281	**स्विमिंग पूल का निर्माण?** मुंगेर जिला मुख्यालय में एक भी आधुनिक स्विमिंग पूल नहीं होने से राज्यस्तरीय तैराकी प्रतियोगिताओं में अव्वल मुंगेर जिला के तैराकी प्रतियोगियों को मजबूरन गंगा नदी के असुरक्षित घाटों पर अभ्यास करना पड़ता है? अतः मुंगेर में एक आधुनिक, मानक स्विमिंग पूल निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूँ?	कुमार प्रणय (165)	खेल विभाग	खेल			***So Notices 3 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/282	**सहायता राशि दोगुना करना?** पश्चिमी चम्पारण, लौरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आयी बाढ़ से अंचल योगापट्टी और लौरिया के दर्जनों पंचायत प्रभावित हुए हैं? सरकार से बाढ़ प्रभावित पंचायतो के पीड़ित परिवारो और किसानो के लिए प्राप्त कराई जाने वाली सहायता राशि महंगाई को देखते हुए दोगुना करवाने की सदन से माँग करता हूँ?	विनय बिहारी (05)	आपदा प्रबंधन विभाग	आपदा प्रबंधन			***So Notices 3 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/283	**कृषि ट्रांसफार्मर** पटना जिला अंतर्गत पालीगंज और दुल्हिनबाजार प्रखंड में एक तरफ सोन नहर, पर्याप्त पानी नहीं है तो दूसरी तरफ सिंचाई कार्य के लिए कृषि ट्रांसफार्मर की भीषण कमी है अतः सरकार से नहरे में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने तथा विभिन्न गांव में कृषि ट्रांसफार्मर लगाने की मांग करता हूं	संदीप सौरभ (190)	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा			***So Notices 3 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/284	कार्रवाई करना निजी विद्यालयों में RTE के तहत 25% निःशुल्क प्रवेश का पालन नहीं हो रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं बिहार RTE नियमावली अनुसार निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश अनिवार्य है। सरकार पारदर्शी निगरानी, सख्त अनुपालन तथा उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई सुनिश्चित करे।	विष्णु देव पासवान (107)	शिक्षा विभाग	शिक्षा			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/285	प्रखंड बनाना भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती विधान सभा के सुदूर क्षेत्रों में विकास की गति बरकरार रखने और प्रशासनिक सुगमता हेतु स्थानीय जनता वर्षों से प्रखंड/अनुमंडल विभाजन की मांग कर रही है। अतः व्यापक जनहित में 'शिवनारायणपुर' को अविलंब नया प्रखंड बनाने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूँ।	मुरारी पासवान (154)	सामान्य प्रशासन विभाग	सामान्य प्रशासन			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/286	रिक्त पदों को शीघ्र भरना फार्मासिस्ट के लगभग 2300 रिक्त पदों के विरुद्ध अब तक केवल करीब 800 पदों पर ही बहाली की गई है, तो शेष रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए सरकार से मांग करता हूँ	देवंती यादव (46)	स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/287	**हैदराबाद से ट्रेन द्वारा लौटते समय लापता सुभाष चौपाल की खोज हेतु बिहार सरकार से सहयोग की मांग।** मेरे विधानसभा क्षेत्र अलीनगर के तारडीह प्रखंड, नदियामी निवासी सुभाष चौपाल हैदराबाद से ट्रेन द्वारा घर लौटने के दौरान लापता हो गए हैं। यह जीआरपी का मामला है। उनकी खोज हेतु बिहार सरकार से संबंधित एजेंसियों के समन्वय एवं त्वरित कार्रवाई की मांग करती हूँ।	मैथिली ठाकुर (81)	गृह विभाग	गृह विभाग			*SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है।
23(A)	18/3/288	नवीन थाना का भवन निर्माण रोसड़ा विधानसभा अंतर्गत शिवाजीनगर मुख्यालय में ही पुलिस थाना के लिए शीघ्र नवीन थाना भवन निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूँ।	बीरेन्द्र कुमार (139)	गृह विभाग	गृह विभाग			*So Notices 3 (SO Notice) to Secretary - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/289	**P.G की पढाई शुरू करने के सम्बन्ध में** अरवल जिले अंतर्गत सरकारी महाविद्यालय में P.G (स्नाकोत्तर) की पढाई की सुविधा नहीं है जिसके कारण इस जिले के बच्चों को बहुत दूर जाकर पढाई करना पड़ता है। अतः मैं इस जिले में जल्द से जल्द P.G (स्नाकोत्तर) की पढाई की मांग करता हूँ।	पप्पु कुमार वर्मा (215)	उच्च शिक्षा विभाग	उच्च शिक्षा			***So Notices 3 (SO Notice)** to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/290	**भवन एवं चाहरदीवारी निर्माण हेतु** समस्तीपुर जिलांतर्गत हसनपुर एवं बिथान प्रखंड में नव स्वीकृत आदर्श विद्यालय न्यू-इंडिया सूगरमिल्स उच्च विद्यालय हसनपुर तथा बिथान प्रखंड के राज्य सम्पोषित उच्च विद्यालय सखवा में भवन एवं चाहरदीवार निर्माण करवाने हेतु जनहित में सरकार से मांग करता हूं?	राज कुमार राय (140)	शिक्षा विभाग	शिक्षा			***So Notices 3 (SO Notice)** to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/291	**जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण, संरक्षण एवं उन्नयन के संबंध में** भोजपुर में आरा–सासाराम मार्ग से मंझियाँव तथा पीरो–बिहटा मार्ग से बसौरी तक ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा वर्ष 2012 से पूर्व निर्मित सड़कों का आज तक अनुरक्षण एवं उन्नयन नहीं किया गया है? सड़कें अत्यंत जर्जर होने से आवागमन प्रभावित है? सरकार शीघ्र पुनर्निर्माण एवं उन्नयन की स्वीकृति प्रदान करें?	विशाल प्रशांत (196)	ग्रामीण कार्य विभाग	ग्रामीण कार्य			***So Notices 2 (SO Notice)** to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/292	**वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना** शून्य काल प्रभारी सचिव बिहार विधानसभा, पटना | बिहार विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 23 (क) के तहत लोक महत्व के विषय पर शून्यकाल की सूचना देती हूँ | भवदीय (मनोरमा देवी) गयाजी जिला अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध प्रेतशिला पर्वत पर अवस्थित सरोवर के प्रदूषित जल में	मनोरमा देवी (232)	लघु जल संसाधन विभाग	लघु जल संसाधन			***So Notices 2 (SO Notice)** to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना अपूर्ण रहने के कारण अमान्य किया जा सकता है |

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/293	**प्रस्तावित ग्रीड का निर्माण जल्द कराने के संबंध में** गया जिलांतर्गत गुरुआ विधान सभा के तीन लाख की आबादी को कम बिजली आपूर्ति के कारण काफी समस्या होती है? सेटेलाइट टाउन शिप गया शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? जिससे बिजली की और कमी होगी मैं गुरारू में प्रस्तावित ग्रीड का निर्माण जल्द कराने की मांग करता हूं	उपेन्द्र प्रसाद (225)	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा			***So Notices 2 (SO Notice)** to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/294	**सड़क के पुनर्निर्माण एवं नाला निर्माण के संबंध में** मुशहरी प्रखंड के द्वारिकानगर चौक से बिन्दा हाई स्कूल तक 1.20 किमी सड़क अत्यंत जर्जर है? बड़े-बड़े गड्ढों एवं जलजमाव के कारण लगातार दुर्घटनाएँ हो रही हैं? ₹148.35 लाख का प्राक्कलन विभाग को भेजा जा चुका है? सरकार शीघ्र स्वीकृति देकर सड़क एवं नाला निर्माण कार्य प्रारंभ कराए?	बेबी कुमारी (91)	ग्रामीण कार्य विभाग	ग्रामीण कार्य			***So Notices 2 (SO Notice)** to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/295	**सड़क चौड़ीकरण के मांग के संबंध में |** पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चिरैया प्रखंड की चिरैया–सेमरा–शिकारगंज भारतमाला को जोड़ने वाली 8.1 किमी सड़क अत्यंत जर्जर एवं संकीर्ण हो गई है? इससे आमजन को आवागमन में भारी कठिनाई हो रही है? अतः सरकार से इस सड़क के चौड़ीकरण एवं शीघ्र निर्माण कराने की मांग करता हूँ?	लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (20)	ग्रामीण कार्य विभाग	ग्रामीण कार्य			***So Notices 2 (SO Notice)** to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/296	**कालीकरण पथ निर्माण करने के संबंध में?** जिला-पूर्णिया प्रखंड-रुपौली पंचायत-भौवाप्रखल ग्राम - सोहरादिरा ,बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? आजादी बाद भी वहां के बसावटों को कच्ची सड़क से आवागमन करना पड़ता है? बरसात एवं बाढ़ के दिनों में कठिनाई होती है? अतः चलते सत्र में सोहरादिरा तक कालीकरण पथ निर्माण कराने की मांग करता हूं	कलाधर प्रसाद मंडल (60)	ग्रामीण कार्य विभाग	ग्रामीण कार्य			***So Notices 2 (SO Notice)** to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/297	**शिक्षकों की नियुक्ति करने** जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा की अंगीभूत इकाइयों—राजकीय डिग्री कॉलेज लकड़ी नबीगंज (संचालित: उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुसेपुर) एवं राजकीय डिग्री कॉलेज बसंतपुर (संचालित: इंदुमति उच्च माध्यमिक विद्यालय, बसांव)—में पठन-पाठन करने हेतु सभी विषयों के शिक्षकों की अविलंब नियुक्ति की जाए�	देवेशकान्त सिंह (111)	उच्च शिक्षा विभाग	उच्च शिक्षा			*So Notices 2 (SO Notice) to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/298	**दोषियों पर कार्रवाई** नालन्दा जिले के राजगीर थानान्तर्गत झुनूकिया बाबा मठ के पुजारियों द्वारा हाल ही मे दो दलित युवकों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई� यह कानून-व्यवस्था की विफलता दर्शाती है� दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई तथा पीड़ित परिवारों को न्याय व उचित मुआवजा की माँग करता हूँ �	कुमार सर्वजीत (229)	सामान्य प्रशासन विभाग	सामान्य प्रशासन			*So Notices 2 (SO Notice) to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/299	**सड़क के निर्माण के संबंध में |** सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सुरसंड प्रखंड राधाउर के R.w.d मुख्य पथ राधाउर मोड़ से राधाउर हाई स्कूल तक क्षतिग्रस्त होकर गड्ढा एवं खतरनाक हो गया है फलतः आवागमन में हमेशा दुर्घटना होते रहती है अतः उक्त सड़क के निर्माण हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं	नागेन्द्र राउत (26)	ग्रामीण कार्य विभाग	ग्रामीण कार्य			*So Notices 2 (SO Notice) to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/300	**विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना** दाउदनगर अनुमंडलीय अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से मरीजों को निजी अस्पतालों या जिला मुख्यालय जाना पड़ता है � अतः सरकार से सभी स्वीकृत विशेषज्ञ पदों पर शीघ्र नियुक्ति सुनिश्चित करने की मांग करता हूँ �	प्रकाश चंद्र (220)	स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य			*So Notices 3 (SO Notice) to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/301	**संपर्क सड़क बनाना |** 100 से अधिक आबादी के मुहल्लों के लाखो परिवार सरकारी रास्ते के आभाव में सड़को से एकल संपर्कता से बंचित है, निजी जमीन का अधिगृहण कर या सतत लीज पर लेकर उन्हें रास्ता बनाकर देने वाले क़ानून को शीघ्र और सख्ती से लागू करने की माँग करता हूँ।	आलोक कुमार मेहता (134)	ग्रामीण कार्य विभाग	ग्रामीण कार्य			*So Notices 3 (SO Notice) to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/302	**गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करना |** रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड अंतर्गत एनएच-30 से गंजभरसारा तक निर्माणाधीन सड़क में बरती जा रही अनियमितता एवं घटिया निर्माण गुणवत्ता की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ? अतः इसकी उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित कराया जाए?	आलोक कुमार सिंह (210)	ग्रामीण कार्य विभाग	ग्रामीण कार्य			***So Notices 3 (SO Notice)** to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना को स्वीकृत किया जा सकता है |
23(A)	18/3/303	**Special Task Force** मैरवा एवं नौतन प्रखंड से सटे उत्तर प्रदेश की सीमा से शराब की भारी तस्करी हो रही है | इसे रोकने में वहाँ की मैरवा की अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूरी तरह से अक्षम है | अतः मैं माँग करता हूँ कि तस्कर रोकने हेतु वहाँ स्पेशल टास्क फ़ोर्स बनाया जाय	भीष्म प्रताप सिंह (106)	सामान्य प्रशासन विभाग	सामान्य प्रशासन			***SO Notices 1 (SO Notice)** to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है?
23(A)	18/3/304	**अंडरपास और सर्विस लेन का निर्माण** भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव विधानसभा के ग्राम-कुशहा में निर्माणाधीन फोरलेन के कारण आबादी और कृषि भूमि दो हिस्सों में बंट गई है? किसानों को खेतों तक जाने का मार्ग नहीं बचा है? यहाँ अविलंब अंडरपास और सर्विस लेन का निर्माण कराने की माँग सरकार से करता हूँ?	शुभानंद मुकेश (155)	पथ निर्माण विभाग	पथ निर्माण			***SO Notices 1 (SO Notice)** to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है?
23(A)	18/3/305	**बोहरवा चौक से गोरियारी होते हुए शैनीटोला चौक तक जाने वाली ग्रामीण सड़क का निर्माण की मांग करता हूँ?** सिमरीबख्तियारपुर विधानसभा में सलखुआ प्रखंड के कोसी बांध के बोहरवा चौक से गोरियारी होते हुए शैनीटोला चौक तक जाने वाली ग्रामीण सड़क अत्यंत जर्जर एवं क्षत-विक्षत स्थिति में है? राहगीरों का आवागमन काफी जोखिमभरा हो गया है मैं सरकार से इस पथ के निर्माण की मांग करता हूँ?	संजय कुमार सिंह (76)	ग्रामीण कार्य विभाग	ग्रामीण कार्य			***SO Notices 1 (SO Notice)** to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है?

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/306	**अग्निशमन केंद्र खोलना** पूर्वी चंपारण जिला के तेतरिया प्रखंड, मेहसी प्रखंड सहित बिहार के सभी प्रखंडों में अग्निशमन केंद्र की स्थापना सरकार शीघ्र करवाए ताकि आगजनी की घटनाओं में दमकल वाहन समय से पहुंचे और जान माल की क्षति कम हो ?	श्याम बाबू प्रसाद यादव (17)	गृह विभाग	गृह विभाग			***SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है?
23(A)	18/3/307	**चिकित्सक की पदस्थापना** औरंगाबाद जिला अंतर्गत गोह प्रखंड में प्रखंड स्तरीय पशु चिकित्सालय में पूर्णकालिक चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के पदस्थापना की मैं सरकार से मांग करता हूँ ?	अमरेन्द्र कुमार (219)	डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग	डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग			***SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है?
23(A)	18/3/308	**नहर को पन्सल्ला ग्राम में बेलाशी नदी से जोड़ देने की मांग** बांका जिला के शंभूगंज प्रखंड के कस्वा ग्राम के कस्वा नहर को पन्सल्ला ग्राम में बेलाशी नदी से जोड़ देने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं?	ललित नारायण मंडल (157)	जल संसाधन विभाग	जल संसाधन			***SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है?
23(A)	18/3/309	**बाढ़ राहत** पूर्वी चंपरण के जटवा–जनेरवा लिंक रोड, बड़का जनेरवा महादलित टोला, सिसवानिया–पतरकी डगर रोड, सुंदरपुर गांव तथा माई स्थान से बिन टोली तक दुधवारा नदी के तटबंध पर हो रहे लगातार कटाव के कारण सड़कें , घर एवं फसल खतरे में हैं कई परिवारों के विस्थापन की आशंका उत्पन्न हो गई ?	विशाल कुमार (12)	आपदा प्रबंधन विभाग	आपदा प्रबंधन			***SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है?
23(A)	18/3/310	**नला निर्माण करना है** लखीसराय जिला के चानन प्रखंड के जानकीडीह पंचायत अंतर्गत ग्राम धनवह में पानी की निकासी नहीं होने के कारण जलजमाव की स्थिति भयावह हो गई है? किसानों की सैकड़ो एकड़ भूमि में जलजमाव के कारण आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है? सरकार जल्द सेजलजमाव मुक्ति दिलाये?	रामानन्द मंडल (167)	लघु जल संसाधन विभाग	लघु जल संसाधन			***SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है?

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/311	**पर्यटन विभाग** वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड अंतर्गत सरसई सरोवर विश्व प्रसिद्ध 163 फीट ऊँचा सभी द्वादश ज्योतिलिंग से आच्छादित शिवालय श्री द्वारिका कैलाश धाम स्थापित है | यह ऐतिहासिक धरोहर सरसई सरोवर एवं रानीपोखर पोखर को पर्यटन स्थल के रूप में समग्र विकसित कराने हेतु मांग करता हूँ |	महेन्द्र राम (127)	पर्यटन विभाग	पर्यटन			***SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है□
23(A)	18/3/312	**लापता लड़कियों की बरामदगी** "मैं सदन के माध्यम से गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली थाना के मिर्जापुर ग्रामवासी राजू कुमार कुशवाहा की लापता दो बेटियों आन्नया कुमारी एवं नंदनी कुमारी की शीघ्र बरामदगी की माँग सरकार से करता हूँ|"	मंजीत कुमार सिंह (100)	गृह विभाग	गृह विभाग			***SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है□
23(A)	18/3/313	**ग्रामीण सड़कों** परबत्ता विधानसभा क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों के किनारों पर फ्लैंक (मिट्टी भराई) नहीं होने से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है□ सरकार सभी ग्रामीण सड़कों के दोनों किनारों पर शीघ्र फ्लैंक निर्माण कराकर सुरक्षित एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करे□	बाबुलाल शौर्य (151)	ग्रामीण कार्य विभाग	ग्रामीण कार्य			***SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है□
23(A)	18/3/314	**स्थाई निवास प्रमाण पत्र निर्गत करना** रोहतास जिला अंतर्गत डेहरी - डालमिया नगर परिषद के बारह पत्थर मोहल्ला के वार्ड नंबर 35 , 36 एवं 37 में 15 वर्षों से भी अधिक समय से रह रहे लोगों का मालगुजारी (राजस्व)रसीद काटने एवं स्थाई निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग करता हूं □	राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह (212)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व एवं भूमि सुधार			***SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है□
23(A)	18/3/315	**बदुरी में जर्जर पुल के स्थान पर उच्चस्तरीय आरसीसी पुल निर्माण□** सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड अंतर्गत लखनदेई नदी पर बदुरी स्थित पुल अत्यंत जर्जर हो चुका है, जिससे आवागमन जोखिमपूर्ण बना हुआ है□ जनहित एवं सुरक्षित आवागमन हेतु उक्त पुल के स्थान पर शीघ्र उच्चस्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण कराया जाए□	अनिल कुमार (24)	ग्रामीण कार्य विभाग	ग्रामीण कार्य			***SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है□

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/316	**उच्च माध्यमिक विद्यालय खोपिरा +2 को भूमि उपलब्ध कराने तथा भवन का निर्माण कराने के संबंध में** भोजपुर जिला अंतर्गत अगिआंव प्रखंड के ग्राम खोपिरा में उच्च माध्यमिक +2 विद्यालय की मान्यता प्राप्त है, लेकिन विद्यालय के न अपनी भूमि है और न भवन। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित है। अतः सरकार से विद्यालय हेतु भूमि उपलब्ध कराकर शीघ्र भवन निर्माण कराने की मांग करते हैं।	महेश पासवान (195)	शिक्षा विभाग	शिक्षा			***SO Notices 1 (SO Notice)*** *to* ***Secretary*** *- (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है।
23(A)	18/3/317	**कोसी प्रोजेक्ट की लंबित शाखा नहरों के निर्माण एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान किसानों की सिंचाई से जुड़ी गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। क्या कोसी प्रोजेक्ट की सभी चिह्नित शाखा नहरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो लंबित शाखा नहरों का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जाएगा।	माधव आनंद (36)	जल संसाधन विभाग	जल संसाधन			***SO Notices 1 (SO Notice)*** *to* ***Secretary*** *- (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है।
23(A)	18/3/318	**कार्यवाही के सन्दर्भ मे** मै सदन के माध्यम से सुपौल जिला अंतर्गत प्रतापगंज प्रखंड के डिग्री महाविद्यालय उद्घाटन समारोह मे क्षेत्रीय विधायक को आमंत्रित नही करने तथा लगाए गए शिलापट्ट मे नाम अंकित नही कराने वाले पदाधिकारी /कर्मचारी के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की मांग सरकार से करती हूँ।	सोनम रानी (44)	सिविल विमानन विभाग	सिविल विमानन			***SO Notices 1 (SO Notice)*** *to* ***Secretary*** *- (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है।
23(A)	18/3/319	**पुनः समायोजन करने की मांग** राज्य के मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में B O O T के तहत कार्यरत ICT LAB INSTRUCTOR की सेवा को देखते हुए उन्हें पुनः नया B O O T MODEL में समायोजन करने की मांग करता हूँ।	इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (75)	शिक्षा विभाग	शिक्षा			***SO Notices 1 (SO Notice)*** *to* ***Secretary*** *- (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है।

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/320	**सड़क निर्माण कराना** अलौली प्रखंड अंतर्गत आनंदपुर मारन के सोनमंकी से लेकर सरबजीता तक प्रधानमंत्री सड़क योजना की स्थिति काफी जर्जर बन गई हैं उक्त सड़क सहरसा जिला एवं खगड़िया जिला को जोड़ती हे इसलिए इस सड़क को प्रधानमंत्री सड़क योजना से अति शीघ्र निर्माण कार्य कराया जाय?	राम चन्द्र सदा (148)	ग्रामीण कार्य विभाग	ग्रामीण कार्य			***SO Notices 1 (SO Notice)*** *to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है?
23(A)	18/3/321	**सुपौल जिला में कोशी नदी के पूर्वी तटबंध के 05 से 50 KM तक जल जमाव के निकासी** सुपौल जिला में कोशी नदी के पूर्वी तटबंध के 05 से 50 KM तक होने वाली जल जमाव के निकासी हेतु ड्रेनेज कैनाल का निर्माण किया जाये ताकि किसानों और आम जनमानस को इसका लाभ मिले | यहाँ लम्बे समय तक होने वाले जल जमाव का तकनिकी निदान आवश्यक है	नीरज कुमार सिंह (45)	जल संसाधन विभाग	जल संसाधन			***SO Notices 1 (SO Notice)*** *to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है?
23(A)	18/3/322	**पुल निर्माण** सिवान जिले के बड़हरिया प्रखंड स्थित भोपतपुर और राछोपाली नदी पर गाद निकासी के दौरान पुल ध्वस्त हो जाने से दर्जनों गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है? आवागमन गंभीर रूप से प्रभावित है? अतः सरकार से अविलंब नया पुल निर्माण कराने की मांग करता हूँ|	इन्द्रदेव सिंह (110)	ग्रामीण कार्य विभाग	ग्रामीण कार्य			***SO Notices 1 (SO Notice)*** *to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है?
23(A)	18/3/323	**बेलसंड विधानसभा क्षेत्र की जर्जर ग्रामीण सड़कों एवं नाला निर्माण के संबंध में?** बेलसंड विधानसभा क्षेत्र की दर्जनों ग्रामीण सड़कें जर्जर हैं? सड़कों के किनारे नाला नहीं होने से वर्षा में जलजमाव होता है? गड्ढों में पानी भरने से आवागमन बाधित रहता है तथा दुर्घटनाएँ हो रही हैं? अतः जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण एवं पक्के नालों का निर्माण कराया जाए?	अमित कुमार (30)	ग्रामीण कार्य विभाग	ग्रामीण कार्य			***SO Notices 1 (SO Notice)*** *to **Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है?

Rule No.	Diary No.	Details	Asked By	Ministry	Department	Status	Sent Date	Remarks
23(A)	18/3/324	**फलका प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना?** कटिहार जिला के फलका प्रखंड में आज तक कोई राजकीय अथवा अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय नहीं है? सामान्य स्नातक शिक्षा के अभाव में विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ता है? अतः सरकार से फलका प्रखंड में शीघ्र डिग्री महाविद्यालय की स्थापना कराने की मांग करती हूँ?	कविता देवी (69)	उच्च शिक्षा विभाग	उच्च शिक्षा			***SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है?
23(A)	18/3/325	**निर्माण कार्य** शेखपुरा जिला के ओनामा गांव स्थित प्राचीन तालाब में गंदे नाले का पानी गिरने से छठ व्रतधारियों को भारी कष्ट हो रहा है पूर्व मे स्थित .शिव मंदिर कि पवित्रता भी प्रभावित हो रही हैं | पक्का ढक्कनदार नाला, गाइड वॉल तथा छठ घाट का निर्माण शीघ्र कराया जाय?	कुमार पुष्पंजय (170)	पंचायती राज विभाग	पंचायती राज			***SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है?
23(A)	18/3/326	**आर.सी.डी पथ निर्माण के संबध में |** डुमरा से गौशाला चौक तक आर.सी.डी पथ एवं नाला चौरीकरण के साथ जल्द निर्माण कराने कि आवश्यकता है एवं गौशाला से खैरवा चौक तक पथ एवं नाला चौरीकरण के साथ आर.सी.डी. में अधिग्रहण कर अविलम्ब बनाया जाए जिससे सीतामढ़ी शहर को एक बाईपास मिलेगा एवं शहर जाम से मुक्त होग	सुनील कुमार पिन्टू (28)	पथ निर्माण विभाग	पथ निर्माण			***SO Notices 1 (SO Notice) to Secretary** - (22-07-2026)* शून्यकाल की सूचना स्वीकृत की जा सकती है ?

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–14 / सुरज / 22.07.2026

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

बिहार नगर विकास विधेयक, 2026

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नगर विकास विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नगर विकास विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नगर विकास विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक पर जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राहुल कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार नगर विकास विधेयक, 2026 दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।"

महोदय, काफी बड़ी योजना और जितना कम समय दिया गया है और जिस तरह से यह पूरा सिस्टम बनाया गया है, जो इसका ढांचा तैयार किया गया है, कितनी हड़बड़ी में, बड़ा हास्यास्पद लगता है । 22 वर्षों से सरकार है । आर्गेनाइजेशन पर कोई ध्यान नहीं । अंतिम में किया भी आपने तो इतना हभर–धभर में किया कि पूरा का पूरा जो है त्रुटिपूर्ण रहा है । इसमें आपने जो भी पूर्व से ग्राम पंचायत हैं, नगर पंचायत हैं जो उसका एरिया है उसके क्षेत्राधिकार के बारे में आपने सोचा ही नहीं । सीधे पूरा ब्यूरोक्रेटिक ढांचा बनाकर सामने आपने प्रस्तुत कर दिया है। यहां के सांसदों का, विधायकों का कम से कम कमेटी आपने बनाया था तो वहां से जो अफेक्टेड सांसद हैं, विधायक हैं, मुखिया हैं उनको तो अपनी कमेटी में आप रखते कि कम से कम किस तरह से डेवलपमेंट होना है उस जगह का, किस तरह से विकास करना चाहते हैं, मास्टर प्लान किस तरह का बनाना चाहते हैं । उसके बारे में चर्चा हो सकती थी । इसके अलावा जमीन आपने किसान का ले लिया । किसान से जमीन लेने के लिये आपने इसमें प्रावधान किया, उसका जो सोशल इम्पैक्ट का असेसमेंट कराया कि नहीं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट का असेसमेंट कराया की नहीं । बिना इम्पैक्ट असेसमेंट के इतना बड़ा जमीन अधिग्रहण, इतने बड़े क्षेत्र का अधिग्रहण आपने कर लिया और इसके बारे में कहीं कोई आपने सोचा ही नहीं है । इसके अलावा महोदय पूरा जो इसमें है एक से एक खामी है जो इंडिपेंडेंस रहा है, ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस की बात है । आज आपने किसानों से कह दिया कि भाई हमने आपकी जमीन ले लिया । कोई समय–सीमा तय नहीं किया आपने, कब तक ? कम से कम एक समय–सीमा रखते छः महीने में होगा । खरीद–बिक्री पर रोक लगा दिया आपने। अब अलग से उनका दोहन शुरू हो गया है । उनको जमीन बेचना है, आप दीजिये उसके बाद निर्णय होगा । कहीं न कहीं एक ढांचागत सिस्टमैटिक दोहन का आपने एक रूप–रेखा तैयार किया है । इसलिये महोदय हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि कम से कम आप एक बड़ी योजना लाना चाह रहे हैं, बड़ा काम करना चाह रहे हैं तो इन विषयों पर एक विशेष चर्चा हो, गहन चर्चा हो और आम पब्लिक का भी इसमें क्योंकि जिस तरह से अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, उसके प्लानिंग की आवश्यकता है और आमजन को भी और हमारे कई विधायक हैं, बहुत बड़े–बड़े अर्बन प्लानर हैं यहां, उनसे भी थोड़ा चर्चा विषय करके ले लेते । इतना हभर–धभर में आप लेकर के आये विषय कि कई लोग तो संशोधन नहीं दे पाये ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नगर विकास विधेयक, 2026 दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नगर विकास विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के मूल पाठ में संशोधन

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड–2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड–3 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–3 उपखंड'–(4) के मद (ख) में प्रस्तावित संशोधन के शब्द ''कारण'' एवं शब्द ''अथवा'' के बीच शब्द समूह ''कार्य'' या कार्यवाही को अवैध माना जायेगा । अंतःस्थापित किया जाय ।''

महोदय, अभी विद्वान हमारे विधायक ने जो बातें कही है वह यह है कि अर्बेनाइजेशन किसी भी देश की तरक्की का प्रतीक है । अच्छा है, सरकार अच्छा कदम उठा रही है । लेकिन जब आप अर्बन डेवलपमेंट ऑथिरिटी बना रहे हैं तो किसी जनप्रतिनिधि को आपने शामिल करना नहीं समझा और यही वजह है कि नौकरशाहों के मुताबिक पूरे तौर पर इसका गठन हो रहा है । मैंने जो संशोधन दिया है विधेयक के खंड–3 उपखंड'–(4) के मद (ख) में प्रस्तावित संशोधन के शब्द ''कारण'' एवं शब्द ''अथवा'' के बीच शब्द समूह ''कार्य'' या कार्यवाही को अवैध माना जायेगा । अवैध मानना चाहिये । महोदय, मेरा जो संशोधन है प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित कारणों से अवैध नहीं होगा । किन कारणों से महोदय, प्राधिकरण में किसी रिक्त अथवा उसके गठन में किसी त्रुटि के कारण । अगर गठन में त्रुटि हुई है तो उसके फैसले कैसे हो जायेंगे ? जब उसका गठन ही सही नहीं हो सका, जब जमीन ही सही नहीं हो सकी तो उसमें ईमारत कैसे बन जायेगी । किसी सदस्य की नियुक्ति में किसी दोष या अनियमितता के कारण । अगर किसी को गलत तौर पर

आपने पदेन सदस्य बना लिया है और अनियमितताएं की हैं यानी आपने वायलेशन किया है कानून का और उसके वाबजूद भी उसके निर्णय को वैध माना जायेगा । यह कैसे हो जायेगा ? यह तो पूरे तौर पर नौकरशाहों को खुली छूट देने का मतलब है और यह अर्बन डेवलपमेंट ऑथिरिटी सारे नौकरशाह हैं । इसकी कोई भी त्रुटि, इसकी सारी गलतियां क्षमा हो जायेंगी, क्षम्य हो जायेंगी यह उचित नहीं है । प्राधिकरण के कार्रवाई में ऐसी प्रक्रिया संबंधी अनियमितता के कारण जिससे विषय–वस्तु के गुण–दोष पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा । यह आप कह रहे हैं । जब वह अनियमित हुआ, जब गलत हुआ, उनकी नियुक्ति गलत हुई तो जब अनियमित कार्य हुये तो प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा ? उसमें गलत लोगों को अगर चुन लिया गया है । इसलिये महोदय देशहित में, जनहित में और कानूनों को साफ–सुथरा बनाने के लिये यह किया जाए कि अगर उसमें त्रुटि हो, उसमें अनियमितता हो, किसी की नियुक्ति में गड़बड़ी हो तो वह अवैध माना जायेगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–3 उपखंड'–(4) के मद (ख) में प्रस्तावित संशोधन के शब्द ''कारण'' एवं शब्द ''अथवा'' के बीच शब्द समूह ''कार्य'' या कार्यवाही को अवैध माना जायेगा । अंतःस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–4 से 15 तक कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–4 से 15 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–4 से 15 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नगर विकास विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।''

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम सदन को अवगत कराना चाहेंगे कि बिहार में अभी–भी शहरीकरण का जो प्रतिशत है, राष्ट्रीय औसत से हम काफी पीछे हैं । किसी भी विकसित राज्य को देखेंगे और वहां के अर्बेनाइजेशन को देखेंगे तो तमिलनाडु का उदाहरण अगर मैं देना चाहूंगा तो लगभग 50 प्रतिशत के आसपास उनके यहां शहरीकरण हुआ है । वैश्विक स्तर पर भी अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में लगभग 55 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है और पूरी दुनिया में 80 प्रतिशत जी0डी0पी0 में उनका कन्ट्रीब्यूशन है । ठीक उसी तरह से अगर हम अपने देश की बात करें तो 30 से 35 प्रतिशत की आबादी शहरों में रहती है और उनका कन्ट्रीब्यूशन जी0डी0पी0 में लगभग 60 से 65 प्रतिशत है । नीति आयोग के अनुमान के तहत वर्ष 2030 तक जो इन शहरों का कन्ट्रीब्यूशन जी0डी0पी0 में होगा वह 75 प्रतिशत तक जा सकता है । तो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में एन0डी0ए0 सरकार ने बिहार को एक उभरते हुये अर्थव्यवस्था के तौर पर क्योंकि शहर का विस्तार या शहरीकरण से पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलती है ।

(क्रमशः)

टर्न–15 / धिरेन्द्र / 22.07.2026

....क्रमशः.....

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : महोदय, यह मात्र शहरों का विकास नहीं है, शहरों के साथ–साथ यह इंप्लॉयमेंट ऑपोर्चुनिटी भी क्रियेट करता है और बड़े–बड़े निवेशकों को भी आकर्षित करता है । इस बिल के माध्यम से एक ऑथोरिटी हम बनाने जा रहे हैं जो सिटी डेवलपमेंट ऑथोरिटी है वह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी । क्योंकि जब हम शहर का विस्तार कर रहे हैं, आप अवगत हैं कि सेटेलाईट टाउनशीप पर राज्य सरकार काम कर रही है तो बहुत सारे इंटर डिपार्टमेंट इशूज भी आते हैं तो उन इंटर डिपार्टमेंट

इशूज को टाईमली रिजॉल्व करने के लिए मुख्य सचिव को इसका अध्यक्ष बनाया गया है और मेरा विश्वास है कि इस ऑथोरिटी के बनने से बिहार के शहरीकरण का जो विस्तार हो रहा है, उसको हम रफ्तार दे सकेंगे । साथ–ही–साथ जो विषय आते हैं, कुछ इशूज आते हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, इस ऑथोरिटी के माध्यम से हम इशूज को भी रिसॉल्व कर पायेंगे । आपके माध्यम से हम सदन से आग्रह करना चाहेंगे कि इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान की जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नगर विकास विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार नगर विकास विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ ।

<u>बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026</u>

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

<u>विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श</u>

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान, स॰वि॰स॰ का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव, सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मूव करूंगा । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 के सिद्धान्त पर विमर्श हो ।"

महोदय, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मतलब ही होता है कि सरकार सक्षम नहीं है अपने नागरिकों के बच्चों को तालिम देने के लिए और यह व्यवसायीकरण हो रहा है एजुकेशन का । क्या आप मानते हैं कि सरकारी संस्थानों में जितनी आसानी के साथ गरीबों के बच्चे पढ़ लेंगे ? क्या इन महंगे यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ पायेंगे ? इसके मायने यह है कि गरीबों के बच्चों के पढ़ने का मसला और संगीन हो जायेगा लेकिन इसमें कई त्रुटि भी किया है कि आप इस विश्वविद्यालय में तकनीकी एजुकेशन भी देंगे, मेडिकल की भी पढ़ाई होगी, इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई होगी और आपने जो उसके लिए मानक मंडल तय किया है कि अगर एक सत्र में मानक मंडल को अगर पूरा नहीं कर पाता है, एक तो यह है कि अरबन एरिया में पांच एकड़ जमीन, रूरल एरिया में दस एकड़ जमीन या दस हजार वर्गफीट पर उसका बनाया हुआ मकान हो या दूसरे और भी जो मानक हैं अगर वह मानक सत्रावधि में पूरा नहीं कर पाते हैं तो बीच में ही उनका परमिशन है या एफिलेशन है, वह आप कैंसिल करने के हकदार हो जायेंगे तो यह जो अख्तियार आपको होगा, ठीक है यह कारोबारी के कारोबार को आप बंद कर दीजिये लेकिन इसमें गरीबों के बच्चे जो एजुकेशन लेने के लिए वहां एडमिशन लेंगे, उनके भविष्य का क्या होगा ? नतीजा यह होगा कि ये बेचारे अंधकार में चले जायेंगे । आज बहुत सारे जगहों पर हो रहा है बिहार से बाहर, जिन बच्चों को स्कॉलरशीप देना था गवर्नमेंट की तरफ से वह एक साल दे दिया, दूसरे साल आपने नहीं दिया तो बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया । यह मामला नहीं होना चाहिए, मामला साफ होना चाहिए । अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को परमिशन देना ही चाहते हैं तो आप पहले कह दीजिये कि ये सब धनपेशा लोग होंगे कोई गरीब तो उसमें आयेगा नहीं, ये धनपेशा के पास धन है ही तो उनको कहिये कि तुम इतने मानक पहले पुरे कर लो तब उसे परमिशन दिया जायेगा । अन्यथा अगर उसके परमिशन को कैंसिल किया जाता है तो फिर जो बच्चा एडमिशन वहां लेंगे, उनके बारे में सरकार गारंटी ले कि दूसरी जगहों से उनका एग्जाम कंडक्ट किया जायेगा और बच्चों का जो मुस्तकबिल है वह बर्बाद नहीं होगा, इसका प्रावधान होना चाहिए । मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी के लिए इस पर जरा ख्याल रखा जाना चाहिए ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र कुमार, स०वि०स० एवं श्री राहुल कुमार, स०वि०स० द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राहुल कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव मूव करूंगा । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान साहब ने बताया, उन्हीं के शब्दों में जोड़ते हुए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि आपने औपबंधिक, प्रोविजनल ग्रांट दे दिया और फिर अगर वह मानक को पूरा नहीं करता है तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा । इसमें साफ इंडिकेशन होना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ बच्चों के भविष्य को ताक पर रखकर और सिर्फ कुछ कंपनियों को या कुछ शैक्षणिक संस्थानों को धन लाभ कराने का उद्देश्य सरकार का नहीं हो सकता है । इस उद्देश्य से सरकार की प्रतिपूर्ति नहीं होती है । महोदय, इसलिए हमारा आग्रह होगा कि सरकार इसमें अलग से संशोधन कर ऐड करे कि अगर बच्चे जिनका भविष्य खतरे में है तो उनकी पढ़ाई–लिखाई आगे कैसे पूरी होगी, इसको इसमें इंक्लूड किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड–2 एवं 3 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बनें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।''

अध्यक्ष महोदय, यह बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 जो हम लाये हैं, यह कोई नया विधेयक नहीं है, यह संशोधन विधेयक है । वर्ष 2013 में ही यह अधिनियम बन चुका था और इस अधिनियम के तहत अब तक 11 निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता भी दी गई है तो इसमें केवल सरलीकरण के लिए, सहजता के लिए केवल मामूली संशोधन का प्रस्ताव है । इसमें एक जो संशोधन है कि पहले जो निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 के धारा–5 के उप धारा–(1) के खंड–(iii) में प्रावधान था कि पांच हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल का लीज भवन एवं अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध होने पर आशय पत्र में अंकित अवधि में यानी दो वर्ष के अवधि के लिए निजी विश्वविद्यालय को औपबंधिक रूप से संचालित किया जा सकता है । अब हमने इसको संशोधित करने का जो प्रस्ताव है उसमें संशोधन के अनुसार प्रयोजक निकाय से भूमि, भवन एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के संदर्भ में सिर्फ वचनबद्धता के आधार पर एक शैक्षणिक सत्र के लिए औपबंधिक रूप से विश्वविद्यालय के संचालन की अनुमति दी जायेगी । एक शैक्षणिक सत्र में आशय पत्र के शर्तों को पूरा नहीं करने पर औपबंधिक संचालन की अनुमति समाप्त हो जायेगी लेकिन मैं सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिनका नामांकन हो जायेगा उनकी पढ़ाई पूरी भी होगी । इसका आश्वासन मैं सदन को देता हूँ । माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान जी बोल रहे थे इसके औचित्य पर, वे सदन में थे जब वर्ष 2013 में यह अधिनियम बना था, उस पर पूरा चर्चा हुआ था, बहस हुआ था, मैराथन बहस हुआ था । नीतीश जी सरकार का नेतृत्व कर रहे थे तो इसके औचित्य पर आज सवाल खड़ा करना जबकि मुझे यह समझ में नहीं आता है कि ये समझ नहीं पाये कि यह संशोधन विधेयक है या मूल विधेयक है ।

(व्यवधान)

पहले से यह विधेयक है । इससे 11 विश्वविद्यालयों को मान्यता है जो पहले से संचालित है । महोदय, दूसरा संशोधन है कि जो यू॰जी॰सी॰ है उसके मानक के अनुसार जितने

भी निजी स्थायी तौर पर राज्य में स्थापित किये गये हैं विश्वविद्यालय, उसका नाम एवं पता अनुसूची के माध्यम से इस अनुसूची में जोड़ा जा रहा है ताकि यू॰जी॰सी॰ के नियमों का अनुपालन हो सके चूंकि यू॰जी॰सी॰ के अधिनियम, 1956 की परिभाषा में प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तात्पर्य वैसे विश्वविद्यालय से है जो किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित किया जाता है ।

....क्रमशः.....

टर्न–16 / अभिनीत / 22.07.2026

..क्रमशः..

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : यह प्रावधान निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु यू0जी0सी0 के उपवेशन, 2003 में भी है । महोदय, इसलिए यू0जी0सी0 के मानकों का पालन हो जाये इसके लिए एक अनुसूची में जोड़ने का प्रस्ताव लाया गया है । महोदय, मैं समझता हूं कि राज्य में निजी विश्वविद्यालय अगर और खुलेंगे, उसमें सरलता होगी, सहूलियत होगी तो शिक्षा के क्षेत्र में, जो सकल नामांकन अनुपात है उसमें वृद्धि होगी । महोदय, हम से छोटे–छोटे राज्य हैं जहां निजी विश्वविद्यालय बड़ी संख्या में हैं और हमारे राज्य से दूसरे राज्यों में जो जाना पड़ता है लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो हम चाहते हैं कि यहीं वह शिक्षा मिल जाये, तो इसके लिए स्कूल दिया जा रहा है, सरलीकरण किया जा रहा है ताकि और नये निजी विश्वविद्यालय स्थापित हो सकें । महोदय, यह छात्रों के हित में है ।

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी ।

श्री सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का मूल इंटेंशन यही है, लाखों बच्चे हमारे, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लाखों बच्चे हमारे दूसरे राज्य में पढ़ने जा रहे हैं । मैंने कहा भी है कि एक यूनिवर्सिटी के हमसे उनके संस्थापक मिले, उन्होंने बताया कि जालंधर के लवली यूनिवर्सिटी में 11 हजार बच्चें बिहार के पढ़ रहे हैं । अमेठी में लगभग 30 हजार से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमलोग चाहते हैं कि बिहार में इन्वेस्टमेंट हो, बिहार में लोग आकर यहां पर यूनिवर्सिटी खोलें और बिहार के बच्चों को बिहार में रहकर पढ़ने का अवसर मिले, इसलिए इसमें संशोधन लाने का काम किया गया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ ।

बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त)
(निरसन) विधेयक, 2026

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (निरसन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (निरसन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

प्रभारी मंत्री ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (निरसन) विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122 (1) के तहत माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा। क्या माननीय सदस्य अखतरूल ईमान अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं मूव करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (निरसन) विधेयक, 2026 के सिद्धांतों पर विमर्श हो।''

महोदय, इन्होंने अपने उद्‌देश्य में बताया है, माननीय मंत्री ने बताया है कि निरसन करने की वजह क्या है । उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो कानून बना दिया है उस कानून में और हमारे कानून में बड़ी समरूपता है, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं हैं और उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि वहां अधिकांश प्रावधानों में समरूपता है, इस प्रकार दोनों अधिनियमों के प्रावधानों के लागू होने की सीमा समान है, तो अधिकांश यानी कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें समरूपता नहीं है, तो ऐसे

बिन्दुओं को कम से कम बचाये रखना था । मामला यह है कि मजदूर काम करेंगे, महिलाएं काम करेंगी, कार्य दिवस होगा और हम यह समझते हैं कि बिहार के मजदूरों की हालत और दयनीय है । मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार में कुछ फर्क होना चाहिए कि बिहार के मजदूरों का पलायन कैसे रूके, उसको ज्यादा सुविधा यहां देने के लिए विशेष कानून यहां लाया जाना चाहिए, लेकिन उलटे केंद्र के कानून को ही सबकुछ समझकर अपने कानून को विलोपित कर देना मैं समझता हूं उचित नहीं है ।

अतः इस निरसन विधेयक की स्थापना से ऐसे कानूनों को वैद्य रखते हुए राज्य के कर्मिकों को, खासकर महिलाओं को मैं समझता हूं कि विशेष उनको महत्वता देनी चाहिए थी । केंद्र में जो कुछ नहीं दिया गया है मैं उसकी तरफ इशारा करना चाह रहा था कि जो कानून आपका था, जो आपका समरूप था उसको आप हटा देते, लेकिन उससे अधिक जो था उसको बचाये रखना जरूरी था ।

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र कुमार, स0वि0स0, श्री राहुल कुमार, स0वि0स0 द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ।

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (निरसन) विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड–2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (निरसन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष महोदय, राज्य के अंतर्गत दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में नियोजित कामगारों के रोजगार एवं नियमन और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 को निरसित कर बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 2025, बिहार अधिनियम–9, 2025 पारित किया गया था । इस अधिनियम में कामगारों के काम के घंटे, अवकाश, ओवर टाईम, कार्यस्थल पर सुरक्षा मानक, प्रतिष्ठानों को सप्ताह में सातों दिन संचालित करने की अनुमति, महिलाओं को, जिसके बारे में आप कह रहे थे, महिलाओं को रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति संबंधित प्रावधान किये गये हैं । केंद्र सरकार द्वारा कुल 29 श्रम कानूनों को निरसित करते हुए उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 का 37, मजदूरी संहिता, 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, औद्योगिक संबद्ध संहिता, 2020 को दिनांक– 21.11.2025 के प्रभाव से लागू कर दिया गया है । उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 का 37 एवं बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 2025, बिहार अधिनियम–09, 2025 के प्रावधानों में समरूपता, इस प्रकार दोनों अधिनियमों के प्रावधानों के लागू होने का उद्‌देश्य समान है । इसके अतिरिक्त वैसे प्रावधान जो जीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य एशाएं संहिता, 2020 का 37 के अंतर्गत नहीं हैं वे अन्य श्रम संहिताओं यथा मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबद्ध संहिता, 2020 एवं सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रावधानों से कवर्ड हो जायेंगे । उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं, 2020 का 37 एवं अन्य श्रम संहिताओं के प्रावधान बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 2025, बिहार अधिनियम–09, 2025 में अंकित प्रावधानों में सम्यता रखते हैं । अथवा उनकी व्याख्याएं श्रम संहिताओं में अधिक स्पष्ट की गयी है ।

बिहार राज्य में औद्योगिक क्रियाकलापों तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देने हेतु प्रदेश में नये औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है । ऐसी स्थिति में अधिनियमों के अंतर्गत दोहरे प्रावधानों के सह अस्तित्व के कारण बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 2025, बिहार अधिनियम–09, 2025 को निरसित किये जाने की आवयश्यकता है ।

...क्रमशः..

टर्न–17 / अंजली / 22.07.2026

(क्रमशः)

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : महोदय, इसलिए बिहार अलग से भी अपनी नियमावली तैयार कर ली है, प्रकाशन भी हो गया है, इसलिए कामगार और उद्योगपतियों के बीच संतुलन का काम जो विधेयक निरसित हुआ है, उसके बदले जो हम बनाए हैं उससे होगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) निरसन विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) निरसन विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ ।

''भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026''

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक पर जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राहुल कुमार : महोदय, प्रस्ताव मूव करूंगा । मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026, दिनांक–31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, पूर्व से भारतीय स्टाम्प संशोधन विधेयक जो था, उसमें पहले से ही लोगों के द्वारा वर्गीकरण रखी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद फिर से यह लाने का मतलब क्या है ? आप इसमें से कुछ नहीं करेंगे, जो निबंधन अधिकारी हैं उनको आप एक्स्ट्रा पॉवर दे रहे हैं कि वे संदेह के आधार पर वे किसी को भी रोक देंगे, तो कम से कम रोकने का दे रहे हैं, तो समय–सीमा तय कीजिए कि कितने दिन के लिए रोकेंगे ? आज डिजिटल समय है, आप तत्काल आर0सी0डी0 के इंजीनियर को भेजकर, आर0डब्लू0डी0 के इंजीनियर को भेजकर सत्यापन करा सकते हैं कि उसका वर्गीकरण सही है कि नहीं है और उसके आधार पर सीधा दोगुणा पैसा वसूलने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से आप फरमान निकाल रहे हैं, क्योंकि आपने यह तो तय कर दिया कि मैंने अगर वर्गीकरण गलत किया है तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन पदाधिकारी की मिलीभगत से तय होगा, तो उसकी अकाउंटबिलिटी इसमें कहां है महोदय । हमें लगता हैं कि इन सारे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए ताकि पूरा, जो गलत करने वाले पदाधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई हो और साथ–साथ तय समय–सीमा के अंदर, पंद्रह दिन की समय–सीमा तय की जाए ताकि वर्गीकरण में जो भी संदेह उत्पन्न हो रहा है, उसका पंद्रह दिन के अंदर में उसका निष्पादन हो ताकि वह रेड टेपिज्म में न फंसे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026, दिनांक–31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड–2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड–2 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–3 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"विधेयक के खंड–3 में प्रस्तावित संशोधन के शब्द समूह "2 वर्ष को शब्द 4 वर्ष से एवं" को विलोपित किया जाए ।"

महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार तमामतर मामले में रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में ही चिंतित है और जाहिर है सरकार चूंकि गंभीर संकट से गुजर रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है...

(व्यवधान)

इसका प्रतीक है यह । महोदय, मसला यह है कि पहले अगर किसी का स्टाम्प ड्यूटी कम लगा, किसी के वैल्यूयेशन में कमी आई तो वहां के प्रिवियस दो साल के दस्तावेज का आकलन किया जाता था, अब चार साले करने की क्या जरूरत है ? इसमें खमाखा विलंब होगा और जो रैयत है, जो जमीन को खरीदना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है उसकी जरूरत है, उसमें खमाखा चार साल आप पीछे का पूरा तलाशी लेंगे, दो साल काफी थी, इसको दो साल ही रहने दिया जाए । बिना वजह के आम लोगों को परेशान करने का कानून न बनाया जाए । यह छोटा सा था ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"विधेयक के खंड–3 में प्रस्तावित संशोधन के शब्द समूह "2 वर्ष को शब्द 4 वर्ष से एवं" को विलोपित किया जाए ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड–3 इस विधेयक का अंगे बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–4 एवं 5 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड–4 एवं 5 इस विधेयक के अंगे बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–4 एवं 5 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड–1 इस विधेयक का अंगे बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें जो भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026 आया है उसके पक्ष में कुछ बातें रखना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : मैं प्रस्ताव करता हूं कहिए ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।"

महोदय, हम इसके बारे में माननीय सदस्य को कुछ अवगत कराना चाहता हूं । असल में माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो हमलोगों को मार्गदर्शन करते हैं, हमलोग सीधा बोलना शुरू कर देते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हो गया, पुट हो गया ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : दस साल में पहली बार हमलोग संशोधन विधेयक लेकर आए हैं ।

(व्यवधान)

आवश्यकतानुसार लाया जाता है । अध्यक्ष महोदय, इसमें तीन–चार संशोधन हमलोग किए हैं, जिसकी तरफ माननीय सदस्य ने भी चर्चा किया है । इसमें है कि जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47ए (1) का इस प्रकार प्रतिष्ठापित किया जाना प्रावधानित है । जिससे राजस्व एवं जनहित में सही बाजार मूल्य का निर्धारण करने एवं उस पर देय सभी स्टाम्प शुल्क तय करने का अधिकार जो पूर्व में सिर्फ समाहर्त्ता के पास था, उसे समाहर्त्ता के साथ–साथ प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक को भी

दिया जाना प्रस्तावित है । इससे मुद्रांक से संबंधित वादों के निस्तारण में तीव्रता आएगी । यह काम सिर्फ पहले समाहर्त्ता के द्वारा किया जाता था जिससे कि इसमें विलंब होता था और जो कमी मुद्रांक वसूली की प्रक्रिया है, जिसके बारे में हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे उसमें दो साल के भीतर ही उसको वसूलने का अधिकार था, उसको हमलोग चार साल किए हैं और इसमें भी जो समाहर्त्ता को ही अधिकार था, जो प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है, इससे राजस्व में वृद्धि होगी और तीसरा, इसमें संशोधन है स्थाई संपत्ति के अंतरण से संबंधित मामलों में राजस्व क्षति को रोकने के लिए धारा 47ए (7) इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाना है कि ऐसे मामलों में कमी मुद्रांक शुल्क 100 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जाना संभव हो सके । पूर्व में सिर्फ कमी मुद्रांक का दस प्रतिशत ही जुर्माना का प्रावधान था, अब जो गलत करने वाले लोग हैं, जो अपने जमीन के प्रकार को छिपा कर, कॉमर्शियल को कृषि भूमि या जो व्यावसायिक है उसको कॉमर्शियल बनाकर करते हैं, उसमें सुधार होगा और लोग इससे अपनी जमीन का सही प्रकार बताकर ही रजिस्ट्री करवाएंगे । कमी मुद्रांक से संबंधित मामलों में कई बार ऐसा देखा जाता है कि ब्याज की रकम कमी मुद्रांक से भी अधिक हो जाती है, यह जनहित में है और लोगों के हित में है ।

(क्रमशः)

टर्न–18 / पुलकित / 22.07.2026

(क्रमशः)

श्री मदन सहनी, मंत्री : यह सिर्फ निबंधन विभाग के लिए नहीं है, इससे पक्षकारों को भी काफी असुविधा होती थी। अब जनहित में यह प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है कि लगने वाले ब्याज की कुल रकम किसी भी स्थिति में कमी मुद्रांक की शुल्क से अधिक नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोगों के हित में है और इसमें एक बात से सभी लोग अवगत होंगे कि जितने भी विभाग हैं, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, कृषि विभाग हो, पथ निर्माण विभाग हो, ग्रामीण कार्य विभाग हो, चार–चार वेलफेयर डिपार्टमेंट्स हैं, सोशल वेलफेयर है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग है, सभी तरह के विभागों में सिर्फ सरकार को खर्च करना पड़ता है। सरकार की आय का स्रोत मात्र या तो निबंधन विभाग है, जीएसटी से है या अन्य और राजस्व विभाग है। इन्हीं दो–चार विभाग के बदौलत है और भारत सरकार के सहयोग से इतने सारे काम हो रहे हैं।

एक बात जो हमारे माननीय सदस्य ने कही है, इस पर हम जरूर स्पष्ट करेंगे कि आज जो सर्किल रेट बढ़ाया गया है, एम0वी0आर0 बढ़ाया गया है, तो आज माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी के सफल मार्गदर्शन में हम लोग काम

कर रहे हैं और बड़ी–बड़ी स्कीम बिहार में लागू होनी है और उसके लिए बहुत सारे हाई–वे भी बनने हैं, बहुत संस्थान भी बनने हैं, उसके लिए जमीन की जरूरत होती है। तो उसके लिए अभी बिहार में 45,748 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है और इस पर सरकार का 30,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होगी। हम लोग तो उसकी राशि जो जमीन मालिक हैं, जो किसान हैं, उनको देंगे। सरकार अभी मात्र हम लोगों का जो निबंधन विभाग की आय का स्रोत है, उसमें 10,000 करोड़ रुपये का हम लोग का लक्ष्य है और 3 साल में हम लोग 30,000 करोड़ पूरा करेंगे। लेकिन सरकार उस पर अभी जो किसान हैं, जो जमीन मालिक हैं, उसपर 30,000 करोड़ रूपया खर्च करेगी। यह नहीं है कि सिर्फ हम लोग लेते ही हैं, देने का ज्यादा काम करते हैं, यही सरकार की विशेषता भी है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ ।

निबंधन (बिहार संशोधन), विधेयक, 2026

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''निबंधन (बिहार संशोधन), विधेयक, 2026 पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''निबंधन (बिहार संशोधन), विधेयक 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श

अध्यक्ष : बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अख्तरुल ईमान का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल ईमान अपना प्रस्ताव मूव करेंगे?

श्री अख्तरूल ईमान : बिलकुल, जनहित के मुद्दे हैं ।

मैं अपना प्रस्ताव करता हूं कि

''निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026 के सिद्धान्त पर विमर्श हो ।''

महोदय, इन्होंने जो कहा है कि रूपांतरण, सम्परिवर्तन दस्तावेज का अभिप्राय वैसे दस्तावेज जो कृषि भूमि के व्यावसायिक उपयोग में बदलने के लिए किया जाएगा। सर, गाँवों में किसानों की जो जमीन है, आप कितना टैक्स लेना चाहते हैं उससे? मालगुजारी आप लेते ही हैं। यह किसान है, अगर अपनी जमीन के किसी कोने में वह किराना की दुकान करना चाह रहा है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, तुमको उसका अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? यह लूट और खसोट का बाजार गरम हो रहा है । छोटी–छोटी आपने कृषि भूमि को, जमीन उसकी है, यहां मालिक नहीं है रैयत है। लेकिन रैयत है तो अपने खून–पसीने की कीमत चुका करके जमीन खरीदा है वह। अपनी जमीन पर उसका एक बेरोजगार बेटा है, वह वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहा है, एक स्कूल खोलेगा, कहिएगा कि नहीं, उसका व्यावसायिकरण तुम रजिस्ट्रेशन कराओ तब खोलेंगे? इसके माने आप तरक्की किसको देना चाहते हैं? धन्ना सेठों के लिए आसानी है और गरीब किसानों के बच्चे अगर दुकान करें, व्यावसायिक हो जाए या नदी में कट के उनका घर गिर गया और वह आकर के अपनी कृषि भूमि पर घर बना रहा है, तो कह रहे हैं कि नहीं, तुमको इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? यह काला कानून है । यह मैं समझता हूँ, यह लोकहित के, जनहित के कानून नहीं हैं। यह वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है। यह तो मैं समझता हूँ ब्रिटिश एम्पायर के जमाने में इस तरह हो रहा था कि जिस तरह से लोगों के मनचाहे टैक्स वसूल किए जाएँ। यह आजाद भारत में और गरीब बिहार में किसानों से इस तरह किया जाएगा, यह उचित नहीं है। इसलिए इस पर गौर करना चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं करना है, हम सिर्फ इसमें कहते हैं कि इसमें वह टैक्स न लगाएँ, इस मामले को मुक्ति दें। पिछले दिनों में जिस तरह से एस0डी0एम0 के जरिए से कुछ टैक्सेस वगैरह लग जाते थे, वह कराया जाए । खामखा लोगों को परेशान करने वाला कानून नहीं बनाया जाए ।

अध्यक्ष : जनमत जानने का प्रस्ताव ।

श्री अख्तरूल ईमान : और मैं सारे सदस्यों को कहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के बच्चों...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य एक मिनट बैठ जाइये ।

श्री सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्य क्या बोल रहे हैं हमको पता नहीं चला। यह कानून इसलिए आया है कि कृषक यदि अपनी जमीन को व्यावसायिक तौर पर, कॉमर्शियल तौर पर बेचना चाहे, तो बेचने के लिए स्वतंत्र है। हम कहाँ रोक रहे हैं ? वह जीवन भर कृषि का काम करे, सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं है । यही तो कह रहे हैं । आप यदि किसी को देना चाहते हैं, आप यदि स्वयं परिवर्तन करना चाहते हैं, कल ही आपको याद होगा राजस्व विभाग के मंत्री इस प्रस्ताव को लेकर आए थे। उसमें यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कोई किसान यदि अपनी जमीन को कॉमर्शियल तौर पर बेचना चाहता है, तब यह प्रावधान की व्यवस्था की गई है। कोई किसान को इससे कोई हानि नहीं है। जीवन भर किसान अपनी जमीन कृषि–युक्त रखे, इससे कोई दिक्कत नहीं है सरकार को। इसलिए यह जो आप समझ रहे हैं, यह एकदम जस्ट विपरीत है। हम यदि जमीन बेचेंगे, कोई बेचेगा तब तो यह होगा। बेचने के क्रम में कोई व्यक्ति यदि चाहता है तो उसको सरकार के पास आना नहीं होगा। सीधा रजिस्ट्री ऑफिस जाएँगे और सीधा कहेंगे कि हमारी जमीन अब जो है, किसानी के उपयोग के लिए नहीं होगी, व्यावसायिक उपयोग के लिए होगी, बस इतना ही फर्क है।

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचारित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

क्या माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे?

(व्यवधान)

अख्तरूल ईमान, जी तैयारी से आइये । तैयारी से आना चाहिए ।

(व्यवधान)

धन्यवाद ।

श्री राहुल कुमार : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव मूव करता हूँ कि

''निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने क्लेरिफाई किया। लेकिन यह बात और भी सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि एक साथ बमबार्डमेंट कर दिए आप लोग 15–15 विधेयक । कितने सदस्य यहाँ पढ़कर आए हैं ? यही हम लोग का काम है, विधायी कार्य महोदय । अब विधायक विधायी कार्य छोड़ कर बाकी सब काम कर रहा है। तो पढ़े कितना लोग हैं यहाँ, यह तो बताएँ, पढ़े हैं आप लोग? तो अभी यह लोग पढ़ के नहीं आए, मुख्यमंत्री को क्लेरिफिकेशन देना पड़ रहा है।

(व्यवधान)

नहीं पढ़कर आये हैं, तो बैठिये ।

अध्यक्ष : पढ़कर आये हैं ।

श्री राहुल कुमार : महोदय, मुख्यमंत्री को महोदय क्लेरिफिकेशन देना पड़ रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : राहुल जी, साबित हो गया । साबित हो गया है पढ़ कर लोग आए हैं।

श्री राहुल कुमार : देखिए, बोलने से कुछ नहीं होगा, पढ़े रहते तो इतना सोचना ही नहीं पड़ता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति, । सारे माननीय विधायक पढ़कर आए हैं। आप बोलिये ।

श्री राहुल कुमार : महोदय, सीधा–सीधा वर्गीकरण कर दिया गया – कृषि और व्यावसायिक। इसके अलावा भी वर्गीकरण है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ी न होता है, ग्रे भी होता है। इसमें आवासीय के लिए कुछ होना चाहिए, इंडस्ट्रियल हो सकता है, संस्थागत हो सकता है, इसके लिए अलग–अलग वर्गीकरण की व्यवस्था करनी चाहिए। बाकी आपने जो निर्णय लिया है कि हम स्वयं घोषित करें कि हम किस विषय में, किसमें अपना लैंड यूज करना चाहते हैं, पुरानी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, इसके लिए आपको बधाई है, धन्यवाद है। लेकिन सिर्फ कॉमर्शियल के अलावा भी वर्गीकरण होना चाहिए और साथ ही साथ हमारा आग्रह होगा कि आगे से जब विधेयक ज्यादा लाएँ, तो समय बढ़ाएँ कम से कम पढ़ के तो लोग हम लोग आ सकें।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड–2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

टर्न–19 / हेमन्त / 22.07.2026

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।''

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है और बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को थोड़ा समझने में विलंब हुआ है और चूंकि कोई भी व्यक्ति जिनकी अपनी जमीन है, माननीय सदस्य जिनकी अपनी जमीन है, उस पर अगर कोई भी व्यक्ति कोई व्यवसाय करेंगे तो उससे निबंधन विभाग को कोई लेना–देना नहीं है। जब तक वह जमीन बिक्री नहीं करते हैं, तब तक उनको निबंधन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो कह रहे थे या तो आप जानते हुए भी लोगों को...

अध्यक्ष : गुमराह कर रहे हैं।

श्री मदन सहनी, मंत्री : और हम लोग यही कहेंगे कि जो व्यवस्था की गयी है संशोधन के तहत, वह सिर्फ निबंधन विभाग के लिए ही नहीं, बल्कि लोगों के लिए भी अच्छा है। चूंकि तथ्य को छिपा कर कोई काम को कराना उचित नहीं है और यह सरकार के साथ–साथ जनता को भी हित में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम सदन से आग्रह करेंगे कि यह संशोधन विधेयक स्वीकृत हो।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ।

बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग।

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी।

प्रभारी मंत्री।

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करती हूं।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री।

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र कुमार और श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया है। क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राहुल कुमार : महोदय, मूव करेंगे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो।''

महोदय, कम से कम सरकार ने माना कि वह जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस है बिहार में, उसमें वह फिसड्डी है और आज एक पेपर में भी छपा हुआ है कि जो मानक हैं निवेश के स्तंभ में, बुनियादी ढांचा में, बिहार को मिला 44 अंक। महोदय, यह नीति आयोग की रिपोर्ट है। कारोबारी माहौल में 26, संसाधन में 36, सरकारी नीति में 23, नियामक सुगमता में 58, वित्तीय स्वास्थ्य में 64, संस्थागत वातावरण में 57 और पर्यावरण लचीलेपन में 55 अंक। महोदय, हम जब इस विधेयक को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि जिस तरह से विधेयक का स्वरूप बनाया गया है और सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को डाल दिया गया है। जो हर्डल्स हैं डूइंग बिजनेस में, उसी को आपने प्रमुखता दे दी है। सारी चीजों को आपने अलग कर दिया है और उन्हीं लोगों को आपने जगह दी है, जो लोग खुद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार के हर्डल्स हैं

और उन्हीं को आपने प्रमुखता दी है। तो कम से कम आपने जो बोर्ड बनाया था, उसमें माननीय सदस्यों को भी, जिनका क्षेत्र है, उनको भी इस बोर्ड में आपको रखना चाहिए था। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनके प्रतिनिधियों को रखना चाहिए था, ताकि बिजनेस करने में उन लोगों को जो परेशानी हो रही है, उसको वह लोग सुगमता से कर सकें। आपने इसमें एक सीआईपीए के तीन साल की अवधि के दौरान लोक सुरक्षा, पर्यावरण और श्रम मानकों के उल्लंघन की स्थिति में आकस्मिक सरकारी निरीक्षण करने का दिया है। महोदय, इसमें छूट दीजिए। कम से कम तीन साल तक निरीक्षण की छूट दीजिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप करना चाहते हैं, पहले से माहौल खराब रहा है, तो इसके लिए आपको उसमें छूट देनी चाहिए। आपको फायर सेफ्टी में छूट नहीं देनी चाहिए थी, तो उसमें भी आपने छूट दे दी। महोदय, आपने हाल में देखा होगा मुजफ्फरपुर में क्या स्थिति हुई। एक पूरे के पूरे अस्पताल में आग लग गयी और उसमें निकलने की जगह नहीं थी। तो जहाँ छूट नहीं दी जानी चाहिए, वहाँ आपने छूट दे दी है। जहाँ छूट देनी चाहिए, वहाँ आपने छूट नहीं दी है। महोदय, सिर्फ आपने इसमें पूरा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाकर रखा है। तो इसमें हमारा आग्रह होगा सरकार से कि जब इसका बोर्ड गठन करें, उसमें जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, व्यापारी वर्ग के जो लोग प्रतिनिधि हैं, उनको रखें ताकि सच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो उनके हर्डल्स हैं, उनको वह खत्म करें। नहीं तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जगह, हर्डल्स इन डूइंग बिजनेस का एक्ट बनकर रह जाएगा महोदय।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब मैं खंडशः लेता हूं। खंड–2 से 45 तक कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 से 45 इस विधेयक के अंग बनें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड–2 से 45 इस विधेयक के अंग बने।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''अनुसूची–1 से 7 तक इस विधेयक की अंग बनें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची–1 से 7 तक इस विधेयक की अंग बनी।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधयक का अंग बना।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री।

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 एक ऐसा विधेयक है, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र के साथ–साथ बिहार को एक विकसित राज्य की गति प्रदान करेगा। इस विधेयक के कानून के माध्यम से हम अननेसेसरी पेपर वर्क यानी कि गैर जरूरी कागजी कार्यवाही और रेगुलेटरी फिक्शन को कम करेंगे। अभी माननीय सदस्य, अखबार में आई हुई रिपोर्ट, जो नीति आयोग की है, उसी को सुधारने के प्रयास के लिए आज हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल को लेकर आपके फ्लोर पर आए हैं। मैं आपसे और सदन से यह अनुरोध करूंगी कि यदि आप चाहते हैं कि वास्तविकता में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिहार की सच्चाई बने, तो इसको सर्वसम्मति से पास करें। साथ ही साथ महोदय, इन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किसी भी तरह से किसी भी पॉलिटिकल आदमी को नहीं रखा गया है, बल्कि पूरी तरह से ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बनाया गया है। मैं सदन के माध्यम से, आसन के माध्यम से यह पूछना चाहती हूं कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काउंसिल बना है, जिसका उल्लेख इस बिल के शुरुआती पन्ने पर किया गया है, उस काउंसिल की अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री स्वयं करने वाले हैं। तो मैं जानना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय कि किस तरह से इन्होंने यह सिर्फ सोच लिया कि इसमें सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक

व्यवस्थाओं को इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगी कि इस विधेयक का मूल सिद्धांत परमिटेड अंटिल प्रोहिबिटेड का है। यानी कि जब तक व्यावसायिक गतिविधि कानूनी तौर पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित न हो, तब तक उसे डिफॉल्ट रूप से संचालित करने की अनुमति मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, सवाल इन्होंने यह भी किया कि सिंगल विंडो पोर्टल सिस्टम, जो अब बिहार की सच्चाई बनेगा। हर इन्वेस्टर को अब रियल टाइम पर, आप पारदर्शिता की बात कर रहे थे। हम लोगों ने इस पोर्टल के माध्यम से रियल टाइम में इन्वेस्टर्स को, उनके एप्लीकेशन और उनके क्लीयरेंसिस के ऊपर नजर रखने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, अध्यक्ष महोदय। न्यू इंडस्ट्रीज की स्थापना और मौजूदा इकाई के विस्तार को गति मिले, इसके लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट–इन–प्रिंसिपल अप्रूवल होगा, वह अब डीएम के स्तर से मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, जो माइक्रो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो मात्र 5 दिन में, स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट को 10 दिन में और मीडियम से लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट को 15 दिन में देने का कार्य जिला प्रशासन करेगा। यह पूरा सीपा अब 3 साल के लिए वैलिड होगा और यदि इस समय में प्राधिकारी द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है, तो इसे डीम्ड अप्रूव माना जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल फायर सेफ्टी का है, मैं आपको बता दूं कि जो बिजनेसेज लो रिस्क या वेरी लो रिस्क के अंतर्गत आते हैं, सिर्फ उन्हीं को यह फायर सेफ्टी के अनुपालन के लिए, जो हमने विधेयक में शामिल किया है, उसको इंक्लूड किया जाएगा। जिस प्वाइंट को माननीय सदस्य उठा रहे थे, आज भी अगर ऐसी कोई हाई रिस्क फैसिलिटी होती है, तो उसको फायर सेफ्टी का अनुपालन यानी कि एनओसी लेने की आवश्यकता होगी।

(क्रमशः)

टर्न–20 / संगीता / 22.07.2026

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री (क्रमशः) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में उद्योग स्थापित हो, हमारे यहां से पलायन रूके और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए नए सिरे से रोजगार उत्पन्न हो सके इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अथक प्रयास किया है और दृढ़ संकल्पित होकर हमलोग उद्योगों को बिहार में बढ़ावा देना चाह रहे हैं । आज अगर यह बिल पारित होता है तो मात्र 30 दिन के भीतर अगर कोई भी विभाग किसी भी इंडस्ट्रीयलिस्ट को अप्रूवल नहीं देता है अध्यक्ष महोदय, तो इस बिल का जो सेक्रेटियट बना है, जिसे इन्वेस्ट बिहार के नाम से जाना जाएगा, वह सिर्फ 30 दिन के अंदर सभी इंडस्ट्रीयलिस्ट को, सभी उद्योगपतियों को वह अप्रूवल देने का कार्य करेगा । मैं आपके माध्यम से पूरे

सदन से विनम्र आग्रह करती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इस पहल को ''बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026'' को सर्वसम्मति से पारित करें । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026'' स्वीकृत हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

''बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026'' स्वीकृत हुआ ।

''बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026'' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026'' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026'' पर विचार हो ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राहुल कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव मूव करूंगा । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक–31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।"

महोदय, आजादी के बाद जब हमलोग वेलफेयर स्टेट के रूप में काम कर रहे हैं तो कभी भी गांव के स्तर पर टैक्स लगाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है लेकिन यह पहली बार नल–जल में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लगाया गया था लेकिन उसको कभी प्रभावी रूप से लागू करने के लिए बाध्यता नहीं बनायी गई लेकिन अब जो है, गांवों में, पंचायतों में एकदम टैक्स कलेक्शन के लिए चाहे एडवरटीजमेंट के लिए हो, बिल्डिंग बनाने में हो तो इन जगहों पर जो टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था की जा रही है, महोदय, हमें लगता है कि सरकार को इस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए कि इस तरह का निर्णय नहीं हो क्योंकि हमलोग सभी लोग गांवों से आते हैं और हम देखते हैं कि अभी तक गांवों में मूलभूत सुविधा भी अभी हम नहीं पहुंचा पाए हैं और महोदय, टैक्स देने की बात कर रहे हैं । पहले क, तब ख, पहले करिए फिर खाइए, तो पहले ही खाने की बात हो रही है । महोदय, पहले गांवों में आम सुविधा तो आप आप मुहैया करा दीजिए । जिसके बाद आप कम से कम टैक्स मांग सकें इसलिए महोदय, इसी पर हमारा है कि आप गांवों में एक बार परिचारित करें, लोगों से जनमत संग्रह करें कि इस पर क्या निर्णय लोगों का होता है उसके बाद इसको लागू करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक–31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026" पर विचार हो ।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड–2 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं कि

"विधेयक के खंड–2 में प्रस्तावित उप खंड 2 (छ) को विलोपित किया जाए ।

महोदय, अब तक जितने कानूनी बहस हमारे यहां दरम्यान में हुए हैं उसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो यह सबसे काला कानून है । बिहार की 9 करोड़ ग्रामीण जनता जो गांवों में रहती है, उसको बिजली नहीं मिल पाती हैं, सड़कें नहीं मिल पाती हैं, बच्चों को तालीम नहीं मिल पाती है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बिजली मिल रहा है, बिजली 24 घंटा मिल रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अखतरूल ईमान : सुनिए, सुनिए, मैं कह रहा हूं । कहां से आया, ये हंगामा कर रहे हैं इनको पता ही नहीं है सर...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बिजली मिल रहा है अखतरूल ईमान जी ।

श्री अखतरूल ईमान : बिल क्या कह रहा है, ये सुनिए । ये बुद्धू मियां हांकना जानते हैं, बुद्धू मियां को इसके अलावा कोई काम नहीं है । ये लिख–पढ़कर तो आए नहीं हैं । मामला यह है कि क्या कहा जा रहा है सर कि...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सच्चाई को रखिए आप, सच्चाई को रखिए ।

श्री अखतरूल ईमान : 'च' में कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत अथवा उसकी ओर से जहां पंचायत क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वदल एक भूमि भवन विज्ञापन हेतु निजी भूमि उपयोग हेतु किया जाएगा वहां विज्ञापन शुल्क लगेगा । चलिए सर, किसी हद तक आपको माना जा सकता है लेकिन उसके बाद 'छ' में कह रहे हैं आप कि अन्य शुल्क या दर जो सरकार द्वारा पंचायत के संसाधन में वृद्धि हेतु विहित की जाएगी, इसके माने किस पर टैक्स लगाना चाहते हैं आप, टैक्स के दरवाजे खोल रहे हैं ? गांव के लोगों को सुविधा कुछ भी नहीं दिया, सफाई पर टैक्स लेंगे, क्या सफाई हो पाती है वहां पर ? वहां पर स्ट्रीट लाइट जल पाती है क्या ? शुद्ध पानी मिल पाता है क्या ? ग्रामीण क्षेत्र के गांव के रहने वाले इन लोगों से टैक्स वसूल करना मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को बदनाम करने की साजिश का एक हिस्सा है सर यह ।

(व्यवधान)

पूरा ग्रामीण बिहार है, गांव की जनता माफ नहीं करेगी जो इस बिल के हवाले में वोट डालेंगे । हमलोग बहुत विरोध करते हैं सर कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को टैक्स नहीं लगना चाहिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–2 में प्रस्तावित उप खंड 2 (छ) को विलोपित किया जाए ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी अखतरूल ईमान साहब अपना संशोधन या जनमत का प्रस्ताव पर बोल रहे थे । जो भी रखे, क्योंकि मैं लेट से आया था, महोदय, बाकी चीजों में जो भावना इन्होंने व्यक्त की है वह तो इनकी निजी है लेकिन एक भावना जो इन्होंने व्यक्त की है, हमारे मुख्यमंत्री जी, श्री सम्राट चौधरी जी से जो

हमदर्दी जताई है, हमलोग सब मिलकर उसका तस्लीम करते हैं, इनको शुक्रिया अदा करते हैं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

खंड–2 इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–3 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

खंड–3 इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

नाम इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026'' स्वीकृत हो ।

महोदय, अखतरूल ईमान साहब सिनियर मेंबर हैं, मुझे लगता है पिछली रात सोने गए वे, उन्होंने 2005 से पहले का सपना देखा और अभी भी नींद में ही हैं । महोदय, ये जो विधेयक है, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा जो मुख्य कानून है, बिहार राज्य पंचायत अधिनियम, उसमें...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठकर मत बोलिए । बोलिए मंत्री जी ।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : जो मुख्य कानून है उस कानून में संशोधन से संबंधित यह विधेयक है । मुख्यतः 3 संशोधन किए जाने हैं और जो पहला संशोधन है पंचायतों में उनकी आय का स्रोत किस प्रकार से बढ़े । ग्राम पंचायतें हमारी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें, इसको लेकर है, इससे संबंधित है । विज्ञापन के ऊपर शुल्क लगाने की व्यवस्था की जा रही है । आज के समय में विज्ञापन जो भी प्रदर्शित होते हैं पंचायतों में, सरकारी भूमि पर हो या प्राईवेट भूमि या भवन पर हों, उनको रेगुलर करने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको रेगुलेट किया जा सके । जो भी उनसे जुड़े नियमन हैं, वे बनाये जायेंगे और नियमित तरीके से, कंट्रोल तरीके से विज्ञापन प्रदर्शित किए जायेंगे और शुल्क भी उनसे लिया जाएगा । एक प्रस्ताव विज्ञापन से संबंधित है, दूसरा प्रस्ताव कर से संबंधित है । चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए, पंचायत की कर, दर या शुल्क की नियमावली भी बनाने का काम हुआ है । इसकी और बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किस प्रकार से हो सके इससे जुड़ा एक संशोधन है । कोई अन्य प्रकार का कर स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अगर लगता है, उससे संबंधित एक संशोधन आया है और तीसरा संशोधन काफी महत्वपूर्ण है ।

(क्रमशः)

टर्न–21 / यानपति / 22.07.2026

(क्रमशः)

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज हम देख रहे होंगे शहर के ही भांति बड़े–बड़े अपार्टमेंट का निर्माण हो रहा है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है, आज के समय में जो भी निर्माण हो रहा है, अनरेगुलेटेड तरीके से हो रहा है, बिल्डिंग बायलॉज का पालन नहीं हो रहा है, सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है, पर्यावरण के मानक हैं उनका भी पालन नहीं हो रहा है, ये सभी चीजें हो सकें इसके लिए व्यवस्था की जायेगी, प्राधिकरण की व्यवस्था की जायेगी ताकि जो भी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं पंचायतों के क्षेत्रों में, उनसे संबंधित जो भी नक्शा है उसे पास कराने की व्यवस्था हो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था हो और साथ ही साथ एक बहुत जरूरी चीज ये किया जायेगा कि पंचायतों में जब विकास का काम हो, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर अपार्टमेंट्स वगैरह बन रहे हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह बन रहे हैं वहां पर आमजनों को मिलनेवाली सुविधाएं अच्छी तरह से मिलें, चौड़ी सड़कें हों, पानी की व्यवस्था हो, जल निकासी की व्यवस्था हो, सीवरेज की व्यवस्था हो, शिक्षा या स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी सुविधाएं होती हैं वे सुगमता के साथ लोगों को उपलब्ध हो, इन तमाम चीजों को रेगुलेट करने के लिए एक प्राधिकरण बनाया जायेगा, जो भी

जरूरी बायलॉज बनाने की जरूरत है वह भी बनाया जायेगा। तो मुख्यतः तीन संशोधन किए जा रहे हैं । इसलिए मेरी अपेक्षा रहेगी सभी सदस्यों से कि जो भी संशोधन लाए गए हैं, आप अपनी सहमति इसमें जताएं और साथ ही साथ कर की भी बात कर रहे थे माननीय सदस्य पक्ष के उनसे विशेष रूप से कहना चाहेंगे आपके माध्यम से महोदय कि तमाम तरह के दुष्प्रचार चल रहे हैं जो बिहार ग्राम पंचायत कर दर शुल्क नियमावली आई है, उसको लेकर तमाम तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। उसके बारे मे ंहम बिल्कुल क्लीयर कर देना चाहते हैं, जो नियमावली आई है उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पूरे तरीके से ग्राम पंचायतों को दी गई है, ग्राम पंचायतों को दिये जाने का कारण यह है कि जो नियमावली है उसका क्रियान्वयन स्थानीय स्तर पर हो, स्थानीय जरूरतों को देखते हुए हो, स्थानीय अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के हिसाब से हो तो सबसे पहले तो आप मूल भावना को समझेंगे तो यह समझ पायेंगे कि जब ग्राम पंचायतें उसका क्रियान्वयन करेंगी, तो निश्चित तौर पर जो भी स्थानीय जगह होती हैं, उसका ध्यान रखा जायेगा। दूसरी बात जो भी राशि शुल्क के माध्यम से, कर या दर के माध्यम से राशि ली जायेगी ग्राम पंचायतों के द्वारा, वह राशि कहीं बाहर नहीं जायेगी ग्राम पंचायत से, उस राशि का एक–एक रूपया उसी ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि गांव का पैसा गांव में ही रहेगा। एक जो यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि एक औपनिवेशिक व्यवस्था खड़ी की जा रही है इस नियमावली के माध्यम से, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मिथ्या है। जो भी पैसा होगा, उसको ग्राम पंचायत ही तय करेगा कि उसको कैसे खर्च करना है, कहां खर्च करना है। मतलब यह होगा कि गांव का पैसा गांव में ही रहेगा। तीसरी बात कर–दर से ही जुड़ी हुई है, जो 1200 रूपयों को लेकर तमाम तरह की भ्रांति फैलायी जा रही है विपक्ष के द्वारा, इसके बारे में भी हम बिल्कुल क्लीयर कर देना चाहते हैं। 1200 रूपये की दर जो तय की गयी है, मुख्यतः जो 16वां वित्त आयोग है, उसकी अनुशंसा है। उसके माध्यम से कुल लगभग 52 हजार करोड़ की राशि आनी है बिहार के पास। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे केंद्र की सरकार को। 52 हजार करोड़ की राशि बहुत बड़ी राशि है, जो वृद्धि हुई है। इसलिए 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के बाद से 16वें में जो वृद्धि हुई है, बिहार सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला राज्य है पूरे देश में। इसके लिए हम बहुत बधाई देना चाहेंगे केंद्र की सरकार को और साथ ही साथ जो 52 हजार करोड़ की राशि है, उसमें एक कंडीशन लगायी गयी है कि उसकी 10 प्रतिशत राशि, जो ग्रामीण स्थानीय निकायों के परफॉमेंस पर डिपेंडेंड है, उस पर निर्भर करती है, तो उस राशि के लिए कंडीशन लगायी गयी है कि औसतन 1200 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष की राशि तय की गयी है। लेकिन इसके संबंध में एक चीज बिल्कुल क्लीयर समझने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि हम 1200 रूपये किसी ग्रामीण

परिवार से वसूलने जा रहे हैं। 1200 रूपये की जो राशि तय की गयी है, यह कर–दर शुल्क नियमावली बनायी गयी है, लेकिन साथ–ही–साथ ग्राम पंचायत में तमाम तरह के आय के स्रोत डेवलेप किये जा सकते हैं। जो खाली पड़ी जमीन है, भूमि का विकास किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई खाली जमीन पड़ी है ग्राम पंचायत में, उसका विकास करके तालाब का निर्माण कराया जा सकता है। तालाब का निर्माण होगा, मछली पालन होगा। सारे खर्चे काटने के बाद जो राशि बचेगी, जो ग्राम पंचायत की शुद्ध आय होगी, वह राशि भी 1200 रूपये में ही जोड़ी जायेगी। पंचायत में कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाना है। अगर ग्राम मंडप को कहीं किराये पर देते हैं, तो उससे आय का स्रोत बढ़ेगा। लोहिया स्वच्छ बिहार के माध्यम से वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण किया गया है सभी पंचायतों में और किया जा रहा है।

अध्यक्ष : संक्षेप कर लीजिए।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : उन जगहों पर भी अगर जैविक खाद का उत्पादन होता है, कई पंचायतें कर भी रही हैं। जैविक खाद की बिक्री की जायेगी, उसके माध्यम से भी आय का स्रोत बढ़ सकता है। तो तमाम तरह के आय के स्रोत अगर पंचायत रचनात्मक होकर सोचेंगी, तो तमाम तरह के आय के स्रोत हो सकते हैं। साथ–ही–साथ, कर–दर की जो नियमावली आयी है, उसका सप्लीमेंटेशन रहेगा और साथ में मिलकर यह 1200 रूपये, ऐसा नहीं है कि एक परिवार से लेना है, ऑन एवरेज एक पंचायत से इतना आना चाहिए, तो तमाम तरह की चीजें हैं। हालांकि 1200 रूपये के बारे में हम इतना ही बताना चाहते हैं, चूंकि बिहार में अभी हम नियमावली की शुरूआत कर रहे हैं।

अध्यक्ष : यह सब इस विधेयक का पार्ट नहीं है।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : जी, जी।

अध्यक्ष : आपने सारी बातों को रखा है।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : इसमें एक चीज जोड़ दे रहे हैं, 1200 रूपये की बात जो कर रहे हैं। इसमें भी बिहार की ओर से आपत्ति दर्ज कर करायी गयी थी, जो नई दिल्ली में बैठक हुई थी, तो उसके लिए भी हम लोग, चूंकि स्थानीय स्तर पर इसका क्रियान्वयन होना है, तो विपक्ष के साथियों को हम बताना चाहेंगे कि इसके लिए बिल्कुल आश्वस्त रहें। किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार से बचें और अगर आप सभी लोगों का सहयोग मिलेगा, तो हम इस नियमावली का सही प्रकार से क्रियान्वयन करा पायेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में गांवों का विकास करने की दिशा में गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का सपना है, उसको साकार करने में बहुत बड़ी मदद होगी। आप लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा रहेगी।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ।

<u>बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, गृह विभाग।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

<u>विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श</u>

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा। क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026 के सिद्धान्त पर विमर्श हो।''

मैं चाहता हूं कि कारा के मामले में बहुत सुधार की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे मामूली मामले में जेल में चले जाते हैं, लेकिन वहां पर जो पहले से क्रिमिनल्स हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हो जाती है। सीधा–सादा आदमी जेल में जाकर, सुधार गृह

में जाकर बर्बाद होकर आ जाता है। इसलिए जेल में इन्हें, सुधार करना चाहते हैं ये, इनका जेल का क्षेत्रफल बहुत छोटा है..

अध्यक्ष : कभी जेल में गये हैं आप ?

श्री अखतरूल ईमान : गये हैं सर। जेल में सुपरविजन के लिए गये हैं सर।

अध्यक्ष : आंदोलन में गये हैं या अन्य कामों में।

श्री अखतरूल ईमान : सर, 18 साल, 20 साल, 22 साल के नौजवान,..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति–शांति।

श्री अखतरूल ईमान : सर, आबादी के अनुपात में जेल का क्षेत्रफल नहीं बढा़ है। अलग–अलग ब्लॉक बनने चाहिए। सुधार गृह होना चाहिए और यह सारी व्यवस्था करने की इसमें बात कही है। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार का जो कार्य–कलाप रहा है और मौजूदा जेल का जो क्षेत्रफल है, उसमें जो कुछ ये करना चाह रहे हैं। अलग–अलग ब्लॉक बनाकर अलग–अलग कैदियों को रखना चाह रहे हैं, यह संभव नहीं है। इसलिए जेल के क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए और जेल में कम–से–कम ऐसे लोग, जो लोग बीमार हैं, जो लोग बूढ़े हैं, जो लोग जमीन के झगड़े में चले गये हैं, उनको चोर डाकू, जो पहले से मुजरिम हैं, उनसे उनको अलग रखा जाय। सर, जेल से पैसा कमा–कमाकर आज भी गांव में भेज रहे हैं लोग। जेल में जो कैदी है, वह निकलकर नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष : संक्षिप्त कीजिए।

श्री अखतरूल ईमान : रंगदारी कर रहा है जेल में आज भी। तो यह सारा नियम होना चाहिए।

अध्यक्ष : बिहार में कानून का राज है। बैठिये।

श्री अखतरूल ईमान : सर, जेल में मोबाइल कैसे चला जाता है ?

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राहुल कुमार : जी, मूव करूंगा। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026 दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो।''

महोदय, सबसे पहले तो जो यह कानून आ रहा है। चूंकि पूर्व का जो ब्रिटिश टाईम का कानून था, उसको खत्म करके और नयी व्यवस्था के हिसाब से, जो क्राइम का तरीका, जिस तरह से नये–नये उपकरण भी आ रहे हैं, उसको लेकर सरकार करना चाहती है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। महोदय, लेकिन अभी जो भी प्रावधान

इसमें आये हैं, उसमें मानवीय आधार एकदम हटाकर रखा गया है। आपने उच्च जोखिम वाले बंदियों को और आदतन अपराधियों की सामान्य पैरोल अथवा किसी प्रकार के कारा अवकाश का अधिकार नहीं होगा। महोदय, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन कुछ इसमें एक्स्ट्रा ये रखना चाहिए, मान लीजिए कि उसके नजदीकी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है, मां की, बाप की, बच्चे की, किसी की भी हो जाती है, तो इसमें अलग से प्रोविजन रखना चाहिए, ताकि मानवीयता इसमें रहे। कम–से–कम मानवता दिखे सरकार में।

(क्रमशः)

टर्न–22 / मुकुल / 22.07.2026

क्रमशः

श्री राहुल कुमार : आपने इसमें एक प्रॉविजन किया है कि ट्रेकर लगाकर आपलोग रखेंगे तो ट्रेकर तो लगाना चुकी विदेशों में भी कई जेलों में हो रहा है तो यह तो अच्छा है लेकिन उसका डेटा की सुरक्षा, क्योंकि बाद में यह जाकर कहीं न कहीं जो हमारे संविधान का अधिकार है उससे यह टकरायेगा तो डेटा का कैसे आप उसमें, उसकी निजता का कैसे सुरक्षा करेंगे उसको लेकर आपको विशेष ध्यान रखना होगा । उसके अलावा अधीक्षक द्वारा दिये गये पृथक कारावास या परिहार जब्ती के किसी भी दण्ड की पुष्टि 7 दिनों के भीतर संबंधित जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश द्वारा करना अनिवार्य होगा, इसको महोदय जोड़ा जाए । जो अधीक्षक हैं वही अपने काम का जज भी हो जायेगा, कम से कम इसमें महोदय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हों उनका यह रहना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप करें ।

श्री राहुल कुमार : हां महोदय । जेल सुपरिटेंडेंट ही दोनों तरह से नहीं हो सकते हैं । उसके अलावा महोदय कोई भी सामान जेल में पहुंचता है तो आप एफ0आई0आर0 दर्ज कर देते हैं, सुपरिटेंडेंट पर एफ0आई0आर0 क्यों नहीं दर्ज होता है, वह सामान तो कोई ऐसे ही नहीं पहुंच जाता है तो उसके लिए भी विशेष प्रावधान कीजिए कि जब जेल में सामान पकड़ता है किसी भी तरह का इलीगल सामान, मोबाइल फोन, चरस, गांजा, अफीम कुछ भी पकड़ता हो तो किसी न किसी प्रकार से सुपरिटेंडेंट की उसमें संलिप्तता होती है तो उसको भी तत्काल, इस पर निर्णय होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो सामान पहुंचेगा नहीं क्योंकि जितना वह घिरा हुआ है । उसके अलावा महोदय, विचाराधीन बंदी समीक्षा समिति की बैठक माह में अनिवार्य रूप से एक बार होगी तथा सी0आर0पी0सी0 / बी0एन0एस0एस0 के तहत अपनी आधी सजा काट चुके विचाराधीन बंदियों को जमानत दिलाने हेतु समयबद्ध रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सौंपी

जायेगी, क्योंकि जो भी जेल हैं, उसमें ऐसे कैदी जो विचाराधीन कैदी हैं, अंडर–ट्रायल कैदी हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री राहुल कुमार : उसके अलावा महोदय जो महिलाएं हैं, जिनके 3 साल से 6 साल तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल क्रेच की व्यवस्था की जाए, क्योंकि मां को तो सजा मिल ही रही है जो उसके साथ बच्चे रहने वाले हैं उसको सरकार पढ़ाए, जो उसकी क्रेच की व्यवस्था है ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए । महोदय, अनेक चीजें हैं, जिसके बारे में इतने कम समय में चर्चा नहीं की जा सकती है । महोदय, हमारा आग्रह होगा कि इसको जनमत संग्रह के लिए भेजा जाए ताकि एक प्रभावी कानून एक अच्छे उद्देश्य के साथ बन सके ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026 दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड–2 से 70 तक कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 से 70 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 से 70 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।''

महोदय, मैं इसलिए कहता हूं कि सदन इसे स्वीकृत करे कि आप जब विधेयक के पूरे स्वरूप को देखेंगे तो आपको मुख्यमंत्री जी से तो हमदर्दी है ही है, इस विधेयक से भी हमदर्दी हो जायेगी, इसलिए कि ये एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील विधेयक है । आप नाम में ही फर्क देख लीजिए कि पहले सभी में सिर्फ कारा रहता था कारा प्रबंधन, कारा प्रबंधन की जो अभी तक अवधारणा है ये पूरी अवधारणाएं में जो परिवर्तन हो रहा है, ये उन सबको समाहित करते हुए ये महोदय, नया विधेयक राज्य सरकार ने लाया है और आपको मालूम होगा कि अभी तक कारा प्रबंधन के संबंध में कारागार अधिनियम, 1894 थे, ये अभी भी लागू है, बंदी अधिनियम, 1900 थे महोदय, अभी भी लागू है और बंदी अंतरण मतलब जो कैदी का ट्रांसफर होता है उसके संबंध में भी महोदय, ये 1950 का कानून अभी चल रहा है तो सबसे पहला तो इस कानून को सरल और सुगम बनाने के लिए तीनों को निरसित करते हुए एक नया कानून बिहारा कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026 अभी हमने लाया है महोदय और इसकी कई खासियत है कि सबसे पहले एक तो यह भी बता दें कि 2023 में भारत सरकार ने एक मॉडल कारा अधिनियम बनाया था और राज्यों को भी संसुचित किया था कि ये मॉडल हमने केन्द्रीय स्तर पर बनाया है, आप भी इसको देख लीजिए और आप अपनी जरूरतों के हिसाब से अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन/रूपांतरण चाहते हैं तो वह करके अपने यहां भी लेकिन कारा संबंधित कानून को अद्यतन बना लीजिए और अद्यतन महोदय इसमें ये अवधारणात्मक ही परिवर्तन है कि पहले सिर्फ कारा अधिनियम था, अभी क्या है कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक क्योंकि आज तक जो कारा का कान्सेप्ट था, जेल की अवधारणा थी कि सिर्फ उसमें कस्टडी मतलब आप घेरा में रहिये और अनुशासन और ये दोनों इस तीव्रता से लागू होते थे, इस प्रचंडता से लागू होते थे कि आपलोगों ने किसी सिनेमा का भी डायलॉग सुना होगा कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं और वह डायलॉग जो था वह उस समय के जो कारा अधिनियम हैं उसकी मूल भावना को व्यक्त करता था कि एकदम सीधा रहो और अब जो हमलोगों की अवधारणा है महोदय कि अगर आप जो कह रहे थे आप दोनों आदमी, आप ही दोनों की भावना के अनुरूप तो यह विधेयक है कि अगर कोई किसी छोटे–मोटे अपराध में या किसी कारण सजा पाकर जेल में जाता है तो वहां पर ऐसा माहौल रहे कि उनमें

सुधार की भी गुंजाइश रहे, अगर कोई अपराधी एक अपराध करके कारा में जाता है और अगर अपने अपराध का पश्चाताप करके फिर उसमें सुधार होकर आम नागरिक के रूप में जिंदगी जीना चाहता है तो उसकी भी गुंजाइश रहे, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये नया कानून महोदय बनाया गया है और इसमें आप जो कह रहे थे, हालांकि राहुल जी ने तो उस पक्ष का स्वागत ही किया है कि पहले कैदी का नाम रजिस्टर में रहता था, अब तो बायोमैट्रिक से लेकर सब कुछ अलग–अलग पहचान है, वह सब जो अद्यतन था वह किया गया है महोदय और एक तो जो पहला आई0पी0सी0 / सी0आर0पी0सी0 चलता था उसके हिसाब से जो धाराएं (सेक्शसं) इसमें मेन्सन्ड थे उनको जो नया बी0एन0एस0 जो न्याय संहिता ये लागू हुई है महोदय, केन्द्र सरकार में उन पुराने अंग्रेज के जमाने के नियम को बदलते हुए वर्तमान परिवेश के हिसाब से जो नया कानून बनाया है उसके हिसाब से उन धाराओं को इसमें प्रतिस्थापित किया गया है, पुराने आई0पी0सी0 / सी0आर0पी0सी0 धाराओं को बदलते हुए। महोदय, इसमें पेरोल का भी प्रावधान जो पहले था जिस तरीके से उसी तरीके से किया गया है और प्राद्योगिकी का जो पहले था जो आई0टी0 डेवल्प आई0टी0 का कैदियों की पहचान के लिए राहुल जी सही कह रहे थे ट्रेकिंग की व्यवस्था की गयी है यह सही है और यह सब महोदय यहां किया गया है । महोदय, वैसे कुछ चीजें हमलोगों ने जो केन्द्रीय कानून है उनसे कुछ अलग भी रखा है, जो चीज हमलोगों के हिसाब से यहां पर जैसे जो विजिटर्स बोर्ड होता है, विजिटर्स बोर्ड में वहां आदर्श कारा अधिनियम में पहले वहां पर मॉडल में डिस्ट्रिक्ट जजेज को डाला गया था और सब–डिवीजनल जजेज को डाला गया था, यहां पर शुरू से जिला पदाधिकारी और जो एस0डी0एम0 होते हैं वह रहते हैं, हमलोगों ने उन्हीं को रखा है । तीसरी बात जो एक सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया था, जो एक शब्द था कुख्यात, हार्डेंड क्रिमिनल। सुप्रीम कोर्ट का कहना था अपराधी दो ही किस्म के होते हैं एक जो हैबिचुअल हैं, आदतन अपराधी जो होते हैं और एक खतरनाक अपराधी होते हैं, ये तीसरा हार्डेंड या कुख्यात तो जो यह वर्गीकरण था जो सुप्रीम कोर्ट का निदेश आया था उस हिसाब से केन्द्रीय कानून में भी किया गया है, उसी हिसाब से महोदय...

क्रमशः

टर्न–23 / सुरज / 22.07.2026

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : हमलोग भी इसमें कर रहे हैं और महोदय इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यह एक प्रगतिशील कानून है जो आज के जमाने में कारा और सुधार को आपस में जोड़ा गया है कि कारा केवल संसीमन और उनसे डिसिप्लीन लागू करके उन पर, उनको दंड का ही भागी नहीं बनाया जाए बल्कि उनमें सुधार करने की

प्रवृत्ति भी जगायी जाए । यों तो उनलोगों को परिहार्य की सुविधा दी ही जाती है । अगर अच्छा आचरण कर रहे हैं तो सजा में वन थर्ड तक परिहार्य का भी प्रोविजन है, अच्छा आचरण रहेगा तो । यह सब प्रोविजन डालकर यह कानून बनाया गया है । जो अभी के समय से समीचीन है, उपयुक्त है और प्रगतिशील है । इसलिये हम सदन से दरख्वास्त करते हैं कि इसे सर्वसम्मति से पारित करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, एक चीज कहना केवल छूट गया ।

अध्यक्ष : बोलिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अखतरूल ईमान जी कह रहे थे कि बच्चे जो जाते हैं जेल में तो जो 18 से 21 साल के उम्र के लोग जाते हैं । बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिये, बच्चे का तो जुवेनाइल रहता है, वह तो अलग रहता है । लेकिन 18 से 21 साल के जो लोग कारा में जाते हैं उनके लिये भी तरूण वार्ड अलग रहता है । उनको अन्य अपराधियों से अलग रखा जाता है और एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अखतरूल जी ने दी । जो कैदी जेल से बाहर निकलकर घर जाकर घुमकर आकर फिर जेल में चले जाते हैं । ऐसी समझिये संवेदनशील सूचना इनके पास रहती है लेकिन इसको...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, आज हम इस सदन में आपकी इजाजत से इनसे यही दरख्वास्त करते हैं कि इस तरह की संवदेनशील सूचना अगर इनको मिले, जिस वक्त मिले तो उस कैदी के नाम के साथ सरकार को बता दें, सरकार तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी । वरना अगर उस समय नहीं बताते हैं तो वैसे कैदियों को इन पर भी प्रोत्साहित करने का का चार्ज लग जायेगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ ।

<u>बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026</u>

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया । क्या माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे?

श्री राहुल कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, लास्ट में सरकार ने माना है कि अपराध के तरीके चेंज हो रहे हैं और उसको लेकर कानून को बदलना चाहिये । महोदय, इसमें कुछ जो हमें लगता है चूंकि कम समय था तो कुछ संशोधन जो था जिसको लेकर हमलोगों को लगता है कि उस पर विशेष चर्चा होनी चाहिये । महोदय, खंड–15 में आपने जिला पदाधिकारी को अधिकार दे दिया कि सी0सी0ए0 एक्ट के तहत 12 महीने तक के लिये, पूर्व में 6 महीने था । अब मान लीजिये कि किसी के ऊपर सरकार चाहती है नियंत्रण रखने के लिये तब उसको 12 महीने के बाद फिर अगला सरकार 6 महीने, 18 महीने तक उसको कभी हाईकोर्ट तक जाने का मौका नहीं मिलेगा । महोदय, इसको पूर्ववत रखने के लिये हम आग्रह करेंगे । उसके अलावा सोशल मीडिया के प्रयोग द्वारा शत्रुता फैलाने अथवा किसी अधिकार के वैध प्रयोग या किसी वैध व्यवसाय, व्यापार पेशे में बाधा डालना और असामाजिक गतिविधि की श्रेणी में लाया गया । महोदय, विद्वेष की भावना फैलाना । अब कई ऐसे–ऐसे प्रवक्ता भी सरकार के हैं कि पूरे टाइम विद्वेष की भावना फैलाते रहते हैं तो क्या उनलोगों को भी डालेंगे ? तो इसको वेग नहीं रखना चाहिये, पूरा का पूरा क्लीयरिटी इसमें रखना चाहिये । ताकि परंतु यह संविधान के तहत मौलिक अधिकार जो है 19 और 21 उसका ये न हो । आपने इसमें आई0टी0 एक्ट के किसी

एक मामले में चार्जशीट और एन0सी0आर0पी0 पर केवल तीन शिकायतों को असामाजिक तत्व मानने का आधार बनाया है । अब एन0सी0आर0पी0 में कोई भी जाकर किसी की शिकायत कर देगा तो हो जायेगा । महोदय, कम से कम एफ0आई0आर0 जो दर्ज हो जाए उसको कीजिये, जिस पर सजा हो जाए उसको कीजिये । सीधे एन0सी0आर0पी0 में कोई भी व्यक्ति । एक तो वह पहले से ही वर्चुअल वर्ल्ड है । कौन कहां, किसके खिलाफ क्या लिख रहा है यही पता करना मुश्किल है । ऊपर से सीधे आप उसको दोषी बना दे रहे हैं । महोदय, कहां तक यह सही है ? इसके माध्यम से कहीं न कहीं आप जो सोशल मीडिया पर जो प्रेस नये बंधु आ रहे हैं उनको तो कहीं टारगेट नहीं करना चाहते हैं । इससे आपका उद्देश्य जो है वह सही नहीं दिख रहा है । उसके अलावा अंतिम, जिलाधिकारी या आयुक्त किसी को किसी भी साक्ष्य पर विचार करने की छूट है इस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 लागू नहीं होगा । महोदय, यह कैसा कानून है ? जिला दण्डाधिकारी या आयुक्त केवल विधिक रूप से एडमिसेबल प्राथमिक साक्ष्यों को ही आधार बनाया जाए तथा अफवाह, बेबुनियाद पुलिस इंटिलिजेंस पर कार्रवाई नहीं होगी । कोई जाकर कहीं कुछ कह देगा, उस पर आप कार्रवाई कर दीजियेगा तो इन सब चीजों को देखना चाहिये ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

<u>विधेयक के मूल पाठ में संशोधन</u>

अध्यक्ष : अब मैं खण्डशः लेता हूँ ।

खंड–2 एवं 3 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष : खंड–4 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना संशोधन मूव करेंगे ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–4 में प्रस्तावित संशोधन के चौथी पंक्ति के शब्द ''हो'' एवं शब्द ''या'' के बीच निम्न शब्द समूह अंतःस्थापित किया जाय'' कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी सोशल मीडिया के ऐसे प्रयोग से प्रतिबंधित किया जायेगा अगर वे ऐसे प्रतिबंध को तोड़ते हैं तो उनके साथ उनके माता–पिता भी दंड के भागीदार होंगे ।''

महोदय, क्राइम को कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी है और समय–समय पर कानून बनाना उनकी जिम्मेदारी है । कानून कठोर बने सही है लेकिन कानून का दुरूपयोग नहीं होना चाहिये । इसका ख्याल रखा जाना चाहिये। मैं जिस बिंदु पर अपना प्रस्ताव देना चाह रहा हूं वह यह है कि सोशल मीडिया का दुरूपयोग यकीनन नहीं होना चाहिये । उसके लिये कोई कंडक्ट बनना चाहिये हमारा । अभी कॉकरोच जनता पार्टी ने सबकी जड़ें हिला दी है । अब नहीं चाहता है कि सोशल मीडिया पर कोई किसी के बारे में लिखे । यकीनन है गैर कानूनी चीजें नहीं लिखी जानी चाहिये लेकिन जो लोकतांत्रिक मूल्य है उस पर लिखने की इजाजत होनी चाहिये । मैं इसमें जो असल बात कहना चाह रहा हूं, मैं नई पीढ़ी के बारे में चिंतित हूं । सोशल साइट के इस्तेमाल से हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं । इसलिये हम यह कहना चाह रहे हैं कि आस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश में 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चे सोशल साइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं । तो हमारे यहां भी यह कानून लाया जाए, गरीब बिहार है, निरक्षर बिहार है, पलायन वाला बिहार है । हम अपने बच्चे के भविष्य को बचाना चाहते हैं और 16 वर्ष से कम के उम्र के बच्चे को सोशल साइट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिये । यदि अपने माता–पिता या किसी के जरिये से इसका दुरूपयोग करता हुआ कोई बच्चा पकड़ा जाए तो उसके मां–बाप को दंडित किया जाय । यह कानूनी प्रावधान लाया जाए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–4 में प्रस्तावित संशोधन के चौथी पंक्ति के शब्द ''हो'' एवं शब्द ''या'' के बीच निम्न शब्द समूह अंतःस्थापित किया जाय ''कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी सोशल मीडिया के ऐसे प्रयोग से प्रतिबंधित किया जायेगा अगर वे ऐसे प्रतिबंध को तोड़ते हैं तो उनके साथ उनके माता–पिता भी दंड के भागीदार होंगे ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–5 से 19 तक में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–5 से 19 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–5 से 19 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न–24 / धिरेन्द्र / 22.07.2026

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष महोदय, यह इसलिए कि माननीय सदस्यों ने, जिन लोगों ने भी इस पर अपनी बातें रखी हैं अखतरूल जी ने और राहुल जी ने, हम समझते हैं कि आपने जो बातें कही हैं उसी दिशा में तो यह विधेयक संशोधन किया जा रहा है । यह पहले का जो वर्ष 2024 का अधिनियम है उसको हमलोग आज संशोधित आप ही दोनों की भावना को इसमें शामिल करने के लिए कर रहे हैं । आप जितनी बातें कहे हैं वही सब चीजों पर तो आधारित संशोधन है कि आज जितने तरह का तरीका बदल गया है अपराध का या जैसे अभी कह रहे थे सोशल मीडिया को, ऑस्ट्रेलिया की बात कह रहे थे या बाहर विदेश में कहीं पर 16 वर्ष से कम के बच्चे को देखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तो आखिर क्यों लगया गया है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है और अभी का जो कानून था उसमें सोशल मीडिया के इस तरह के गलत कृत्यों को रोकने का

या नियंत्रित करने का प्रावधान नहीं था, वह इसमें किया जा रहा है तो आप जो चाह रहे हैं वही तो हमलोग कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि इसको डीले करने के लिए, कोई जनमत जानने में परिचालित करा दीजिये । महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है और आप अगर इसमें गौर करेंगे तो जो कह रहे थे हमारे दोनों साथियों ने इसके दुरुपयोग की बात कही है तो कानून कोई भी है, जो सबसे बड़ा कानून इस देश का संसद में जब संविधान बनाया था तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी ने संविधान को अंगीकार करते समय जो अपना अध्यक्षीय भाषण दिया था, उसी में कहा था कि कोई कानून कितना भी पवित्र क्यों न हो, उसकी सफलता उसके लागू करने वाले की मंशा पर निर्भर करती है तो यह शुरू से है, कोई भी कानून अगर कोई उसको लागू करने वाला दुरुपयोग करता है तो यह गलत बात है ही और आज महोदय जो भावना अखतरूल जी ने व्यक्त की है, आज मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री सम्राट जी की सरकार किसी भी कानून का किसी भी हालत में दुरुपयोग नहीं होने देगी, यह हम बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमलोग तो जनता को कोई असुविधा नहीं हो, जो अपराधी प्रवृति के लोग हैं जिनको हम क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत उनको निषिद्ध करते थे हमने उसका दायरा बढ़ाया है अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए, आम लोगों को सुविधा देने के लिए तो आप जो कह रहे हैं महोदय, उसी हिसाब से तो है । अब इसमें, पहले जैसे देखिये कि तस्करी में महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी लिखी हुई थी कानून में, अब उसमें बहुत सारे लोगों को तो बच्चों की तस्करी में, आजकल तो कोई नौकरी कराने के लिए लेकर चला जाता है तो उन सब के साथ मानव तस्करी शब्द जोड़ दिया गया है, इस संशोधन में देखियेगा तो यह उसके स्कोप को और ब्रॉडेन–वाइडर किया गया है जिससे कोई भी दायें–बायें घुमकर किसी तरह की तस्करी मतलब मानव की तस्करी नहीं करे, यह किया गया है । महोदय, अब सोशल मीडिया पर आप बात कह रहे थे कि यह संविधान से लेकर हमारे कानून में है कि जाति, धर्म, भाषा इत्यादि के आधार पर कोई विद्वेष या घृणा फैलाने की कोशिश करता है तो यह दंडनीय अपराध हमारे कानून में घोषित था । अब आजकल सबसे आसानी से, सबसे त्वरित गति से घृणा या कोई बात किस तरीके से फैलायी जाती है, आज उसका चाहे वह चीज समाज के लिए उपयोगी है अगर सही उपयोग हो सोशल मीडिया का लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से घृणात्मक बातें भी फैलायी जाती हैं आखिर उस पर नियंत्रण करना यह सरकार का दायित्व है और पहले के कानून में इसका प्रावधान नहीं था, यह हमलोगों ने इसमें लाया है और इससे आप जो कह रहे हैं किसी सही सकारात्मक सोच वाले सोशल मीडिया को या किसी मीडिया हाउस को यह जरा भी आशंकित होने की जरूरत नहीं है कि हमलोग इसके दुरुपयोग के लिए लाए हैं और आजकल तो एक से

एक उदाहरण आ रहा है, जब मीडिया के खिलाफ मीडिया ही दुष्प्रचार में लग जाता है । जब कहीं कोई, हमलोग तो राजनेता तो आसानी से निशाने पर रहते ही हैं महोदय, यह तो सबसे मतलब सॉफ्ट टारगेट है । किसी तरह सरकार के अंग चाहे राजनेता हों या हमारे पदाधिकारी हों तुरंत मीडिया में उनके खिलाफ बातें आने लगती हैं लेकिन इसके दुरुपयोग या इसके गलत दिशा में जाने की स्थिति यहां तक बनती है कि अब मीडिया भी एक–दूसरे के खिलाफ इसका उपयोग करने लगती है महोदय, इसको तो नियंत्रण के दायरे में लाना आवश्यक प्रतीत होता था, इसलिए महोदय यह आया और अभी राहुल जी कह रहे थे एन॰सी॰आर॰बी॰ के बारे में नेशनल क्राइम ब्यूरो जो पोर्टल है, कोई आदमी केस कर देगा तो वह हो जायेगा, वह नहीं है राहुल जी, इसमें है कि कम–से–कम जो केस हुआ है, केस तो कोई आदमी करता है, उसका इन्वेस्टिगेशन होता है तो कम–से–कम दो में चार्जशीटेड हो, केस दर्ज होना और चार्जशीटेड होने में फर्क है या अगर दो में चार्जशीटेड है या एक में कंविक्टेड हो जाता है, कंविक्टेड का मतलब हो गया महोदय कि ट्रायल भी हो गया, उसको सजा भी मिल गई तो वैसे केसेज में, ऐसा नहीं है कि कोई हम पर, आप पर, किसी पर चार केस कर दिया तो बस उस पर सी॰सी॰ए॰ लग जायेगा । महोदय, इसलिए उन सारी चीजों को इसमें रखा गया है । अब समझिये कि जो अभी वर्तमान कानून था, अभी आप लोग भी न यहां से लेकर अभी देखते हैं कि दिल्ली में जंतर–मंतर तक क्या हंगामा मचा हुआ है, आखिर मामला क्या है पेपर लीक और पेपर लीक जैसा जितने सारे तथ्य पेपर लीक से जुड़े हुए आज प्रकाश में आ रहे हैं महोदय, पेपर लीक जैसा कोई संगठित अपराध दूसरा होता है क्या ? लेकिन आज की जो परिभाषा थी संगठित अपराध की, उसमें पेपर लीक शामिल नहीं था क्योंकि यह नया किस्म का अपराध पनपता है तो ज्यों–ज्यों अपराध या अपराध करने का तरीका बदलता जाता है हमें अपने कानूनों को भी अद्यतन बनाना पड़ता है । इसलिए इसमें एमेंडमेंट कर के हमलोगों ने पेपर लीक को भी संगठित अपराध में डाला है और इसी तरीके से बाकी जो आप लोगों ने चिंता व्यक्त की है, उसमें हमलोग जो भी आपको सजेशन भी देना हो तो वह दे दीजियेगा, यह तो एक्ट है इसको लागू करने का तरीका एक्ट के बाद नियमावलियों में होती है जो रूल्स बनते हैं, हमलोग उसमें भी आपकी भावनाओं का पूरा ख्याल रखेंगे लेकिन....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे–बैठ मत बोलिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हमें भी आपकी भावनाओं का ख्याल रखने में अच्छा तब लगता है जब आप भी अपनी भावना हमारे साथ जोड़ कर इसको सर्वसम्मति से पारित कर दीजिये ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ ।

टर्न–25 / अभिनीत / 22.07.2026

बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

प्रभारी मंत्री ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार, स0वि0स0 द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य राहुल कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ।

श्री राहुल कुमार : मैं मूव करूंगा । मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 दिनांक–31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 राज्य में नवाचार, अत्याधुनिक संसाधन और विशिष्ट उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है जो स्वागतयोग्य है, लेकिन आप विशिष्ट शिक्षा के लिए लाना चाहते हैं और जो पूरा स्वरूप है आपने ब्यूरोक्रेटिक बना दिया है । कम से कम ब्यूरोक्रेट्स की जगह टेक्नोक्रेट्स

को रखते । जो आईआईटीयंस हैं, इसरो के कुछ साइंटिस्ट हैं उनको रखते तो कुछ समझ में आता कि आप इसमें अलग से नवाचार क्या करना चाहते हैं । बिहार हमेशा ज्ञान की भूमि रही है । नालंदा, विक्रमशिला हमेशा यहां हमारे धरोहर रहे हैं और जब आप एक नया कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, इसमें जो भी शिक्षाविद् हैं उनको इनके गवर्निंग बॉडी में आपने नहीं रखा है, तो उनके गवर्निंग बॉडी में कम से कम शिक्षाविद् को रखते । सी0एस0आई0आर0, आई0आई0टी0, इसरो इन सब जगहों के प्रबुद्ध लोग होते तो इसको डायरेक्शन दे पाते और जो आपकी सोच है उस सोच के अनुरूप एक विश्वविद्यालय बन के आ पाता । लेकिन यहां हुआ क्या, सिर्फ और सिर्फ आपने व्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाकर रख दिया है । जो आपकी सोच है उस हिसाब से यह होना नहीं है । इसके अलावा महोदय, इसमें एक उप सचिव स्तर के प्रशासनिक अधिकारी किसी शोध की गुणवत्ता या अकादमिक मानकों का मूल्यांकन कैसे कर सकता है, इसमें प्रावधान है महोदय । आप शोध के बारे में बात करना चाहते हैं तो कम से कम प्रोफेसर हैं, वे उस विषय के जानकार होते हैं, उनको अप्रूवल, नॉन अप्रूवल, नहीं तो जितने प्रोफेसर्स होंगे वे क्लर्क–किरानी बन जायेंगे और बाबू लोग बैठकर ऊपर उन पर ये करेंगे, तो इसको देखकर महोदय, हम चाहते हैं कि आपका उद्देश्य सही है लेकिन इसमें संशोधन लाने के लिए आपको विचार करना चाहिए और इसको एक बार जनमत के लिए भेजिए । आपके उद्देश्य से हम यह नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 दिनांक–31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड–2 से 50 तक में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 से 50 तक अनुसूचि सहित इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–2 से 50 तक अनुसूचि सहित इस विधेयक के अंग बनें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 स्वीकृत हो''

महोदय, हम सभी जानते हैं कि आज शिक्षा का तेजी से विस्तार हो रहा है और भूमंडलीकरण के दौर में प्रतिस्पर्द्धा भी बढ़ी है । ऐसे माहौल में केवल सामान्य उच्च शिक्षा से बात बनने वाली नहीं है । हमको विषयों में महारत हासिल करनी पड़ेगी । किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी । अनुसंधान और नवाचार करना पड़ेगा और जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य की चर्चा कर रहा था, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, कौशल विकास तथा मानव संसाधन सशक्तिकरण की बढ़ती मांग को देखते हुए ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक हो गयी है जो सामान्य उच्च शिक्षा से आगे बढ़कर विशिष्ट उद्देश्यों पर केंद्रित उत्कृष्ट शिक्षण शोध एवं नवाचार का केंद्र बन सके । राज्य में वर्तमान में ऐसे विशिष्ट विषयों पर केंद्रित एक या एक से अधिक विश्वविद्यालय की स्थापना, संचालन एवं विनियमन हेतु कोई समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है महोदय, इसलिए यह विधेयक लाना पड़ा । इस विधेयक के आ जाने से, अधिनियम बन जाने से उच्च शिक्षा वाली और उच्च गुणवत्ता वाली आधुनिक अनुसंधान केंद्रों को प्रोत्साहन मिलेगा । नवाचार, उद्यमिता एवं उद्योग अकादमिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा । राज्य एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ज्ञान का सृजन और प्रसार हो सकेगा । महोदय, राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप अधिक प्रतिस्पर्द्धी अनुसंधान्मुख और भविष्य केंद्रित बनेगी । महोदय, यह विधेयक बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक दूरदर्शी एवं परिवर्तनकारी पहल है । यह विधेयक विशेषकृत बहुविषयक विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा अनुसंधान, नवाचार और मानव संसाधन विकास को नई दिशा प्रदान करेगा । महोदय, इसके प्रभावी क्रियान्वयन से बिहार ज्ञान आधारित विकास, शैक्षणिक उत्कृष्टता और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के क्षेत्र में एक सशक्त पहचान स्थापित करेगा और

हम दुनिया में अपनी पहचान बना पायेंगे । मैंने पहले भी कहा महोदय कि प्रतिस्पर्द्धा का दौर बढ़ा है

''अब हवाएं ही करेंगी रौशनी का फैसला
जिस दीए में दम रहेगा, वही दीया रह पायेगा।''

महोदय, हम यह ताकत, क्षमता देना चाहते हैं और माननीय राहुल जी की चिंता थी कि इसमें केवल व्यूरोक्रेट्स आ जायेंगे तो इसमें शिक्षाविद् भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं और विषय विशेषज्ञ भी रहेंगे ।

(व्यवधान)

मुझे लगता है पूरे विधेयक को, आपको समय मिला नहीं, आपने पहले ही कहा है, अब समय निकाल कर पढ़ लीजिए । आपकी शंकाएं निर्मूल साबित होंगी । शंकाएं स्वतः दूर हो जायेंगी । व्यावसायिक क्षेत्र से, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से, सभी क्षेत्रों से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किये जाने का प्रावधान है और महोदय, जो कुलाधिपति होंगे..

(व्यवधान)

महोदय, जो आशंका वे व्यक्त कर रहे थे कि इसमें रहेंगे और व्यूरोक्रेट्स हावी हो जायेंगे । इसके कुलाधिपति महोदय, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री होंगे । इसलिए आशंका बिल्कुल निर्मूल है ।

इसलिए मैं पूरे सदन से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को सहमति प्रदान करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 स्वीकृत हो''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ ।

डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर
<u>विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करती हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

प्रभारी मंत्री ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार, स0वि0स0 द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य राहुल कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

टर्न–26 / अंजली / 22.07.2026

श्री राहुल कुमार : महोदय, मूव करूंगा । मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''डॉ॰ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 दिनांक–31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026, मूल से रूप से बी0सी0ई0 भागलपुर था, 1960 के दशक का बना हुआ एक कॉलेज था, बढ़िया कॉलेज था, बिहार के कुछ कॉलेज थे, उसमें से था, उसको ही आपने चेंज करने के लिए यह लाया है । कोई नई यूनिवर्सिटी बनाने की बात है नहीं, सिर्फ हाँ, उसको आपने ए0आई0 और कंप्यूटर साइंस के लिए एक विशिष्ट केंद्र के रूप में डेवलप करने की बात कही है । स्वागत योग्य है, क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चलती है, 6 महीना में एक टेक्नोलॉजी एब्सलूट हो जाता है, खत्म हो जाता है । आज आपने सोचा और 6 महीना में खत्म हो जाएगा, तो इसके लिए हमेशा आपको ऑनटोज रहना पड़ता है, आर्टिफिशियल इंटलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो जो टेक्नोक्रेट्स हैं, नैसकम हो गया, टी0सी0एस0 हो गया, प्रशिक्षित बिप्रो हो गया, इंफोसिस हो गया, ऐसे जगहों पर काम करने वाले प्रशिक्षित लोगों की अनिवार्यता बहुत अहम हो जाती है । ताकि इंडस्ट्री में जो भी नया चल रहा है, इंडस्ट्री के हिसाब से आप काम कर सकें, तो जब इस तरह का अध्यादेश आप बनाते हैं, जब इस तरह का कानून आप बनाते हैं तो इसमें अनिवार्यता होनी चाहिए कि कम से कम चालीस प्रतिशत लोग वैसे ही रहेंगे जो कि सीधा–सीधा इंडस्ट्री से आए रहेंगे और

उनको इंडस्ट्री के अनुरूप जब तक आप पैसा नहीं देंगे, क्योंकि आई0टी0 इंडस्ट्री में जो पेमेंट है, वह इस देश के राष्ट्रपति जी का पेमेंट भी उतना नहीं होगा, तो उनका जो भी पेमेंट मिल रहा है, उसको कैसे करेंगे, इसके बारे में स्पष्टता होनी चाहिए, नहीं तो यह जो विषय है, कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ एक कानून बनकर रह जाएगा, यह व्यवहारिकता में नहीं रह पाएगा । महोदय, इसलिए आपसे आग्रह है कि इसको जनमत के लिए भेजें और इसमें और भी इंडस्ट्री से जो सुझाव आएंगे उसको लेकर एक बढ़िया कानून बनाइए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''डॉ॰ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 दिनांक–31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''डॉ॰ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड–2 से 44 तक में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 से 44 इस विधेयक के अंग बनें ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 से 44 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंगे बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''डॉ॰ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि देश को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उससे जुड़े विषयों की पढ़ाई शोध का महत्व सर्वविदित हो । इस प्रयोजन हेतु डॉ॰ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 का प्रस्ताव है । इस विश्वविद्यालय की स्थापना से राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान तथा उनसे संबंधित उभरते हुए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अनुसंधान, नवाचार, तकनीकी विकास को बल मिलेगा । यह प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के उद्देश्य, जिसमें उभरते प्रौद्योगिकी पर विशेष बल दिया गया है, को प्राप्त करने में भी मील का पत्थर साबित होगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''डॉ॰ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डॉ॰ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ ।

<u>''बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026''</u>

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करती हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक पर जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे, नहीं करेंगे ?

श्री राहुल कुमार : जी, मूव नहीं करेंगे ।

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : धन्यवाद ।

(व्यवधान)

हम धन्यवाद दे दिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड–2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंगे बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य अंतर्गत स्थापित एवं संचालित अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला प्रबंधन कार्यक्रम को संचालित एवं संबद्धता प्रदान करने तथा शिक्षण, अनुसंधान के प्रसार के लिए बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 पारित है । इस अधिनियम, 2021 की धारा– 11(5) के आलोक में नियुक्ति कुलपति तीन वर्षों की पदावधि के पश्चात् ''कुलाधिपति, उनसे उस अवधि तक, जो कुल एक वर्ष से अनधिक उनके द्वारा विनिर्दिष्ट हो, पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेंगे'' के स्थान पर ''कुलाधिपति, उनसे उस अवधि तक, जो कुल तीन वर्ष से अनधिक उनके द्वारा विनिर्दिष्ट हो, पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेंगे,'' का प्रावधान किए जाने हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 की धारा–11(5) में संशोधन करने की आवश्यकता है ।

अतः इस उद्देश्य से बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 की धारा–11(5) में संशोधन किया जाना है, इस हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 को अधिनियमित कराना इसका मुख्य अभीष्ट है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

''बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ ।''

''शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करती हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक पर जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे या नहीं करेंगे?

टर्न–27 / पुलकित / 22.07.2026

श्री राहुल कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु प्रचारित हो।''

महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद जुब्बा सहनी के नाम पर किया गया है। स्वागत योग्य कदम है, लेकिन महोदय, एक अलग संस्था न बनाकर आपने एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर को ही उस रूप में नामित किया गया है। कम से कम जब यह आप नामांकन कर रहे थे, तो कुछ विषय जो है मुझे लगता है कि उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था।

बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, कई नए–नए काम हुए हैं। जो काम हुआ है उस पर मैं नहीं कहूँगा महोदय कि काम नहीं हुआ है, लेकिन उस पर रेगुलर R&D का काम बढ़ता रहे सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के केस में, इस क्षेत्र में बढ़ता रहे तो इसमें भी महोदय, मैं पुरानी बात को ही रिपीट करूँगा कि जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो बड़े–बड़े आर्किटेक्ट्स रहे हैं, जो इंडस्ट्री का सपोर्ट जो है लेने के लिए, जो कि आपने एक स्पेसिफिक बनाया है, तो आपको इसमें प्रावधान करना चाहिए था ताकि जो सोच है क्योंकि यह सोच जब भी होगी तो पूरे बिहार के लिए होगी, कोई विपक्ष या सत्ता पक्ष के लिए तो होगी नहीं । तो जो यह सोच है, यह आपकी सोच पूरी होती कि इंडस्ट्री–स्पेसिफिक जब आप बनाना चाह रहे थे, तो इंडस्ट्री

से आपके टेक्नोक्रेट्स जो भी हैं उनका सहयोग लेना चाहिए ताकि R&D का काम भी पूरे देश में बिहार अग्रणी बन के आगे बढ़े, ऐसा हमारा और हमारे विपक्ष के पार्टियों का सोचना है। इसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार इसको जनमत के लिए भेजे ताकि इंडस्ट्री से भी इसके ऊपर हम लोग का एक विचार आ सके, इंडस्ट्री के लोगों का कि इसको कैसा होना चाहिए।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु प्रचारित हो।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ। खंड 2 से 44 तक कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड 2 से 44 तक इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 44 तक इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।''

महोदय, शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 का प्रस्ताव राज्य में वास्तुकला और असैनिक अभियंत्रण एवं उससे संबंधित विषयों के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार तथा ज्ञान के सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के लिए लाया जा रहा है। वास्तुकला एवं असैनिक क्षेत्र का राज्य की आधारभूत संरचना के विकास में विशिष्ट स्थान है। इससे विकसित भारत के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में बल मिल सकेगा। वैश्विक स्तर पर भी वास्तुकला और असैनिक अभियंत्रण एवं इससे जुड़े क्षेत्रों में विशिष्ट मानव संसाधन की माँग निरंतर बढ़ रही है, अतः इस विधेयक से गुणवत्तापूर्ण उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थान की स्थापना हो सकेगी।

अतः सदन से अनुरोध है कि इसे सर्वसम्मत से पारित करने की कृपा की जाए।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 22 जुलाई, 2026 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या 73 (तिहत्तर) है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए।

(सदन की सहमति हुई)

माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी जी ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय,

हंसुआ, बाली, चाँद, सितारा । आज ले ही लेते प्राण हमारा ।।

मेरी तकदीर अच्छी थी । मेरी तकदीर अच्छी थी, मेरे अंगरक्षकों की सूझ–बूझ की वजह से वे छोड़ दिए और मैं तो हाथ लगा नहीं, मेरी गाड़ी का सारा काँच तोड़ दिए।

महोदय, विधायक बनकर और आज तो मैं बच गया, आप सभी साथी जो हैं विपक्ष के, मैं हाथ जोड़ता हूँ कि इस तरह की बात कह कर के लोगों को मत लाया जाए कि विधायक आ रहा है सदन में और बस उसको पकड़ के मारने लगिए, गाली देने लगिए, सारा काँच तोड़ दीजिए। वह तो मैं आज बड़े भाग्य से बच गया हूँ और आपने मुझे सूचना पढ़ने का अवसर दिया ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुन लीजिए । माननीय सदस्यगण, सुनना चाहिए ।

श्री विनय बिहारी : महोदय, आपने सूचना पढ़ने का अवसर दिया, बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

अध्यक्ष : सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी । बैठ जाइये । श्री प्रमोद कुमार ।

(व्यवधान)

प्लीज बैठिये । माननीय विनय बिहारी जी बैठ जाइये । विनय बाबू, बैठिये, सरकार देखेगी । सरकार सभी मामलों को देखेगी और कार्रवाई करेगी।

श्री प्रमोद कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप लोग बैठिये । माननीय विनय बिहारी जी बैठ जाइए।

श्री प्रमोद कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये । विनय बाबू, बैठ जाइये । जनक जी, विनय बाबू को बैठाइये ।

(व्यवधान)

प्रमोद जी, आप बोलिये । अजय जी, आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

विनय बिहारी जी, आपने अपनी बातों को रख दिया है, अब बैठ जाइये । प्लीज, बैठ जाइये । अजय जी, आप भी बैठ जाइये ।

श्री प्रमोद कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में जो दिल्ली में नेता विरोधी दल श्रीमान राहुल गांधी...

(व्यवधान)

द्वारा जो कारगुजारी की गयी है, उसके लिए एक निन्दा प्रस्ताव पारित करके भेजा जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : विनय बिहारी जी, मेरा आग्रह है कि बैठ जाइये । जनक जी, विनय बाबू को बैठाइये ।

(व्यवधान)

विनय बिहारी जी बैठिये । हो गयी बात ।

श्री प्रमोद कुमार : भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति । सुनिये । संदीप जी, बैठ जाइये ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, कांग्रेस के कार गुजारी के खिलाफ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक....

(व्यवधान)

प्रमोद जी, आप पहले बोल लीजिए । आप लोग बैठिये । प्लीज, सुन लीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार : श्रीमान राहुल गांधी के कारगुजारी के खिलाफ, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री के साथ जो कांग्रेस पार्टी की कारगुजारी है...

(व्यवधान)

उसके विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे थे ।

अध्यक्ष : बैठिये, सुनिये । बैठिये, सरकार सभी बातों को देखेगी । सरकार कार्रवाई कराएगी ।

अब सभा की बैठक बृहस्पतिवार, दिनांक–23 जुलाई, 2026 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।